आवास विभाग

के

महत्वपूर्ण शासनादेशों

का

संकलन

(अक्टूबर 1999 से अक्टूबर 2000)

आवास बन्धु

आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

नवम्बर 2000

आवास विभाग

के

महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

अक्टूबर 1999-अक्टूबर 2000

प्राक्कथन

वर्तमान सरकार द्वारा नयी शताब्दी के प्रथम वित्तीय वर्ष को "शहरी विकास वर्ष" घोषित किया गया है, अतः वित्तीय वर्ष 2000-01 में नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के आपसी समन्वय एवं वित्तीय संसाधनों की डवटेलिंग करते हुए प्रदेश के प्रमुख नगरों के लिए समेकित नगरीय विकास के "ब्लू-प्रिन्ट" तैयार किए गए हैं जिनका क्रियान्वयन अभियान के रूप में कराया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में सभी नागरिकों तथा विशेषकर गरीबों व निराश्रितों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में संचालित आश्रय योजना व भाऊराव-देवरस योजना तथा आवास नीति कार्य-योजना के अन्तर्गत चिन्हित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम यथा सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना, पट्टागत नजूल भूमि का फ्री-होल्ड, किराए पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का विक्रय, अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण, आदि शामिल हैं, का क्रियान्वयन नए वित्तीय वर्ष में जारी रखा गया है।

राष्ट्रीय व राज्य आवास नीति के अनुरूप समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास की उपलब्धता हेतु अनुकूल वातावरण के सृजन तथा आवास सेक्टर में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा भवन निर्माण उपविधियों में सरलीकरण किया गया है। नयी भवन उपविधियाँ आवास एवं विकास परिषद तथा 20 प्रमुख विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में दिनांक 21 अक्टूबर, 2000 से लागू की जा चुकी है। नई उपविधि अनावश्यक नियन्त्रणों एवं जटिलताओं से मुक्त है। इसके लागू होने से नगरीय क्षेत्रों में आवासीय गतिविधि को एक नई गति मिलने के साथ-साथ नगरीय भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

विकास प्राधिकरणों की आय बढ़ाने तथा उन्हें स्वाबलम्बी बनाने की दृष्टि से वित्तीय प्रबन्धन, सिस्टम सुधार तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। आवास निर्माण में निजी एवं सहकारी क्षेत्र को सक्रिय रूप से सम्बद्ध करने हेतु नीतिगत व्यवस्था की जा रही है।

प्रस्तुत संकलन में आवास विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा नीतिगत सुधारों यथा सम्पत्ति प्रबन्धन, नजूल भूमि का फ्री-होल्ड, विकास एवं निर्माण विनियमन, अनधिकृत निर्माण का शमन, फिल्म तथा पर्यटन नीति का क्रियान्वयन, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (ब्लू-प्रिन्ट), सामुदायिक सुविधाओं का विकास, आपदा प्रबन्धन, नगर भूमि सीमारोपण, कार्मिक प्रबन्धन तथा अन्य विविध विषयों से सम्बन्धित अक्टूबर 1999 से अक्टूबर 2000 की अवधि में जारी किए गए शासनादेशों का विषयवार समावेश किया गया है। आशा है कि यह संकलन विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद, सामान्य जनता, निजी निर्माताओं, सहकारी आवास समितियों, वास्तुविदों तथा आवास सेक्टर से जुड़ी अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा।

लालजी टण्डन

लालजी टण्डन
मंत्री
आवास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ
दिनांक : नवम्बर, 2000

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं.
1.	**सम्पत्ति प्रबन्धन**			
1.1	विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।	4872/9/आ-1-99/72 बैठक/1998	4-11-1999	1
1.2	विकास प्राधिकरण.तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी व्यावसायिक - अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।	5967/9-आ-1-99/72 बैठक/1998	30-11-1999	3
1.3	प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के निस्तारित न होने के कारण एवं उनके निस्तारण हेतु दिशा निर्देश।	4912/9-आ-1-99/32 हडको/97 टी.सी.	4-11-1999	4
1.4	भविष्य हेतु नीति जिसमें विकास प्राधिकरण, उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का निस्तारण शीघ्र हो सके।	4912(2)/9-आ-1-99 /32 हडको/97 टी.सी.	4-11-1999	7
1.5	उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों में मा० विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	5140/9-आ-1-99/ 699 डीए/1998	18-11-1999	9
1.6	उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों का विकसित/निर्मित एवं आवासीय/ व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।	4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99	17-12-1999	10
1.7	वितथ समाधान योजना- एक बार समाधान (O.T.S.)	271/9-आ-1-2000	15-2-2000	12
1.8	वितथ समाधान योजना- एक बार समाधान (O.T.S.)	1282/9-आ-1-1 वि0/2000	24-4-2000	17
1.9	वितथ समाधान योजना- एक बार समाधान (O.T.S.)	2461/9-आ-1-1 वि0/2000	29-5-2000	18
1.10	प्रस्तावित भूमि अर्जन की उपयोगिता, उपयुक्तता तथा ग्राह्यता के परीक्षण हेतु समिति का गठन।	403/9-आ-3-2000 -197एल.ए./99 टीसी	18-2-2000	19
1.11	प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सहकारी आवास समितियों को भूखण्डों के आवंटन में पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में।	1506/9-आ-5-2000 -7ई/2000	17-6-2000	21
1.12	विकास प्राधिकरणों के आटियों तथा अन्य के ऊपर बकाये की धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जाना।	4065ए/9-आ-1-99 -91वि/99	04-09-1999	22

1.13 विकास प्राधिकरणों के आवंटियों तथा उनके ऊपर बकाये की धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल किया जाना।	2976/9-आ-1-2000 -91वि./99-91वि./99	27-06-2000	23
1.14 निबंधित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	3600/9-आ-3-99 -20एल ए/1992	16-10-1999	25
2. नजूल भूमि का प्रबन्धन एवं फ्री-होल्ड			
2.1 नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में	441/9-आ-4-99	29-1-1999	26
2.2 नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन /97, दिनांक 1-12-98 में फ्री-होल्ड हेतु निहित व्यवस्थाओं के अर्न्तगत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।	481/9-आ-4-99- 704 एन0/97 टीसी	30-1-1999	27
2.3 नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-988/9-आ-4-99-704 एन/ 97/टीसी (5), दिनांक 3 मार्च 1999 में फ्री-होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत की समय सीमा में विस्तार।	1115/9-आ-99-704 एन0/ 67 टीसी (5)	12-3-1999	28
2.4 नजूल भूमि के प्रवन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत 1595/9-आ-4-99-704 एन/97, दिनांक 25 मई, 1999 में फ्री-होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार ।	1753/9-आ-4-99 -704 एन/97 टीसी	15-6-1999	29
2.5 शासनादेश दिनांक 01-12-1998 की व्यवस्थानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-03-99 के कारण बाधित होने के फलस्वरूप निर्गत डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।	1718/9-आ-4-99 399 एन/99	22-6-1999	30
2.6 नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने विषयक विधिक डीड जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।	1895/9-आ-4-99-293 एन/90	7-7-1999	31
2.7 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में संशोधन हेतु अवसर प्रदान किया जाना।	41एमएम/9-आ-4-99 -477 एन/99	13-10-1999	36
2.8 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के संदर्भ में शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पूर्व में जारी किये गये अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस के सम्बन्ध में।	1012/9-आ-4-99-75 एन/97	11-11-1999	37
2.9 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड की धनराशि हेतु लक्ष्यों का निर्धारण।	3545/9-आ-4-1999	3-12-1999	38

2.10 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु दिनांक 30-6-1999 के उपरान्त आवेदकों से दिनांक 1-4-1994 को प्रचलित सर्किल रेट लिया जाना।	2961/9-आ-4-99-350 एन/99 टीसी	3-12-1999	39
2.11 नजूल भूमि फ्री-होल्ड हेतु स्टैम्प पेपर पर टंकित हो चुके विलेखों के निष्पादन के सम्वन्ध में ।	3761/9-आ-4-2000 -6जी/2000	3-1-2000	40
2.12 पट्टावधि समाप्त नजूल भूमि के बैनामा होने के उपरान्त अन्तिम क्रेता के "टाइटिल" की वैधता स्पष्ट न होने की स्थिति में फ्री-होल्ड की व्यवस्था।	3723/9-आ-4-99-606एन/99	5-1-2000	41
2.13 स्थानीय निकायों द्वारा उनके प्रबन्धाधीन नजूल भूमि के दुरुपयोग रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।	3729/9-आ-4-1999	6-1-2000	42
2.14 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	3865/9-आ-4-99-433 एन/97	10-1-2000	44
2.15 नजूल भूमि फ्री-होल्ड हेतु आकलित रु. 5 लाख से कम की धनराशि होने पर किस्तों की सुविधा अनुमन्य किया जाना।	200/9-आ-4-2000	18-1-2000	45
2.16 अनाधिकृत/अवैध अध्यासियों के पक्ष में अद्यतन सर्किल रेट नजूल भूमि फ्री-होल्ड किये जाने तथा अनाधिकृत अध्यासियों द्वारा एकमुश्त धनराशि 90 दिन के अन्दर जमा कर दिये जाने पर 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य नहीं होने के सम्बन्ध में ।	203/9-आ-4-2000	20-1-2000	46
2.17 स्थानीय निकायों व उनके किरायेदारों के फ्री-होल्ड हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्वन्ध में।	563/9-आ-4-2000	10-2-2000	47
2.18 पट्टागत नजूल भूमि के फ्री-होल्ड विक्रय विलेख के निष्पादन में स्टैम्प ड्यूटी में छूट विलेख का निष्पादन।	1471/9-आ-4-2000-30 एन/96	29-4-2000	48
2.19 नजूल भूमि पर निर्मित बहुमंजिले निर्माण को अलग-अलग किरायेदारों के पक्ष में फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	1472/9-आ-4-2000 -51एन/2000	29-4-2000	50
2.20 नजूल नीति शासनादेश दिनांक 1-12-98 के पूर्व तथा वर्तमान नीति के अर्न्तगत स्थानीय निकायों के किरायेदारों द्वारा फ्री-होल्ड धनराशि जमा करने की सूचना।	1492/9-आ-4-2000 -179 एन/2000	12-5-2000	51
2.21 रेंट कन्ट्रोल के किरायेदार जो फ्री-होल्ड कराने के पात्र हैं, सम्बन्धी सूचना का प्रेषण ।	1491/9-आ-4-2000-62 एन/ 2000	13-5-2000	52

2.22 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड हेतु निर्गत डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष 90 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी धनराशि जमा न किये जाने की दशा में उसकी वसूली हेतु मार्गदर्शन।	1370/9-आ-4-2000 -214एन/2000	31-5-2000	53
2.23 नजूल भूमि के फ्री होल्ड से प्राप्त आय सम्बन्धी जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों का प्रेषण।	2201/9-आ-4-2000	30-6-2000	54
2.24 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड से प्राप्त आय सम्बन्धी जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।	670/9-आ-4-2000 87 एन/2000	24-7-2000	59
2.25 रेंट कन्ट्रोल के किरायेदार जो फ्री होल्ड कराने के पात्र हैं, सम्बन्धी सूचना का प्रेषण।	2243/9-आ-4-2000 -62एन/2000	24-7-2000	60
2.26 स्थानीय निकायों के प्रबन्धाधीन नजूल सम्पत्तियों का चिन्हीकरण तथा तदनुसार नजूल रजिस्टर की प्रविष्टयों को अधावधिक किये जाने राजस्व भू-अभिलेखों से मिलान किया जाना।	2555/9-आ-4 -2000-302एन/99	31-7-2000	61
3. नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976 की भूमि का प्रबन्धन			
3.1 नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के अर्न्तगत सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्ज़े से प्राप्त भूमि निस्तारण।	1279/9 -आ-6-99	21-10-1999	63
3.2 नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में।	777/9-न0भू0-135 यू0सी0/99-2000	1-2-2000	74
4. विकास एवं निर्माण विनियमन			
4.1 व्यवसायिक भवन मानचित्रों के निर्माण अनुज्ञा पत्र की वैधता के सम्बन्ध में।	एम-182/9-आ-3-97-38 विविध/97	30-09-2000	75
4.2 तलपट मानचित्र के विकास अनुज्ञा पत्र की वैधता के सम्बन्ध में।	3788/9-आ-3-97-38 विविध/97	07-11-2000	76
4.3 शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु मानक भवन उपविधि को लागू किया जाना।	4780/9-आ-1-99	12-10-1999	78
4.4 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में	4716/9-आ-1-29 विविध/98	21-10-2000	80
4.5 आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में	4717/9-आ-1-29 विविध/98	21-10-2000	81

4.6 गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मी. तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	320/9-आ-3-2000 -127काम्प/99	5-2-2000	82
4.7 गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी. तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	124 सी0एम0/9-आ-3 -2000-127काम्प/99	31-7-2000	83
4.8 कानपुर विकास प्राधिकरण में बहुखण्डीय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	3025/9-आ-1-97-38 वि0/97	30-6-2000	85
4.9 नैनीताल झील परिक्षेत्र में भवनों की अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	3662/9-आ-3-2000-93 काम्प/97	25-10-2000	86
4.10 तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण।	3661/9-आ-3-98-7 वि0/98	25-10-2000	88
4.11 भवन (औद्योगिक) मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	3404/9-आ-3-99-74 -वि0/99	26-10-1999	90
5. अनाधिकृत निर्माण का शमन			
5.1 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत F.A.R. तथा अनुमन्य इकाईयों के कम्पाउण्डिंग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	121/आ०ब०-आ०नि० /शमन/99-2000	11-5-2000	91
5.2 अनाधिकृत निर्माण के शमन की द्वितीय संशोधन उपविधि लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	4580/9-आ-1-99- 120 वि0/98	13-10-1999	92
5.3 स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।	4913/9-आ-1-1999 -120 विविध/1998	16-11-1999	93
5.4 स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।	6073/9-आ-1-1999 -120 विविध/1998	7-12-1999	94
5.5 स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शासन में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण।	2102/9-आ-1-2000	8-5-2000	95
5.6 स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत जमा किए गए मानचित्रों के निस्तारण हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं।	2769/9-आ-1-2000	8-6-2000	97
5.7 स्वैच्छिक शमन उपविधि के प्रयोजन हेतु 'निर्मित भवन' की व्याख्या स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।	3855/9-आ-1-2000	28-8-2000	98
6. फिल्म तथा पर्यटन नीति का क्रियान्वयन			
6.1 फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति 1999 का क्रियान्वयन किया जाना।	2206/9-आ-3-99-50 विविध/99	27-5-1999	99

6.2 फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति 1999 का क्रियान्वयन किया जाना।	2235/9-आ-3-99-42 विविध/99	31-5-1999	100
6.3 फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति 1999 का क्रियान्वयन किया जाना।	2829/9-आ-3-99-42 विविध/99	28-7-1999	101
6.4 उ. प्र. पर्यटन नीति-1998 अर्न्तगत नगर योजना में पर्यटन प्रयोजन हेतु भूखण्ड चिन्हित किया जाना।	2179/9-आ-3-99-18 विविध/99	7-6-1999	102
6.5 पर्यटन नीति 1998 के अनुरूप होटल व्यवसाय को प्रोत्साहन देने हेतु आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण अनुमन्य निर्मित आवासीय भवन को स्वैच्छिक शमन योजना के अर्न्तगत होटल प्रयोजनार्थ शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	369/9-आ-1-2000 -120 वि0/98	24-1-2000	103
7. नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
7.1 गंगा नदी के किनारे स्थिति विकास प्राधिकरणों वाले नगरों के सर्विसेज मास्टर प्लान जल निगम उत्तर प्रदेश के माध्यम से बनाये जाने के लिये मार्ग निर्देशन हेतु समिति का गठन।	487/9-आ-1-2000	2-1-2000	105
7.2 नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन एवं विकास तथा रख-रखाव के कार्यों की समीक्षा हेतु समिति का गठन।	973/9-आ-1-2000	28-2-2000	106
7.3 नगरों की अवस्थापना सुविधा के नियोजन एवं विकास कार्यों की समीक्षा हेतु गठित समिति में संशोधन।	3868/9-आ-1-2000	28-8-2000	107
7.4 नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन एवं विकास तथा रख-रखाव के कार्यों की समीक्षा हेतु समिति का गठन।	1386/9-आ-1-2000	25-3-2000	108
7.5 नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन तथा विकास कार्यों की समीक्षा हेतु गठित समिति में आंशिक संशोधन।	1662/9-आ-1-2000	10-4-2000	109
7.6 वर्ष 2000-2001 के लिये नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का ब्लू प्रिंट तैयार करवाना।	93/आ०ब०/नि०सम०/ अव 2000-01	3-5-2000	110
7.7 वर्ष 2000-2001 के लिये अवस्थापना सुविधाओं का ब्लू प्रिंट तैयार करना।	113/आ०ब०/नि० सम०/अव 2000-01	9-5-2000	111
7.8 नगरीय अवस्थापना सुविधा हेतु शासन द्वारा तैयार किए गए डाटा-बेस के अद्यावधिक किए जाने के सम्बन्ध में।	4830/9-आ-1-2000	2-11-2000	112
8. सामुदायिक सुविधाओं का विकास			
8.1 नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किया जाना।	6318/9-आ-3/1999	10-12-1999	113
8.2 सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज हेतु विनियमित क्षेत्रों में टावर निर्माण हेतु भूमि/भवनों के वर्ग में अनुज्ञा सम्बन्धी छूट।	63/9-आ-3-2000-100 वि/97	27-2-2000	114

8.3 चेरिटेबिल संस्थाओं को आवंटित भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में ।	3156/9-आ-1-2000 -688 डीए/98	17-7-2000	116
8.4 अग्नि शमन अवस्थापना के लिये भूमि की व्यवस्था।	3322/9-आ-1/2000	20-7-2000	117
8.5 सामुदायिक सुविधाओं एवं उनके प्रासंगिक उपयोग के भवनों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	140/9-आ-3-2000-93 काम्प/97	23-8-2000	118
9. आपदा प्रबन्धन			
9.1 सम्भावित सूखे एवं बाढ़ से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	2060/9-आ-1-2000	6-5-2000	119
9.2 वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को दुकान आवंटन में वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	2451/9-आ-1-2000 के0डी0ए0/99	27-5-2000	120
9.3 प्रदेश के कतिपय पहाड़ी क्षेत्रों में दिनांक 28/29 मार्च, 1999 को आये भूकम्प से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु ऋण की व्यवस्था किये जाने विषयक।	3081/9-आ-1-2000 -35 बजट/1999	7-7-2000	121
10. सिस्टम सुधार			
10.1 छोटे विकास प्राधिकरणों हेतु बड़ी विकास प्राधिकरणों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	434/9-आ-5-2000-115ई/99	15-2-2000	122
10.2 विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाना।	1307/9-आ-1-2000 -26 विविध/2000	21-3-2000	123
10.3 प्राधिकरणों में संविदा पर चल रहे कार्यों के लिए विवादों को निपटाने हेतु आर्बीट्रेटर्स का पैनल गठित किया जाना।	29/आ०ब०/नि०सम० /आर्बीट्रेटर/2000-01	18-4-2000	124
10.4 आवास विभाग द्वारा जारी किये गये पुनर्रिक्षित नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	752(1)/9-आ-6-2000-1021यूसी/98टीसी	26-4-2000	125
10.5 विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं को कम्प्यूटर पर कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना।	1082/9-आ-5-2000	1-5-2000	126
10.6 विकास प्राधिकरणों में जाब बेसिस के आधार पर कम्प्यूटर से कार्य कराये जाने विषयक।	3406/9-आ-5-2000	18-8-2000	127
10.7 जन-मानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण। अधिकार पत्र के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	3869/9-आ-1-2000	28-8-2000	128
10.8 विकास प्राधिकरणों हेतु एकाउण्टस् मैनुवल् बनाने के सम्बन्ध में।	677/आ-9-1-(एकाउण्टस् मैनुवल्) 2000	2-11-2000	129

11. कार्मिक प्रबन्धन			
11.1 समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को अधिकारों का प्रतिनिधायन।	1354/9-आ-5-99 -156डीए/87	11-5-1999	130
11.2 चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।	38/9-आ-2-2000	5-1-2000	132
11.3 विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के क्रम में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा, अकेन्द्रीयत सेवा के तथा परिषद सेवा के विभिन्न कार्मिकों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही व सूचना के सम्बन्ध में।	1119/9-आ-5-2000	9-5-2000	133
11.4 उ.प्र. विकास प्राधिकरणों की स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा।	1120/9-आ-5-2000	25-5-2000	137
11.5 उ.प्र. विकास प्राधिकरणों की स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा।	1120(1)/9-आ-5-2000	28-6-2000	138
11.6 प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में शासकीय प्रतिबन्ध के बावजूद भी दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में।	1424/9-आ-5-2000	7-7-2000	139
11.7 विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों के नामांकन के सम्बन्ध में।	3484/9-आ-1-2000 -70वि०/96	2-8-2000	140
11.8 अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षुओं को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	1882 /9-आ-2-2000	14-8-2000	141
11.9 पर्वतीय उपसंवर्ग के अन्तर्गत विकल्प का दिया जाना।	493/9-आ-5-2000-70 ई/98	25-2-2000	143
11.10 पर्वतीय उपसंवर्ग के गठन की अधिसूचना।	3509/9-आ-5-2000-70 ई/98	5-9-2000	145
12. विविध			
12.1 आवास निर्माण में निजी निर्माताओं की भागीदारी को गतिशीलता प्रदान करने हेतु Term and Condition तैयार करने के लिए पूर्वगठित समिति में आंशिक संशोधन।	3014/9-आ-1-1999	23-6-1999	148
12.2 विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास/निर्माण विनियमन कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	यूओ-151/9-आ-3 -1999	17-8-1999	149
12.3 विकास प्राधिकरण तथा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।	2354/9-आ-2-1999	21-10-1999	151

12.4 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को आवश्यक प्रतिनिधायन।	2909/9-आ-2-1999	24-10-1999	153
12.5 आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली-1999।	6396/9-आ-1-339 डीए/83	22-12-1999	154
12.6 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण।	4397/9-आ-1-99	24-1-2000	158
12.7 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण।	1454/9-आ-1-2000	26-8-2000	159
12.8 मा. लोकायुक्त के विरुद्ध विकास प्राधिकरणों/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा याचिका योजित किया जाना।	2081/9-आ-1-2000	6-5-2000	160
12.9 मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के आदेशान्तर्गत लम्बित के समयबद्ध निस्तारण, निरन्तर संदर्भो अनुश्रवण एवं इन संदर्भों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब अथवा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	1477/9-आ-2000	23-6-2000	161
12.10 आवास विभाग में नीति निर्धारण प्रकोष्ठ में सदस्य सचिव के नामाकंन के सम्बन्ध में।	27एसएस/9-आ-6-2000-1015यूसी/2000	3-7-2000	162
12.11 हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग-2) के ऋषिकेश महायोजना (2011) पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	591/9-आ-3-2000-2 महा/97	11-8-2000	163
12.12 बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था किए बगैर सड़कों का सुधार, चौड़ीकरण व निर्माण न किया जाना।	566/9-आ-1-2000-01 (आ.ब.)	21-9-2000	164

1

सम्पत्ति प्रबन्धन

संख्या-4872/9-आ-1-99/72 बैठक/1998

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 4 नवम्बर, 99

विषय : विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2798/9-आ-5-23-8 मिस/86, दिनांक- 16.6.1993 द्वारा कतिपय व्यवस्था सुनिश्चत की गयी थी किन्तु उक्त व्यवस्था में कतिपय कठिनाइयों/कमियों के कारण अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण में अवरोध उत्पन्न हुआ एवं विक्रय प्रक्रिया में वांछित सफलता नहीं मिल पायी। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त कठिनाइयों/कमियों का निराकरण कर संदर्भगत शासनादेश दिनांक 16.6.1993 में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ताकि अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण में गति लायी जा सके एवं विकास प्राधिकरणों की आर्थिक स्थिति में भी अपेक्षाकृत सुधार लाया जा सके :-

(1) विकास प्राधिकरणों की अमितव्ययी सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण हेतु भूमि का मूल्य सक्रिल रेट के 50% के आधार पर आकलित किया जायेगा। भवन का मूल्य पूर्व व्यवस्था के अनुसार वर्तमान लागत पर ह्रसित (डेप्रिशिएटेड) मूल्य होगा। आवेदन पत्र के साथ आकलित मूल्य की 25% धनराशि जमा की जायेगी।

(2) निर्धारित मूल्य एकमुश्त जमा करने पर 20% की छूट दी जाय। किस्तों पर विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों को 5 वर्ष की छमाही किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाय। इन किस्तों पर एक कमरे वाले भवनों के सम्बन्ध में वार्षिक ब्याज दर 12%, दो कमरे वाले भवनों में ब्याज की दर 13.5% तथा तीन या उससे अधिक कमरे वाले भवनों में ब्याज की वार्षिक दर 15% की दर से ली जाय।

(3) दो मंजिले अथवा इससे अधिक मंजिला भवनों (ऊपर-नीचे, अलग-अलग किरायेदारों की स्थिति में) में सामान्य "कामन" सुविधा (यथा :- सीवर लाइन, पानी की लाइन आदि) में आच्छादित भूमि 20% (खुले क्षेत्रफल का) मानते हुए उस भूमि का मूल्य सभी किरायेदारों से समानुपातिक (उस किरायेदार के आच्छादित क्षेत्रफल के) रूप से वसूल किया जाय। शेष 80% खुले क्षेत्रफल का मूल्य नीचे रहने वाले किरायेदारों से लिया जाय, परन्तु क्योंकि उस पर केवल भूतल पर ही निर्माण अनुमन्य किया जायेगा, इस 80% भूमि का आधा ही मूल्य लिया जाय। भूमि मूल्य की गणना उप प्रस्तर (1), अनुसार की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रश्नगत दो मंजिला भवन "स्वतंत्र" (इंडिपेंडेंट) है, तो समस्त भूमि का मूल्य उपरोक्त उप प्रस्तर (1), अनुसार ही लिया जायेगा, इस उप प्रस्तर अनुसार नहीं।

(4) जिस प्रकार उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/ निर्मित सम्पत्तियों का विक्रय के साथ-साथ फ्री-होल्ड की सुविधा भी लीजरेंट "प्रीपेड" करते हुए 2% अतिरिक्त धनराशि लेकर दी गयी है, उसी प्रकार विकास प्राधिकरणों

की इन अमितव्ययी आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों को विक्रय के साथ-साथ फ्री-होल्ड की सुविधा भी लीजरेंट ''प्रीपेड'' करते हुए 2% अतिरिक्त धनराशि लेकर दी जाय। परन्तु दो मंजिल या अधिक के भवनों (ऊपर-नीचे, अलग-अलग किरायेदार की स्थिति में) की भूमि को फ्री-होल्ड नहीं किया जायेगा, वरन शाश्वत लीज पर ही दिया जायेगा।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में पूर्व में किराये का भवन क्रय करने का आवेदन किया गया था तथा प्राधिकरण द्वारा जारी माँग-पत्र अनुसार आंशिक अथवा पूर्ण भुगतान किया जा चुका है वे पूर्ववत जारी रहेंगें, क्योंकि विधिक रूप में ''कान्ट्रेक्ट'' स्थापित हो चुका है तथा एकपक्षीय रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि पूर्व में जमा धनराशि के समायोजन न करने की सहमति के आधार पर पुनः आवेदन किया जाता है तभी नये आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-4872 (I)/9-आ-1-99/72 बैठक/98, तददिनाँक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फैज़ाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, झाँसी, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 5967/9-आ-1-99/72 बैठक/1998

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग -1 लखनऊ दिनाँक : 30 नवम्बर, 1999

विषय : विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी व्यावसायिक-अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4872/9-आ-1-99/72 बैठक/1998, दिनाँक - 04.11.1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह विर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निर्धारित/आंकलित मूल्य से दोगुने मूल्य पर व्यावसायिक सम्पत्तियों का भी निस्तारण किया जाय।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-5967(1)/9-आ-1-99, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

संख्या-4912/9-आ-1-99/32 हडको/97 टीसी

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,
   उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 04 नवम्बर, 1999

विषय : प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के निस्तारित न होने के कारण एवं उनके निस्तारण हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के निस्तारित न होने के कारणों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) सृजित की जा रही आवासीय परिसम्पत्तियों के निस्तारण के लिए सर्वप्रथम इच्छुक व्यक्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी परन्तु निम्न व्यवस्था सुनिश्चत की जाय :

(क) पंजीकरण धनराशि अनुमानित मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत होगी। पंजीकरण करते समय आवेदनकर्ता का बैंक खाता व बैंक शांखा का ब्यौरा लिया जायेगा।

(ख) विलम्बतम् 1 वर्ष में लॉटरी द्वारा सफल आवेदकों का चयन कर लिया जाना चाहिए। असफल आवेदकों को उनके बैंक खाते का विवरण सहित एकाउण्ट पेई चेक/ड्राफ्ट स्वतः भेज देना चाहिए जिसके लिए कोई आवेदन अलग से करने की आवश्यकता न हो।

(ग) निर्मित की जा रही परिसम्पत्तियों का 5 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण वर्ग के लिये बनाई जायेगी। यदि किसी वर्ग का न्यूनतम एक का कोटा बनता है तो न्यूनतम एक की प्रतीक्षा सूची बनाई जाय। प्रतीक्षा सूची भी लॉटरी की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष तक ही लागू रहेगी। यदि इस बीच प्रतीक्षारत व्यक्ति का चयन आवंटन के लिये नहीं हो पाता है तो उसकी धनराशि भी बिना किसी अन्य आवेदन के एकाउण्ट पेई चेक/ड्राफ्ट द्वारा बैंक खाते के विवरण पर भेज दिये जायेंगे।

(घ) प्रतीक्षा सूची की वैधता के दौरान किसी भी योजना में अवशेष सम्पत्ति उस योजना के प्रतीक्षारत व्यक्तियों के मध्य आवंटित की जायेगी।

(च) पुराने पंजीकृत ऐसे सभी आवेदक जो लॉटरी में असफल रहे हैं, को उनकी पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जाय। उनके यह पंजीकरण अन्य किसी आवंटन हेतु पात्र न होगा।

(2) प्रतीक्षा सूची समाप्त होने अथवा उसकी वैधता समाप्त होने पर किसी योजना में अनिस्तारित रह गयी सम्पत्ति को निम्न प्रक्रियानुसार आवंटित किया जाय।

(क) प्रत्येक त्रैमास के अन्त में उपरोक्तानुसार अनिस्तारित सम्पत्ति की एक सूची प्राधिकरण द्वारा जारी की जायेगी, जो कोई भी इच्छुक व्यक्ति निःशुल्क अथवा शुल्क सहित, जैसा भी तय किया जाय प्राप्त कर सकेगा। इस सूची में सम्पत्ति का प्रकार, मूल्य, आरक्षण श्रेणी यदि कोई हो, नम्बर व स्थिति उल्लिखित होगी। इस सूची को प्राधिकरण बोर्ड के सभी सदस्यों को तथा स्थानीय विधायकों तथा स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को सूचनार्थ निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) इन अनिस्तारित सम्पत्तियों को कैम्प के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा। अनिस्तारित परिसम्पत्तियों की सूची, परन्तु यदि यह सूची बहुत लम्बी हो तो योजनावार व श्रेणीवार उनकी संख्या उनके लगभग मूल्य सहित विज्ञापित की जाय और उन्हें कैम्प में पारदर्शी एवं समान अवसर वाली प्रक्रियानुसार प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त सिद्धान्त में आवंटित की जायें। आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्तियों का भी ब्यौरा दिया जाय।

(ग) कैम्प में पूर्वान्ह 11 से 1 बजे तक प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जाय और कैम्प में ही आवंटन पत्र निर्गत किया जाय। किसी भी परिसम्पत्ति के लिये एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में उनके मध्य उसी समय लॉटरी डालकर आवंटन किया जाय। असफल आवेदकों को उनके द्वारा पंजीकरण हेतु जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट उसी समय वापस कर दिया जाय।

(घ) भुगतान की शर्तें- इन्हें यथा सम्भव आकर्षक बनाया जाय। इसमें प्राधिकरण को अपने विवेक का उपयोग समस्त परिस्थितियों को देखते हुए करना होगा। परन्तु जो भी शर्तें निर्धारित की जायें, उनको विज्ञापन तथा आवेदन पंजिका के साथ उपलब्ध कराया जाय तथा समान रूप से लागू किया जाय।

(ङ) ऐसी सभी सम्पत्तियां जिनके निस्तारण/आवंटन के लिए दो से अधिक बार समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार के उपरान्त भी निस्तारण/आवंटन न हो पाया हो, तो उन्हें निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जाय:

(1) विकास कार्य लगभग पूर्ण- सड़क/विद्युत, जलापूर्ति, ड्रेनेज तथा मल निस्तारण की व्यवस्था लगभग पूर्ण हो गयी हो।

(2) विकास कार्य अपूर्ण-

प्रथम श्रेणी की सम्पत्तियों को एक प्रकार से अलोकप्रिय माना जा सकता है, अर्थात उनकी माँग की कमी है। जबकि द्वितीय श्रेणी की सम्पत्तियों की माँग अवस्थापना पूर्ण न होने के कारण भी कम हो सकती है। प्रथम श्रेणी की सम्पत्तियों का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाय :

आय वर्ग व अन्य प्रतिबन्ध : अलोकप्रिय सम्पत्तियों के आवंटन/निस्तारण हेतु आय वर्ग तथा सम्पत्तियों की संख्या के प्रतिबन्ध शिथिल रहेंगे। आरक्षण के प्रतिबन्ध भी नहीं रहेंगे।

प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त सिद्धान्त : अलोकप्रिय सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण विशेष कैम्प आयोजित कर विशिष्ट सम्पत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये जायें। ग्रुप में/बल्क में क्रय करने वालों को प्राथमिकता दी जाय परन्तु इस प्रकार से आवंटन में भी पारदर्शिता तथा सभी को समान अवसर सुनिश्चित किया जाय अर्थात् सम्पत्तियों की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से प्रचारित हो तथा विस्तृत विवरण विशेष कैम्प में प्रदर्शित हो।

(च) प्राधिकृत एजेन्ट व्यवस्था- प्राधिकरण की अनिस्तारित परिसम्पत्तियों के निस्तारण के समय यद्यपि विज्ञापन दिये जाते हैं परन्तु फिर भी यह सम्भावना होती है कि कोई इच्छुक आवेदक उन्हें न देख पाये अथवा किन्हीं अन्य कारणों से उस समय उपस्थित न हो पाये। इसलिये अनिस्तारित परिसम्पत्तियों के लिये आवेदन प्राधिकरण के प्राधिकृत एजेन्ट के माध्यम से भी कराने की व्यवस्था की जाये। प्राधिकरण के द्वारा जारी त्रैमासिक सूची के आधार पर प्राधिकृत एजेन्ट इच्छुक व्यक्ति का आवेदन एकत्र कर सकेगा और उन्हें प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी कैम्प में आवंटन हेतु प्रस्तुत कर सकेगा। एजेन्ट केवल अपनी फीस ही आवेदक से ले सकेगा परन्तु प्राधिकरण को देय पंजीकरण धनराशि आदि का बैंक ड्राफ्ट प्राधिकरण के ही नाम का ले सकेगा। एजेन्ट को कोई कमीशन प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जायेगा। एजेन्ट के माध्यम से प्राप्त तथा सीधे प्राप्त आवेदनों को प्राधिकरण द्वारा आवंटन हेतु एक समान ही व्यवहृत किया जायेगा। प्राधिकृत एजेन्ट नियुक्त करने के विषय में मार्गदर्शक सिद्धान्त शासन द्वारा शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

(3) सम्पत्तियों का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक न हो :- सम्पत्तियों के मूल्य में प्रत्येक वर्ष ब्याज जोड़ते हुए मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार मूल्य बढ़ते-बढ़ते कभी-कभी बाजार मूल्य से अधिक हो जाता है और सम्पत्ति बिकना असम्भव हो जाता है। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किया जाय। इस हेतु निम्न व्यवस्था की जाय :

1. यदि विकास कार्य पूर्ण है अथवा सुगमता से पूर्ण किये जा सकते हैं, तो सम्पत्ति का मूल्य बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित किया जाय तथा तद्नुसार सम्पत्ति उपरोक्त प्रक्रियानुसार बेची जाय।

2. यदि विकास कार्य तथा निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा पूर्ण करने के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें यथा स्थिति 'बल्क' में बेचने का प्रयास किया जा सकता है। इस हेतु बाजार मूल्य का आंकलन करते हुए आरक्षित मूल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय तथा सील्ड निविदा द्वारा निस्तारण किया जाय। इस पैकेज में इस पाकेट के आंतरिक विकास तथा निर्माण कार्य उसी को पूर्ण करने होंगे। आंतरिक विकास कार्य को पूर्ण करने के लिये आवश्यक न्यूनतम व्यय का आंकलन करना होगा ताकि 'डेवलपर' लाभ हानि देख सकें। परन्तु ट्रंक (बाह्य) विकास कार्य प्राधिकरण को ही करने होंगे।

यदि प्राधिकरण अवशेष विकास कार्यों को पूरा करने की स्थिति में है, तो पाकेटवार विकास कार्य पूर्ण करते हुए विक्रय किया जाय।

(4) कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने कर कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या - 4912(1)/9-आ-1-99/32 हडको/97 टीसी तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।.
2. आवास सचिव शाखा के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आवास बन्धु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
सचिव।

संख्या-4912 (2)9-आ-1-99/32हडको/97टीसी

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ दिनाँक : 04 नवम्बर, 1999

विषय : भविष्य हेतु नीति जिससे विकास प्राधिकरण, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का निस्तारण शीघ्र हो सके।

महोदय,

सम्पत्तियों के लम्बे समय तक अनिस्तारित बने रहने से होने वाले दुष्प्रभाव के कारण शासन द्वारा इस विषय पर सम्यक रूप से विचार किया गया कि भविष्य में कैसी नीति अपनाई जाय जिससे सृजित सम्पत्तियां शीघ्र ही निस्तारित हो सकें। सृजित परन्तु अनिस्तारित परिसम्पत्तियों में प्राधिकरण का निवेश फँसा रहता है जिस पर ब्याज बढ़ता जाता है और सम्पत्ति के मूल्य में भी ह्रास होता है ऐसी स्थिति में न केवल परिसम्पत्ति का मूल्य बढ़ता है परन्तु जनता को भी समय से भवन/भूखण्ड नहीं मिल पाते हैं। अतएव ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों का विकास एवं निर्माण तेजी से व निर्धारित समय पर पूरा हो तथा बिना माँग के या बिना माँग वाली परिसम्पत्तियां तैयार न की जायें। विलम्ब किन परिस्थितियों में होता है उनके कारणों का विश्लेषण करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :

1. भूमि अर्जन में विलम्ब के कारण तथा रेफरेंस/अपीलों में प्रतिकर वृद्धि के कारण सम्पत्तियों का मूल्य बढ़ता है जिसके कारण वे अनार्थिक हो जाती है। इसके निराकरण हेतु आवश्यक है कि निगोसिएशन द्वारा ही भूमि क्रय/अर्जित की जाय। प्रतिकर नकद तथा विकसित भूमि के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की जाय। सीमित मात्रा में भूमि-अर्जन में कम्पनसेटरी एफ०ए०आर० की व्यवस्था भी की जाय।

2. किसी योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना की सर्विसेज का मास्टर प्लान बनाया जाय। बिना उक्त प्लान कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। इस प्लान को यथा सम्भव अर्जन के समय ही बनाया जाय ताकि अर्जन के समय ही यह सुनिश्चित हो जाये कि सेवायें उचित लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अन्यथा बाद में कभी-कभी सेवाओं की व्यवस्था अत्यधिक लागत पर उपलब्ध करानी पड़ जाती है जो आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। सर्विसेज का मास्टर प्लान जल निगम से बनवाया जाय अथवा उनकी सहमति प्राप्त हो।

3. योजना के निर्माण कार्य/विकास कार्यों में उचित ताल-मेल बनाया जाय। इस हेतु ट्रंक सर्विसेज का मास्टर प्लान, एक साथ लिये जाने वाले कार्यों/एक निविदा में लिये जाने वाले कार्य निर्धारित करें, ताकि विभिन्न कार्यों में तालमेल रहे। निर्माण व विकास कार्य के बेहतर तालमेल के लिये पाकेटवार एकीकृत निविदा हो, जिसमें उस पाकेट के विकास तथा निर्माण कार्य दोनों सम्मिलित हों।

4. प्राधिकरण/परिषद सामान्यतः भवन का निर्माण कार्य नहीं करे। भवन निर्माण की योजना शासन/बोर्ड के निर्देश/ अनुमति से ही ली जा सकेगी। बहुमंजिले (भूतल+2 से अधिक) निर्माण शासन की अनुमति के उपरान्त ही किये जायें। भवन निर्माण कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना प्रोत्साहित किया जाय।

5. दुर्बल आय-वर्ग आवासों का निर्माण : अनिस्तारित सम्पत्तियों में लगभग 60 प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग की है, (i) सामान्यतः दुर्बल आय वर्ग के लिये भवन न बनाकर विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जायें। (ii) यदि भवन बनाये ही जायें तो कुछ सेवायें यथा शौचालय तथा जलापूर्ति सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध कराये जायं ताकि मूल्य सीमित रहे। भवन मूल्य किसी भी दशा में दुर्बल आय वर्ग की लागत सीमा से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। (iii) किसी श्रेणी की अनिस्तारित सम्पत्तियों की संख्या 500 से अधिक होने पर उस श्रेणी की सम्पत्तियां निर्मित न की जायँ। जब तक इनकी संख्या 300 तक कम न हो जाय।

6. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-4912(3)/9-आ-1-99/32 हडको/97 टीसी तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. आवास सचिव शाखा के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आवास बन्धु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-5140/9-आ-1-99/699डीए/1998

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ दिनाँक :18 नवम्बर, 1999

विषय : उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों में मा० विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद को, जिन्हें पूर्व में कोई सम्पत्ति आवंटित न की गयी हो, को लखनऊ, गाजियाबाद अथवा अपने निवास के समीपस्थ/समीपवर्ती विकास प्राधिकरण अथवा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजनाओं में उनके आवेदन पर उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता पर भवन/भूखण्ड आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-4982/9-आ-1-99-79बैठक/99

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ दिनाँक : 17 दिसम्बर, 1999

विषय : उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-138 सीएम/9-आ-1-99-10 मिस/88, दिनाँक 23 नवम्बर, 94 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों/भवनों के आवंटन में निम्न प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है :-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद, व स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	05
6.	उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलाँग व्यक्ति	01
	योग	66

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिये 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरणस्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजैण्टल होगा।

3. वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने की तिथि को 60 वर्ष की आयु पार कर ली है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें और समय-समय पर उक्त व्यक्तियों के लिए किये गये आवंटन का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-4982(1)/9-आ-1-99, तद्दिनांक।

उपर्युक्त शासनादेश की प्रति प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-271/9-आ-1-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ दिनाँक : 15 फरवरी, 2000

विषय : वितथ समाधान योजना - एक बार समाधान (O.T.S.)।

महोदय,

विभिन्न विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद के ऐसे आवंटियों क्रेताओं एवं ऋणग्रहीताओं जो भुगतान में वितथि (डिफाल्टर) हैं, द्वारा दण्ड ब्याज की माफी का प्रायः आवेदन किया जाता है। केस-टू-केस आधार पर इन पर निर्णय में समय भी लगता है तथा एकरूपता भी नहीं रहती है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि एक माह की अवधि के लिये 'एक बार समाधान (One Time Settlement) योजना' चलाई जायें जिसके लिये एक माह की अवधि रखी जाय। इसमें निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :-

(I) सिद्धान्त :

1. जो भी भुगतान का शिड्यूल दिया गया था, और यदि निर्धारित तिथि/ तिथियों तक भुगतान नहीं किया गया है तो वितथ की अवधि का ब्याज निम्न दर, जो हडको की ब्याज दरों पर आधारित है, से बिना दण्ड ब्याज ले लिया जायेगा :

(क) साईट्स एवं सर्विसेज के भूखण्डों तथा ई०डब्लू०एस० के भवनों हेतु - 10.5 प्रतिशत
(ख) अल्प आय वर्गीय भवनों हेतु - 13.5 प्रतिशत
(ग) अन्य भवन/भूखण्ड/व्यावसायिक सम्पत्ति/अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति हेतु - 16.5 प्रतिशत

उपरोक्त दर से वितथ की अवधि का सामान्य ब्याज देय होगा। किये गये किसी भी भुगतान की तिथि को उस दिन तक के कुल बकाया (मूल व ब्याज) में से भुगतान की गयी धनराशि को घटाते हुए ही आगे का ब्याज जोड़ा जायेगा। प्रतिवर्ष 31 मार्च को कुल बकाये की स्थिति का आंकलन किया जायेगा, परन्तु प्रारम्भ से ही कोई दण्ड ब्याज नहीं जोड़ा जायेगा। उदाहरण संलग्नक-क पर दिया गया है।

2. भुगतान हेतु निर्धारित शिड्यूल (चाहे किस्तों का हो अथवा एकमुश्त का) के आधार पर ही वितथ अवधि का ब्याज आंगणित किया जायेगा। यदि भुगतान हेतु किसी स्टेज पर कोई सुविधा दी गयी हो, कम ब्याज दर पर, अथवा बिना ब्याज के, तो वह भी यथावत् दी जायेगी परन्तु यदि पूर्ण ब्याज माफी की कोई विशेष व्यवस्था की गयी हो तो वह प्रकरण इस ओ०टी०एस० में तभी शामिल हो सकेगा

जब ब्याज माफी की व्यवस्था अलग रखी जाय। उपरोक्त दोनों में विरोधाभास दूर करने के लिये स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम श्रेणी वह है जहाँ पर ब्याज की देयता ही समाप्त कर दी गयी हो अर्थात् ब्याज का आंगणन ही न किया जाना हो। दूसरी श्रेणी वह है जहाँ ब्याज का आंगणन होता है परन्तु उसे पूरा या आंशिक रूप में माफ करने का निर्णय लिया गया था।

(II) देय धनराशि का आंकलन :

उपरोक्त सिद्धान्त पर समाधान (OTS) हेतु देय धनराशि का आंकलन प्राधिकरण/परिषद द्वारा कम्प्यूटर से आंकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र **संलग्नक-ख** में अपने पूर्ण विवरण पेमेंट शिड्यूल, भुगतान चालान की फोटोप्रतियाँ (प्रमाणीकरण हेतु मूल प्रति भी) सहित कम्प्यूटर काउण्टर पर आना होगा, जहाँ कम्प्यूटर से छपा हुआ आंगणन पत्र (Calculation-Memo) उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(III) भुगतान एवं आवेदन :

उपरोक्त आंगणन पत्र के आधार पर धनराशि निर्धारित बैंक/प्राधिकरण/परिषद खाते में जमा कर चालान की प्रतिलिपि सहित निर्धारित आवेदन पत्र प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदन कर्ता के बैंक खाते का विवरण भी लिया जायेगा, ताकि रिफण्ड की स्थिति में क्रास चेक से स्वतः भुगतान जारी किया जा सके।

(IV) अंतिम समाधान :

योजना की समाप्ति से दो माह के अन्दर सभी आवेदन पत्रों पर अंतिम स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। इसे अवगत कराने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करते समय ही 2 से 4 सप्ताह की एक तिथि पावती के साथ ही सूचित कर दी जायेगी, जिस दिन उन्हें स्वीकृति/आपत्ति पत्र दिया जायेगा। आपत्ति पत्र में आवश्यक ब्यौरे सहित आपत्तियॉं अंकित की जायेंगी जिनका निराकरण कर पुनः काउण्टर पर ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जायेगा। उपलब्ध अधिकारी द्वारा उसी दिन/समय अथवा अन्य निर्दिष्ट स्थिति पर अंतिम रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत कर दिया जायेगा। अस्वीकृति की स्थिति में जमा की गयी धनराशि एकाउण्ट पेई चेक द्वारा बिना किसी अन्य आवेदन के भेज दी जायेगी।

2. इस शासनादेश के निर्गत होने से पूर्व जिन आवंटियों/संस्थाओं द्वारा देय ब्याज/दण्ड ब्याज तथा मूल की धनराशि पूर्ण रूप से जमा की जा चुकी है, उनके मामलों को नहीं खोला जायेगा। परन्तु यदि केवल आंशिक रूप से जमा है तो आवेदन किया जा सकता है, परन्तु किसी भी मामले में इस योजना के प्राविधानों के अनुसार रिफण्ड की स्थिति बनने पर भी रिफण्ड देय नहीं होगा तथा उसी स्तर पर समाधान स्वीकृत किया जायेगा। यह योजना की महत्वपूर्ण शर्त है।

3. यह योजना केवल एक माह की अवधि के लिये ही दिनाँक 22 फरवरी, 2000 से 22 मार्च, 2000 तक के लिये खोली जायेगी। योजना हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस योजना का व्यापक प्रचार कराया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें तथा प्राधिकरण/परिषद को भी अपने बकाया प्राप्त करने में अधिक से अधिक सफलता मिल सके। योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि इसके प्रारम्भ से पूर्व सभी तैयारी/व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जाय। कम्प्यूटर आदि की भी समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

4. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने हेतु शिविर लगाया जाय। प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों का योजनावार ब्यौरा कम्प्यूटर पर रखा जाये ।

5. यह योजना सफल हो और इसका लाभ जनता को मिले, इसके लिये उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त स्वयं दैनिक/साप्ताहिक मानीटरिंग करेंगे। शासन स्तर पर जब सभी विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की बैठक होगी, तब इस योजना का भी अनुश्रवण क्रिया जायेगा।

6. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

INTEREST CALCULATION MEMO FOR O.T.S.

संलग्नक-क

Name : Mr. Rajeev Bhatnagar
Scheme : Vikas Nagar Extension

Plot No. : 11/181
Category : OTH

Instalment Details

Amount (in Rs.) : 25000.00
Periodiciy : 6

Rate of Interest : 16.50
Number : 6

OTS Amount if Paid On/By : February 14, 2000 Rs. 67489.00

Instalment Date	Outstanding On date	Instalment Due	Total Due	Amount Paid Date		Balance Due Amount	Interest till next date	Total c/f to to next date
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/01/1997	0.00	25000.00	25000.00	//	0.00	25000.00	689.00	25689.00
//	25689.00	0.00	25689.00	03/03/1997	25000.00	689.00	37.00	726.00
01/07/1997	726.00	25000.00	25726.00	//	0.00	25726.00	105.00	25831.00
//	25831.00	0.00	25831.00	10/07/1997	25000.00	831.00	66.00	897.00
01/01/1998	897.00	25000.00	25897.00	//	0.00	25897.00	2119.00	28016.00
01/07/1998	28016.00	25000.00	53016.00	//	0.00	53016.00	4386.00	57402.00
//	57402.00	0.00	57402.00	31/12/1998	25000.00	32402.00	15.00	32417.00
01/01/1999	32417.00	25000.00	57417.00	//	0.00	57417.00	2336.00	59753.00
//	59753.00	0.00	59753.00	01/04/1999	25000.00	34753.00	1430.00	36183.00
01/07/1999	36183.00	25000.00	61183.00	//	0.00	61183.00	6306.00	67489.00
14/02/2000	67489.00	0.00	67489.00	//	0.00	67489.00	0.00	67489.00

..................विकास प्राधिकरण संलग्नक (ख)

डिफाल्ट के एक बार समाधार (O.T.S.) योजना हेतु आवश्यक सूचना

1. Name : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. House/Plot No. : ________ 3. Name of Scheme : ________

4. Category of House/Plot : ☐☐☐ 5. कुल मूल्य/संशोधित मूल्य रु० ________

Instalment Details किस्तों का विवरण

5. यदि सभी किस्तें समान हैं :

Amount : Rs. ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ Rate of Interest : ☐☐ ☐☐

Periodicity : मासिक/त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक Number : ☐☐☐

First Instalment Due Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

6. यदि किस्तों की धनराशि भिन्न-भिन्न है अथवा देयता का समय मासिक/त्रैमासिक आदि नहीं है।

Instalment Amt. : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amt. : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amt. : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amt. : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amt. : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amt. : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

7. भुगतान हेतु यदि कोई विशेष आदेश दिये गये हों, तो उनका ब्यौरा :

____

____

____

____

____

PAYMENT DETAILS भुगतान विवरण

भुगतान धनराशि भुगतान तिथियाँ

Payment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Payment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Payment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Payment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Payment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Payment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

संलग्नक :

(i) किस्तों/मूल्य की सूचना पत्र दिनाँक................ की प्रतिलिपि

(ii) भुगतान की रसीदों की प्रतिलिपियों। संख्या.........

हस्ताक्षर ________

नाम ________

पत्राचार हेतु पता ________

____

____

भरने हेतु निर्देश :-

1. मूल्य का विवरण यदि परिवर्तित हुआ हो तो संशोधित विवरण अनुसार ही दें।

2. यदि सभी किस्तें एक समान हैं तथा उनकी देयता त्रैमासिक/मासिक/छःमाही/वार्षिक है तो क्रमांक-5 में भरें। यदि किस्तों की धनराशि अलग-अलग है अथवा देयता का समय मासिक/त्रैमासिक आदि अनुसार नहीं है तो क्रमांक-6 भरें। यदि दोनों का मिश्रण है तो तद्नुसार दोनों भरें ।

3. यदि किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष आदेश दिये गये हों - जैसेः किसी निर्धारित अवधि का ब्याज न लिया जाना, निर्धारित अवधि का ब्याज कम दर से लिया जाना, अथवा मूल्य में कमी/वृद्धि किया जाना, तो उसका ब्यौरा क्रमांक-7 पर दें । यदि ब्याज में कोई माफी पूर्व में दी गयी होगी तो वह इसमें लागू न होगी। एक ही सम्पत्ति पर दो बार ब्याज माफी नहीं दी जा सकेगी। सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि भी संलग्न करें ताकि निर्णय लिया जा सके।

4. यह योजना केवल मूल्य के बारे में है। अन्य देयताएं, यदि कोई हों, पर यह लागू नहीं है। उसका भुगतान सामान्य रूप में अलग से करना होगा।

5. Category of House/Plot :

1. साईट्स एवं सर्विसेज के भूखण्डों तथा ई०डब्लू०एस० के भवनों हेतु - EWS
2. अल्प आय वर्गीय भवनों हेतु - LIG
3. अन्य भवन/भूखण्ड/व्यवसायिक सम्पत्ति/अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति हेतु - OTH

संख्या 1282/9-आ-1-1 वि०/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 24 अप्रैल, 2000

विषय : वितथ समाधान योजना - एक बार समाधान (ओ०टी०एस०)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 15 फरवरी, 2000 द्वारा वितथ समाधान योजना के सम्बन्ध विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे और शासनादेश दिनाँक 29/30 मार्च, 2000 द्वारा योजना की अवधि दिनाँक 30 अप्रैल, 2000 तक बढ़ाई गयी थी। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन को यह अवगत कराया गया है कि कुछ परिस्थितियों में इस योजना के अन्तर्गत सामान्य धनराशि से अधिक देयता बन रही है जिससे योजना की सफलता में कठिनाई आ रही है। उक्त परिस्थितियों में योजना के प्राविधानों में पुनर्विचार करने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में योजना के प्राविधानों पर पुनर्विचार किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त योजना के सिद्धान्तों में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) आवंटन के समय के मूल्य की निर्धारित ब्याज दर पर नैट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) निकाली जाय। इसी प्रकार जितने भी भुगतान विभिन्न तिथियों में किये गये हैं उनकी भी नैट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) निकाली जाय जिसे मूल्य के नैट प्रजेन्ट वैल्यू से घटाने पर वर्तमान में शुद्ध देयता निकलेगी और उसी आधार पर ओ०टी०एस० किया जाये।

(2) यह सिद्धान्त सभी को उपलब्ध होगा अर्थात् नये मामले के साथ-साथ पुराने मामलों में भी लागू किया जा सकता है किन्तु कोई रिफन्ड देय नहीं होगा।

3. उक्त योजना दिनाँक 31-5-2000 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिये कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि एकरूपता बनी रहे।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें। इसका व्यापक प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 2461/9-आ-1-1 विविध/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 29 मई, 2000

विषय : वितथ समाधान योजना - एक बार समाधान (ओटीएस)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 15 फरवरी, 2000 द्वारा वितथ समाधान योजना के सम्बन्ध विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे और जिसे कालान्तर में बढ़ाकर 31 मई, 2000 तक कर दिया गया था। इस योजना के उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे हैं और योजना काफी जनप्रिय हो रही है। परन्तु अभी समुचित प्रचार के अभाव में जनसामान्य में जानकारी पहुंचने में समय लग रहा है। इस सम्बन्ध में कई विकास प्राधिकरणों तथा जन प्रतिनिधियों से यह अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उक्त योजना की अवधि कुछ और समय के लिए बढ़ा दी जाय।

उपरोक्त को देखते हुए शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उक्त योजना दिनांक 30 जून, 2000 तक चालू रहेगी। इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनुरोध करना है कि उक्त योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त हुये हैं और कितनी धनराशि ओटीएस के अन्तर्गत जमा की गई है, इसकी सूचना कृपया प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 15.02.2000 में यह स्पष्ट किया गया था कि किसी स्टेज पर भुगतान हेतु कोई सुविधा दी गई थी, यथा कम ब्याज पर अथवा बिना ब्याज के, तो वह भी यथावत् रहेगी। कुछ प्राधिकरणों द्वारा उठायी गई जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

(क) यदि किसी अवधि के ब्याज का मारेटोरियम दिया जाता था, तो सम्पत्ति मूल्य की NPV आगणित करते समय वह अवधि सम्मिलित नहीं की जायेगी। परन्तु भुगतान की NPV में परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) यदि सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु मूल्य अथवा उसमें सम्मिलित ब्याज किन्हीं कारणों से फ्रीज किया गया था, तो आगणित NPV सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य से अधिक नहीं होगी, अर्थात् मूल्य तक ही सीमित रखी जायेगी।

(ग) यदि सम्पत्ति निस्तारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भुगतान में कोई विशेष व्यवस्था की गई थी - यथा 25% भुगतान उपरान्त कब्जा देय, तथा शेष भुगतान कब्जे के उपरान्त किस्तों में था, तो कब्जे के उपरान्त अवधि पर ही अवशेष मूल्य (यथा 75%) की NPV आगणित की जायेगी।

इस प्रकार की विशेष व्यवस्था अन्तर्गत आगणन मेमो प्राधिकरण द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी की चेकिंग उपरान्त उसके हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। इन व्यवस्थाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-3
संख्या-403/9-आ-3-2000-197 एल0ए0/99 टी0सी0
लखनऊ : दिनाँक 18 फरवरी, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा लम्बे समय से यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपनी योजना के लिये अधिकांशतः जो भी भूमि अर्जित की गयी है अथवा भूमि अर्जन का प्रस्ताव शासन को समय-समय पर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, उनमें ऐसी समस्यायें/बाधाएं सम्मुख आती हैं, जिससे यह आभास होता है कि योजना के लिये स्थल चयन करते समय ऐसी बातों पर पूर्व में गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता है कि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि कहाँ तक उद्देश्योन्मुखी होगी, जनता द्वारा इस पर विकसित भूखण्ड एवं निर्मित भवन की ग्राह्यता होगी अथवा नहीं ? आर्थिक दृष्टि से योजना लाभप्रद होगी अथवा नहीं ? अर्जित भूमि पर मूलभूत अवस्थापना का सृजन एवं जन सुविधाओं का विकास सम्भव होगा या नहीं आदि।

अतः उक्त समस्याओं के निवारण एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयोगिता, उपयुक्तता तथा ग्राह्यता आदि को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि स्थल चयन के परीक्षण हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाय। कोई भी भूमि अधिग्रहण/ क्रय का प्रस्ताव इस समिति द्वारा भूमि उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त ही तैयार किया जायेगा ।

1. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हेतु

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	अध्यक्ष
2. परिषद के मुख्य वास्तुविद नियोजक	सदस्य
3. परिषद के मुख्य अभियन्ता	सदस्य
4. परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त (भूमि)	सदस्य
5. सम्बन्धित नगर के प्रभारी अधीक्षण, अभियन्ता जल निगम।	सदस्य

2. विकास प्राधिकरणों हेतु

1. सचिव, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण	सदस्य
3. मुख्य नगर नियोजक, प्राधिकरण/सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।	सदस्य
4. सम्बन्धित नगर के प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता जल निगम।	सदस्य
5. अपर जिलाधिकारी(भूमि अर्जन)/विशेष भूमि अध्यापि्त अधिकारी	सदस्य

(यदि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता उपलब्ध नहीं है तो निकटवर्ती प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता उनके स्थान पर प्रतिनिधित्व करेंगे)

उक्त स्थल चयन समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श किया जायेगा और अपनी अनुशंसा यथास्थिति उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अथवा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी : -

1. योजना प्रस्तावित करने से पूर्व योजना के आकार, उपयुक्तता, उपयोगिता तथा ग्राहिता का सम्यक रूप से आंकलन।
2. योजना के एप्रोच रोड में किसी प्रकार की बाधा न हो एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना न हो ।

3. योजना में जल निकास की पर्याप्त सम्भावना हो एवं उस क्षेत्र के एच०एफ०एल० से नीची न हो ताकि योजना में किसी प्रकार का जल भराव अथवा जल ठहराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

4. योजना में सीवर ट्रीटमेंट के पश्चात् एकत्रित एफ्लूएण्ट निस्तारण के लिए प्राकृतिक स्रोत या वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो।

5. प्रस्तावित भूमि में पूर्व निर्मित भवनों/ स्ट्रक्चरों की संख्या ऐसी न हो कि योजना के स्वरूप पर अथवा अधिग्रहण की कार्यवाही पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

6. किसी अन्य कारण से अपेक्षित उद्देश्य हेतु उचित न हो ।

7. यथा सम्भव योजना के प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना में निर्दिष्ट भू उपयोग का अध्ययन करके ही अर्जन हेतु भूमि/स्थल का प्रस्ताव किया गया हो जिसमें अनावश्यक समय व्यर्थ न हो।

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब भू अर्जन से सम्बन्धित शासन को जो भी प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे उन्हें उक्त स्थल चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर यथास्थिति उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद/सम्बन्धित विकास प्राधिकरण स्तर पर बोर्ड की बैठकों के माध्यम से समुचित निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही प्रेषित किया जायेगा।

ऐसे सभी मामले जिनमें भू अर्जन अधिनियम की धारा-4 अथवा समतुल्य अधिसूचना जारी नहीं हुई हो, में इस समिति से परीक्षण करा लिया जाय तथा आख्या उपलब्ध कराई जाय। कृपया तात्कालिक प्रभाव से उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-403(1)/9-आ-3-2000 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
8. आवास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

प्राथमिकता

संख्या : 1506/9-आ-5-2000-7ई/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 17 जून, 2000

विषय : प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारी आवास समितियों को भूखण्डों के आवंटन में पारदर्शिता लाये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों/अभियन्ताओं ने अपनी निजी आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हेतु सहकारी आवास समितियाँ बनाई हैं तथा उनके द्वारा प्राधिकरणों से भूमि आवंटन का अनुरोध किया जाता है। ऐसे मामलों में आवंटन होने पर अनियमितता के आरोप लग जाना स्वाभाविक होता है, जिनसे शासन की छवि भी प्रभावित होती है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों की समिति को भूखण्डों के आवंटन में पारदर्शिता तथा जनता में प्राधिकरण की साख को बनाये रखने के लिये यह व्यवस्था प्राविधानित करने का आदेश देते हैं कि प्राधिकरण के कार्मिकों द्वारा निर्मित किसी भी सहकारी आवास समिति को प्राधिकरण की भूमि आवंटित करने के प्राधिकरण के बोर्ड के किसी भी प्रस्ताव व निर्णय पर शासन की पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। शासन के अनुमोदनोपरान्त ही प्राधिकरण के बोर्ड का प्रस्ताव निर्णय विधिमान्य होगा। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। यही व्यवस्था उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद में भी लागू होगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-4065ए/9-आ-1-99-99 वि०199

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 4 सितम्बर, 1999

विषय : विकास प्राधिकरणों की आवंटियों तथा अन्य के ऊपर बकाये की धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति विगत वर्षों में चिंता का कारण बनी है। इसका कारण जहां एक तरफ विकास प्राधिकरणों द्वारा अनिस्तारित सम्पतियों का निस्तारण न किया जाना है, वहीं दूसरी ओर विकास प्राधिकरणों द्वारा बकाये की धनराशि की वसूली की दिशा में पर्याप्त कार्यवाही न किया जाना भी है। कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनानुसार विकास प्राधिकरणों की काफी धनराशि आवंटियों तथा अन्य के ऊपर बकाया है, जिसकी वसूली की कार्यवाही तत्परता के साथ किया जाना नितान्त आवश्यक है।

2. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि जहां एक तरफ अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से किया जाय, वहीं विकास प्राधिकरणों का यह भी दायित्व है, वे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली बकाया धनराशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस हेतु उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-40 में अंकित प्राविधानों के अनुसार बकाये की धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल कराया जा सकता है। अतएव आप ऐसे सभी देयकों, जो अन्यथा नहीं वसूले जा पा रहे हैं अथवा सुगमता से नहीं वसूले जा सकते हैं, को इन प्राविधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूलने की कार्यवाही कर सकते हैं, परन्तु रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व एक नोटिस समाचार-पत्र के माध्यम से जारी किया जाये, जिसमें बकाया का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर दिया जाय कि निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या-4065A(1)/9-आ-1- तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सदस्य, राजस्व परिषद (श्री वी. एन. चन्ना) उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके अर्द्ध.शा.पत्र सं०-139/नि०सं०-1999 दिनांक 16 जुलाई, 1999 के संदर्भ में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राम वृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या-2976/9-आ-1-2000-91वि०/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 27 जून, 2000

विषय : विकास प्राधिकरणों के आवंटियों तथा अन्य के ऊपर बकाये की धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4065/9-आ-1-99-91 वि0/99 दिनाँक 4 सितम्बर, 1999 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा विकास प्राधिकरणों की चिन्ताजनक वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से प्राधिकरणों के बकाये की धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा इस दिशा में सार्थक प्रयास किये गये हैं और इसके उत्साहवर्धक परिणाम भी सामने आये हैं।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस वसूली कार्यक्रम को प्राधिकरण स्तर पर एक अभियान के अन्तर्गत चलाया जाय जिससे वसूली में गतिशीलता आ सके और प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ हो सके। प्राधिकरण की बकाया धनराशि को प्राप्त करने हेतु भू-राजस्व की तरह इसकी वसूली एक सशक्त विकल्प है। विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ पर कब्जा देने के उपरान्त भी बकाये की वसूली नहीं हो पा रही है वहाँ पर आर०सी० के माध्यम से वसूली ही बेहतर विकल्प है।

3. कृपया निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार संलग्न प्रारूप पर इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुए चालू वित्तीय वर्ष की त्रैमासिक सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :-

1. 30 जून, 2000 की स्थिति 1 जुलाई, 2000 को ।
2. 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति 1 अक्टूबर, 2000 को।
3. 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति 1 जनवरी, 2001 को ।
4. 31 मार्च, 2001 की स्थिति 1 अप्रैल, 2001 को।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-2976/9-आ-1-2000-91 वि०/99, तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सदस्य, राजस्व परिषद (श्री वी० एम० खन्ना) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

- -2000

बकाया देयों की भू-राजस्व की भाँति वसूली

1. विकास प्राधिकरण का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. आलोच्य माह ☐☐-☐☐-2000

3. ***1999-2000 के अन्तर्गत***

(क) प्रेषित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर०सी०) (संख्या) ☐☐☐☐

(ख) प्रेषित आर०सी० की कुल धनराशि (रु० लाख) ☐☐☐☐☐ ☐☐

(ग) वसूल की गयी आर०सी० (संख्या) ☐☐☐☐

(घ) वसूल की गयी आर०सी० की कुल धनराशि (रु० लाख) ☐☐☐☐ ☐☐

4. ***2000-01 के अन्तर्गत आलोच्य माह तक***

(क) प्रेषित आर०सी० (संख्या) ☐☐☐☐

(ख) प्रेषित आर०सी० की कुल धनराशि (रु० लाख) ☐☐☐☐☐ ☐☐

(ग) वसूल की गयी आर०सी० (संख्या) ☐☐☐☐

(घ) वसूल की गयी आर०सी० की कुल धनराशि (रु० लाख) ☐☐☐☐☐☐☐☐

(च) लम्बित आर०सी० (संख्या) ☐☐☐☐☐☐

(छ) लम्बित आर०सी० की कुल धनराशि (रु० लाख) ☐☐☐☐☐ . ☐☐

संख्या-3600/9-आ-3-99-20 एल० ए०/1992

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 — लखनऊ : दिनाँक : 16 अक्टूबर, 1999

विषय :- निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नीति निर्धारित करते हुए पूर्व में जारी शासनादेश संख्या : 1470/9-आ-3-98-20एल०ए०x92, दिनांक 02.6.98 में यह व्यवस्था है कि यदि धारा-4/17 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की विज्ञप्ति से पूर्व सहकारी आवास समिति ने भूमि क्रय कर ली हो तो समायोजन की सुविधा अनुमन्य हो सकती है किन्तु देखने में यह आया है कि भू-अर्जन प्रस्ताव से लेकर धारा-4 की अधिसूचना जारी होने में वर्तमान परिस्थितियों में लगभग दो वर्ष तक का समय लग जाता है जिसके फलस्वरूप सहकारी समितियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से वहाँ भूमि क्रय करना आरंभ कर दिया जाता है।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी आवास समितियों के समायोजन की सुविधा तभी अनदुमन्य की जाय जब उन्होंने भूमि धारा-4 की विज्ञप्ति के दिनांक से कम से कम 18 माह पूर्व पंजीकृत बैनामे द्वारा क्रय की हों। पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या-3600(1)/9-आ-3-99 तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि० लखनऊ।
(4) आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम,
उप सचिव।

2

नजूल भूमि का प्रबन्धन एवं फ्री-होल्ड

संख्या-441/9-आ-4-99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
लखनऊ/देहरादून

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक : 29 जनवरी, 1999

विषय :- नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनाँक 1-12-98 के संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन0/97 दिनाँक 1-12-98 में फ्री-होल्ड आवेदन पत्र के साथ फ्री-होल्ड हेतु देय धनराशि का 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रतिलिपि के साथ आवेदन पत्र देने की व्यवस्था की गयी है इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन जनपदों में सर्किल रेट दिनाँक 30-11-90 से 29-11-91 के मध्य परिवर्तित हुए हैं वहाँ स्व-मूल्यांकन की धनराशि सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट देते हुए आकलित नहीं की जायेगी। 30 प्रतिशत की छूट फ्री-होल्ड हेतु देय धनराशि पर ही अनुमन्य होगी। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि फ्री-होल्ड हेतु शुद्ध देय धनराशि में समायोजित की जायेगी।

उर्पयुक्त के अतिरिक्त मुझे आपको यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 1-12-98 के माध्यम से नजूल भूमि के फ्री-होल्ड की नीति दिनाँक 1-12-98 से 31-1-99 तक लागू की गई थी अर्थात इस नीति के तहत आवेदन पत्र 31-1-99 तक ही स्वीकार किये जा सकते थे। चूँकि दिनाँक 31-1-99 को सार्वजनिक अवकाश (रविवार) पड़ रहा है। अतः फ्री-होल्ड हेतु आवेदन पत्र दिनाँक 1-2-99 तक स्वीकार किये जायें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

पृष्ठ संख्या-441(1)/9-आ-4-99/ तददिनाँक।

प्रतिलिपि - समस्त मण्डलायुक्तों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त व्यवस्था से अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अविलम्ब फैक्स/दूरभाष से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
राजकुमार सिंह
अनुसचिव।

संख्या-481/9-आ-4-99-704 एन०/97 टी०सी०

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 30 जनवरी, 1999

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98/704 एन/97, दिनाँक 1-12-98 में फ्री-होल्ड हेतु निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु सरलीकृत नीति शासनादेश संख्या -2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनाँक 1-12-98 के माध्यम से लागू की गयी थी तथा इस नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम अवधि दिनाँक 31-1-99 निर्धारित थी। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विशेष परिस्थितियों में उक्त नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा को एक माह हेतु अर्थात 28 फरवरी, 1999 तक बढ़ाया जाता है। दिनाँक 28 फरवरी, 1999 को सार्वजनिक अवकाश (रविवार) होने के कारण आवेदन पत्र दिनाँक 1-3-99 तक स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-481(1)/9-आ-4-तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
3. गोपन अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-1115/9-आ-4-99-704एन/67टी०सी०(5)

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 12 मार्च, 1999

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-988/9-आ-4-99/704 एन०/97, टी०सी० (5) दिनाँक 3 मार्च, 1999 में फ्री-होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय के सम्बन्ध में। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु सरलीकृत नीति शासनादेश संख्या -2268/9-आ-4-704एन/97, दिनाँक 1-12-98 के माध्यम से लागू की गयी थी तथा इस नीति के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनाँक 31-1-99 को शासनादेश संख्या 481/9-आ-4-99-704एन0/97 टी०सी० (5) दिनाँक 30 जनवरी, 1999 द्वारा दिनाँक : 01-03-1999 तथा शासनादेश संख्या-988/9-आ-4-99-704एन०/97टी०सी०(5) द्वारा दिनाँक 12-03-1999 तक बढ़ाई गयी थी तदनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुंत किये जाने की समय सीमा को दिनाँक 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाता है।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-1115(1)/9-आ-4-99, तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग -6
3. गोपन अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-1753/9-आ-4-99-704एन०/97टी०सी०

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक : 15 जून, 1999

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1595/9-आ-4-99-704 एन०/97, दिनाँक 22 मई, 1999 में फ्री-होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन0/97, दिनाँक 1-12-98 को व्यवस्थान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की समय सीमा का विस्तार शासनादेश संख्या-1595/ 9-आ-4-99-704एन०/97 दिनाँक 22 मई, 1999 के माध्यम से दिनाँक : 15 जून, 1999 तक के लिये किया गया था।

इस सम्बन्ध में जनपदों से समय सीमा के विस्तार के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की समय सीमा का विस्तार दिनाँक 30 जून, 1999 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार फ्री-होल्ड प्रकरणों में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-1753(1)/9-आ-4-99, तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-6

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या-1718/9-आ-4-99-399एन०/99

प्रेषक,

जावेद अहतेशाम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/मंसूरी-देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक : 22 जून, 1999

विषय : शासनादेश दिनाँक 1-12-98 को व्यवस्थानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 19-3-99 के कारण बाधित होने के फलस्वरूप निर्गत डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष्य धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि शासनादेश दिनाँक 1-12-98 की व्यवस्थानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों में निर्गत डिमाण्ड नोटिस की धनराशि उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 19-3-99 से फ्री-होल्ड की कार्यवाही स्थगित होने के कारण 90 दिन की अवधि के अन्दर नहीं जमा कराई जा सकी है इस प्रकार उन्हें 90 दिन के अन्दर भुगतान न होने पर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन आवेदक गणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 19-3-99 से फ्री-होल्ड की कार्यवाही बाधित होने के कारण डिमाण्ड नोटिस की धनराशि 90 दिन के अन्दर नहीं जमा की जा सकी है उन्हें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर धनराशि जमा किये जाने की स्थिति में 20 प्रतिशत की छूट का लाभ प्रचलित व्यवस्थानुसार अनुमन्य किया जाय।

कृपया तदनुसार उक्त श्रेणी के फ्री-होल्ड प्रकरणों में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका समुचित प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या-1895/9-आ-4-99-293एन०/90

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ/देहरादून विकास प्राधिकरण

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 7 जुलाई, 1999

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड किये जाने विषयक विधिक डीड जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-1803/9-आ-4-95-293एन0/90, दिनाँक 26 सितम्बर, 1995 के माध्यम से नजूल भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के विलेख का प्रारूप "क" एवं "ख" पूर्व में भेजा गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदोपरान्त शासनादेश संख्या 667/9-आ-4-98-671 एन/97, दिनाँक 23-4-98 तथा शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन0/97, दिनाँक 1-12-98 में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि "फ्री-होल्ड की समस्त कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1557-59/98 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी"। इसी क्रम में शासनादेश संख्या-549/9-आ-4-99, दिनाँक 29-1-99 द्वारा विधिक डीड में भी इसी बात का उल्लेख कर कार्यवाही किये जाने के स्पष्ट आदेश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में पुनर्विचार कर यह मत स्थिर किया गया है कि उपरोक्त का उल्लेख विधिक डीड में किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः शासनादेश दिनाँक 29-1-99 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

चूँकि अब वर्तमान नजूल नीति के अन्तर्गत नजूल भूमि के फ्री-होल्ड की सुविधा अवैध कब्जेदार/स्थानीय निकाय के किरायेदार एवं रेंट कन्ट्रोल के किरायेदार के पक्ष में अनुमन्य की गयी है इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा विचारोपरान्त फ्री-होल्ड विलेख प्रपत्र "क" एवं "ख" में आवश्यक संशोधन करते हुए संशोधित विलेख के प्रपत्र "क" एवं "ख" की प्रति इस शासनादेश के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के फ्री-होल्ड विक्रय विलेख का निष्पादन संलग्न संशोधित प्रपत्रों पर कराया जाना सुनिश्चित करें । जो विलेख पूँजीकृत किये जा चुके हैं पुनरोघाटित (Reopen) नहीं किये जायेंगे।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

प्रपत्र "क"

पट्टागत नजूल भूमि के फ्री-होल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्री-होल्ड के प्रमाण पत्र का यह अभिलेख सन् 1999 ई० के .... माह के .... वें दिन, तदनुसार शक् सम्वत् .... के मास के .... वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चलकर "विक्रेता" कहा गया है) तथा श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी... निवासी ग्राम/मोहल्ला .... डाकखाना ....तहसील............................. जिला .... (जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूँकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं श्री .... के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनाँक .... जो बही संख्या .... जिल्द संख्या.................. के पृष्ठ .... से................ पर विलेख संख्या .... के रूप में सब रजिस्ट्रार .... जनपद .... के कार्यालय में दिनाँक .... को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे "पट्टा विलेख" कहा गया है और जिसमें राज्यपाल को "पट्टादाता" और श्री ...., को पट्टेदार कहा गया है) के अनुसार क्रेता पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है, का पट्टेदार/पट्टेदार से पट्टागत भूमि का क्रेता/अनुबन्ध गृहीता/नामित व्यक्ति है।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख को अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसका कि वह पट्टेदार/क्रेता/अनुबन्ध गृहीता/नामांकिति (नामित व्यक्ति) अवैध कब्जेदार /स्थानीय निकाय का किरायेदार /रेंट कन्ट्रोल का किरायेदार है, प्रदेश को नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तार विषयक शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293 एन०/90, दिनाँक 23-5-92, शासनादेश संख्या-3632/9-आ-4-92-293 एन०/90, दिनाँक 2-12-92, शासनादेश संख्या-2093/ 9-आ-293 एन०/90, दिनाँक 3-10-94, शासनादेश संख्या-3082/9-आ-4-95-628 एन०/95, दिनाँक 1-1-96, शासनादेश संख्या-82/9-आ-4-96-629 एन0/95, दिनाँक 17-2-96, शासनादेश संख्या-1300/9-आ- 4-96-629 एन0/95 (टीसी), दिनाँक 28-8-96 शासनादेश संख्या -2029/9-आ-4-97-260 एन0/97, दिनाँक 26-9-97, शासनादेश संख्या 667/9-आ-4-98-691/97 टी0सी0, दिनाँक 23 अप्रैल, 1998, शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन0/97, दिनाँक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या- 1592/9-आ-4-99-691 एन0/97 टी0सी0, दिनाँक 20-5-99 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री-होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण जनपद .... को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनाँक 01 दिसम्बर, 1998 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये .... (शब्दों में रुपये .... मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या .... दिनाँक ....द्वारा तथा दिनाँक ....को निर्गत माँग पत्र की धनराशि रुपये .... (शब्दों में रुपये ....मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या .... दिनाँक .... द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रुपये .... (शब्दों में रुपये .... मात्र) क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, जनपद .... आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं ।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट (1895 ई० का एक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्री-होल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रुपये .... (शब्दों में रुपये .... मात्र) जनपद .... स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतदद्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता

पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतदद्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, को महायोजना में विनिर्दिष्ट .... भू उपयोग के निमित्त फ्री-होल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दायाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के समबन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेता" के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा "क्रेता" में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितीयों का अन्तरभाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... वर्ग मी0 स्थित मोहल्ला .... जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

पूर्व ....

पश्चिम ....

उत्तर...

दक्षिण ....

फ्री-होल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये .... (शब्दों में रुपये .... मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या .... दिनाँक .... द्वारा तथा माँग पत्र की धनराशि रुपये .... (शब्दों में रुपये ....मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या .... दिनाँक ... . द्वारा कुल रुपये .... (शब्दों में रुपये ....मात्र) जमा कर दिया है।

क्रेता के हस्ताक्षर

नाम..

पता..

राज्यपाल की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

1. साक्षी का हस्ताक्षर............................
पूरा नाम.......................................

1. साक्षी का हस्ताक्षर........................
नाम व पदनाम ....
पता ....

2. साक्षी का हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पता ....

2. साक्षी का हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....

प्रपत्र "ख"

नजूल भूमि के फ्री-होल्ड का विलेख (नीलामी/निविदा द्वारा)

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्री-होल्ड में प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 1999 .... ई० के .... मास के .... वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् .... के मास के .... दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चलकर "विक्रेता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ग्राम/मुहल्ला .... डाकखाना .... तहसील .... जिला ....(जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूँकि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड का सन् 1999 .... ई० के...................... मास के .... दिन सार्वजनिक नीलामी/ निविदा शासनादेश संख्या -667/9-आ-4-98-691 एन0/97 टी०सी०, दिनाँक 23-4-98 एवं शासनादेश संख्या 2268/9-आ-4-98-704 एन0/98, दिनाँक 1-12-98 एवं शासनादेश संख्या-1592/9-आ-4-99-691 एन/97 टी0सी0, दिनाँक 20-5-99 की व्यवस्थान्तर्गत हुआ था और सार्वजनिक नीलाम/निविदा में यह भूखण्ड आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन क्रेता को .... रुपये (शब्दों में रुपये ....एवं .... पैसे केवल) के मूल्य पर विक्रय किया जाना था, अतः विक्रेता ने क्रेता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड संख्या .... आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्य देना (फ्री-होल्ड करना) स्वीकार कर लिया है। जनपद .... की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में इस भूखण्ड को आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है, अतः विक्रेता द्वारा क्रेता से अपेक्षा की जाती है कि क्रेता अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आस-पास की भूमि के भू उपयोग के अनुसार ही करेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या-15 के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्री-होल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को रुपये ....(रुपये ....केवल) .... स्थिति राजकीय कोषागार में चेक/बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या ....दिनाँक .... द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है, और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न रेखा चित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्री-होल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दयाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन की दिनाँक से इसकी अनुसूची में वर्णित नजूल भुखण्ड पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार प्रयोग या हस्तांतरित कर सकेगा। भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षी या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा क्रेता वहन करेगा।

फ्री-होल्ड का यह विलेख रिट याचिका संख्या-32605/91, सत्यनारायण कपूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में पारित निर्णय दिनाँक 15 अक्टूबर, 1997 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका

संख्या-1557-1559/98 में पारित हाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द ''विक्रेता'' और ''क्रेता'' के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, ''विक्रेता'' में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा ''क्रेता'' में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तरभाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत जिलाधिकारी ने उस तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल भूखण्ड/खसरा संख्या .... स्थित मोहल्ला .... कुल रकबा ....जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब :-

पश्चिम :-

उत्तर :-

दक्षिण :-

फ्री-होल्ड के लिये क्रेता ने सम्पूर्ण धनराशि रुपया .... सरकारी कोषागार ....में चालान संख्या ....दिनांक .... द्वारा जमा कर दी है।

क्रेता के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

साक्षी (1) ....

साक्षी (2) ....

राज्यपाल की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

साक्षी (1) ....

साक्षी (2) ....

संख्या-41-एम०एम०/9-आ-4-99-477 एन/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 13 अक्टूबर, 1999

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों में संशोधन हेतु अवसर प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने विषयक आवेदन-पत्रों में यदि आवेदित प्रयोजन हेतु फ्री-होल्ड किया जाना अनुमन्य नहीं है और तद्नुसार आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी अवस्था में आवेदक/पट्टेदार यदि किन्हीं अन्य अनुमन्य प्रयोजन के लिए फ्री-होल्ड करने का आवेदन करना चाहता है तो उसे पूर्व आवेदन-पत्र को तद्नुसार संशोधित करने का अवसर प्रदान कर दिया जाय क्योंकि शासन की मूलभूत मंशा यह है कि अधिक से अधिक पट्टागत नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किया जाय। अतएव यदि किसी मामले में आवेदित प्रयोजन हेतु फ्री-होल्ड किया जाना नीति अनुसार अनुमन्य नहीं है तो ऐसे आवेदन-पत्रों का प्रयोजन संशोधित कराने (नये आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी) का प्रयास किया जाय तथा उनका निस्तारण नीति अनुसार सुनिश्चित किया जाय। इसका प्रचार भी किया जाय ताकि सभी लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या-41एम०एम०(1)/9-आ-4-99-477/एन/99 तद् दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- अपर निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम,
उप सचिव।

संख्या-1012/9-आ-4-99-75 एन/97

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक 11 नवम्बर, 1999

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के संदर्भ में शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पूर्व में जारी किये गये अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस के सम्बन्ध में ....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-509/9-आ-4-99-704 एन/टी०सी० दिनाँक 2 फरवरी, 1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व नीति के तहत सामान्य दर पर फ्री-होल्ड हेतु डिमाण्ड नोटिस निर्गत की गयी और इसके सापेक्ष सम्बन्धित पक्ष द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी तत्पश्चात् पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पुनः अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस चाहे वह शासनादेश दिनाँक-1-12-1998 के पहले निर्गत की गयी हो अथवा बाद में और उसके सापेक्ष कोई धनराशि जमा नहीं की गयी हो तो ऐसे प्रकरणों में पूर्व जमा धनराशि पर ही फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जाय तथा पुनः निम्न अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस को निरस्त किया जाय।

शासनादेश संख्या-509/9-आ-4-99-704 एन/टी०सी०।
दिनाँक-2 फरवरी, 1999 एतद्द्वारा इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

प्राथमिकता

संख्या-3545/9-आ-4-1999

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
   विकास प्राधिकरण, लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 3 दिसम्बर, 1999

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड की धनराशि हेतु लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि पूर्व के पट्टेदार फ्री-होल्ड की कार्यवाही में रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप धनराशि जमा होने में कठिनाई आ रही है। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि फ्री-होल्ड की कार्यवाही में गति लाने के उद्देश्य से निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

(1) जिन पट्टेदारों के पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने नजूल नीति के तहत फ्री-होल्ड के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिया है तो इन्हें फ्री-होल्ड कराने हेतु नोटिस दी जाय। इसके पश्चात भी यदि फ्री-होल्ड नहीं कराया जाता है तो विधिक प्रक्रिया के अनुसार बेदखली की कार्यवाही करते हुए भूमि पर पुनर्प्रवेश किया जाय।

(2) रिक्त भूमि की नीलामी की जाय। यदि अनाधिकृत कब्ज़े हों तो मुक्त कराये जायें। नीलामी की धनराशि आरक्षित धनराशि से कम न हो। यदि नीलामी में निर्धारित धनराशि से कम बोली लगती है तो भूमि की पुनः नीलामी कराई जाय।

(3) फ्री-होल्ड कराने के लिये जनता में समुचित प्रचार तथा प्रसार किया जाय एवं पट्टेदारों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कठोरता से अनुपालन करें, जिससे कि लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-2961/9-आ-4-99 350 एन/99 टी०सी०

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ, देहरादून-मंसूरी विकास प्राधिकरण, उ० प्र०।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक 03 दिसम्बर, 1999

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु दिनाँक 30.6.1999 के उपरान्त आवेदकों से दिनाँक 1.4.1994 को प्रचलित सर्किल रेट लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के समक्ष विभिन्न जनपदों से इस आशय की विभिन्न जिज्ञासाएं की गयी हैं कि शासनादेश संख्या -2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनाँक 1.12.98 की व्यवस्थानुसार नजूल भूमि के फ्री-होल्ड हेतु स्वमूल्यांकन के आधार पर 25 प्रतिशत धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराकर दिनाँक 30 जून, 1999 तक आवेदन किये जाने पर भूमि के मूल्य का आकलन दिनाँक 30 नवम्बर, 1991 के सर्किल रेट पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है किन्तु उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त स्वमूल्यांकन की निर्धारित धनराशि जमा न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में किस वर्ष के सर्किल रेट पर मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 2029/9-आ-4-97-269 एन/97, दिनाँक 26 सितम्बर, 1997 के प्रस्तर 5 (ख) के अन्तर्गत पूर्व में यह व्यवस्था की गयी थी कि दिनाँक 18.8.1997 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर 01 अप्रैल, 1994 के प्रचलित रेट पर फ्री-होल्ड हेतु मूल्य की गणना की जायेगी। शासनादेश दिनाँक 1.12.98 द्वारा एक निर्धारित समय के लिये 30.11.91 के सक्रिल रेट लागू किये गये थे व समय-समय पर बढ़ाई गयी 30 जून, 1999 तक की बढ़ाई गयी समय सीमा के उपरान्त 1.4.94 के सक्रिल रेट से ही अनुमन्य हो गये हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान नीति शासनादेश दिनाँक 1.12.98 के अन्तर्गत दिनाँक 30.6.1999 के बाद पट्टागत नजूल भूमि के फ्री-होल्ड हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर दिनाँक 1.4.1994 के प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही फ्री-होल्ड मूल्य की गणना की जायेगी।

3. ऐसे आवेदक जिनके द्वारा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि दिनाँक 30.6.1999 तक ट्रेजरी चालान द्वारा जमा की जा चुकी है परन्तु आवेदन इस तिथि के बाद परन्तु 15 दिसम्बर, 1999 तक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उनके प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर-2 की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनाधिकृत कब्जों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनाँक 1.12.1998 के प्रस्तर-7 में निहित व्यवस्थानुसार विनियमितीकरण/ फ्री-होल्ड की कार्यवाही आवेदन के समय के अद्यतन सर्किल रेट पर ही की जायेगी।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-3761/9-आ-4-2000-6जी०/2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 3 जनवरी, 2000

विषय : नजूल भूमि फ्री-होल्ड हेतु स्टैम्प पेपर पर टंकित हो चुके विलेखों के निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित शासनादेशों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाँक 10.8.99 के

1. संख्या-1803/9-आ-4-95-293 एन/90, दिनाँक 26.9.95
2. संख्या-1895/9-आ-4- 99-293 एन/90, दिनाँक 7.7.99
3. संख्या-2097/9-आ-4-99-293 एन/90, दिनाँक 10.8.99

प्रस्तर-4 में, वर्तमान में यह निर्देश दिये गये हैं कि फ्री-होल्ड की सरलीकृत नीति शासनादेश दिनाँक 1.12.98 के अन्तर्गत फ्री-होल्ड के ऐसे मामले जिनमें पूरी धनराशि जमा होने के पश्चात शासनादेश दिनाँक 7.7.99 के पूर्व में लागू फ्री-होल्ड विक्रय-विलेख प्रपत्र पर विलेख टंकित करा लिया गया हो परन्तु किन्हीं कारणों से विलेख निष्पादन नहीं हो पाया हो, की सूचना शासन को भेजी जायेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में अब सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों को शासन को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

इस समस्या के व्यावहारिक समाधान हेतु स्टैम्प पेपर पर टंकित हो चुके विलेख में निम्न अंश और बढ़ा दिये जायें :-

"प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-1562/9-आ-4-92-293 एन/90, दिनाँक 23.5.92 एवं तत्पश्चात समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी सुसंगत शासनदेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री-होल्ड भूमि घोषित करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में की जा रही यह फ्री-होल्ड की कार्यवाही मा० उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1557-59/95 राज्य सरकार बनाम सत्यनारायण कपूर में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन होगी।"

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

संख्या-3723/9-आ-4-99-606एन/99

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग -4

लखनऊ : दिनाँक 5 जनवरी, 2000

विषय : पट्टावधि समाप्त नजूल भूमि के बैनामा होने के उपरान्त अंतिम क्रेता के "टाइटिल" की वैधता स्पष्ट न होने की स्थिति में फ्री-होल्ड की व्यवस्था।

महोदय,

शासन के संज्ञान में कई ऐसे प्रकरण लाये गये हैं जिनके नजूल भूमि के पट्टे की सम्पूर्ण अवधि समाप्त हो चुकी है और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में बीच में कई बार विक्रय/हस्तान्तरण होने के बाद अन्तिम क्रेता द्वारा फ्री-होल्ड हेतु आवेदन किया गया है परन्तु वह अपने "टाइटिल" की वैधता स्थापित करने के लिए पट्टेदार द्वारा प्रथम हस्तान्तरण से अन्तिम हस्तान्तरण/ विक्रय की "लिंक" स्थापित करने के लिए सभी हस्तान्तरण अभिलेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्रेता के रूप में फ्री-होल्ड किये जाने में कठिनाई है। ऐसे कुछ मामलों में यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या ऐसे क्रेता को अवैध कब्जेदार मानते हुए उनके लिए निर्धारित व्यवस्था अनुसार फ्री-होल्ड किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए इस प्रस्तावित कार्यवाही पर समाचार-पत्र के माध्यम से सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित कर ली जाय जो अपने को उस भूमि का पट्टेदार मानते हों अथवा उसके अधिकार रखने का दावा रखते हों । यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस पर विचार करते हुए गुण/अवगुण के आधार पर उसके दावे पर निर्णय करते हुए फ्री- होल्ड के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा अन्यथा अन्तिम क्रेता के भूखण्ड पर कब्जे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अवैध कब्जेदार मानते हुए फ्री-होल्ड पर विचार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या -2261/9-आ-4-96-704 एन/97, दिनाँक 1 दिसम्बर, 1998 के प्रस्तर-7 (4) का लाभ, यदि लागू हो तो अनुमन्य होगा।

2. कृपया उपरोक्त व्यवस्थानुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-3729/9-आ-4-1999

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ/मंसूरी-देहरादून ।
4. **मुख्य नगर अधिकारी,**
   समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. **अधिशासी अधिकारी,**
   समस्त नगर पालिका परिषद/पंचायत,
   उत्तर प्रदेश।
6. **मुख्य अधिशासी अधिकारी,**
   समस्त जिला पंचायत,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग -4 लखनऊ : दिनाँक 6 जनवरी, 2000

विषय : स्थानीय निकायों द्वारा उनके प्रबन्धाधीन नजूल भूमि के दुरूपयोग रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3632/9-आ-4-92-293 एन/90, दिनाँक 2 दिसम्बर, 1992 के प्रस्तर-2(2), जिसमें नजूल भूमि/सम्पत्ति नगर पालिका अथवा नगर महापालिकाओं द्वारा किराये या अस्थाई पट्टे पर दिये जाने की प्रथा को समाप्त करने तथा किराये अथवा अस्थाई पट्टे पर दी हुई सम्पत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी :-

"नजूल भूमि/सम्पत्ति को नगर पालिकाओं अथवा नगर महापालिकाओं द्वारा किराये या अस्थाई पट्टे पर दिये जाने की प्रथा को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। ऐसी सम्पत्ति/भूमि जो पूर्व में नगरपालिकाओं/नगर महापालिकाओं द्वारा किराये अथवा अस्थाई पट्टे पर दी हुई है (जिनका कोई पट्टा-विलेख नहीं हुआ है) को निर्धारित दरों के अनुसार अनिवार्य रूप से फ्री-होल्ड कर दिया जायेगा। फ्री-होल्ड पर प्राप्त करने का पहला अधिकार उन लोगों को होगा जिनके पक्ष में भूमि किराये पर दी गयी है यदि वे सहमत नहीं होते तो उन्हें बेदखल करके भूमि का निस्तारण नीति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।" परन्तु फिर भी इस प्रकार के दृष्टांत सामने आये हैं कि इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा "ब्रीच आफ ट्रस्ट" की श्रेणी में आती है क्योंकि भूमि शासन की सम्पत्ति है तथा स्थानीय निकायों को केवल प्रबन्धन के लिये दी गयी है। उसे बिना शासन की अनुमति के निस्तारित अथवा अन्यथा खुर्द-बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

इस गंभीर स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा अपेक्षा की जाती है कि सभी सम्बन्धित स्थाई निकायों को उनके मुख्य अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाय कि नजूल भूमि के सम्बन्ध में बिना शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के पट्टे या किरायेदारी या अन्य किसी भी प्रकार का निस्तारण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना पूरी तरह प्रतिबन्धित है। यदि नजूल भूमि के विषय में स्थानीय निकाय द्वारा कोई कार्यवाही आदेशों के उल्लंघन में की जाती है तो यह मुख्य अधिशासी अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा तथा उनके विरुद्ध "ब्रीच आफ ट्रस्ट" का आपराधिक कृत्य मानते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। समस्त अधिकारी सभी सम्बन्धित स्थानीय निकायों के मुख्य अधिशासी अधिकारी से निर्देशों के संज्ञान की पुष्टि करा लें तथा भविष्य में कोई भी अवहेलना प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव।

संख्या-3729(1)/9-आ-4-99 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास विभाग तथा सचिव, पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से पृष्ठांकित है कि वे कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव।

संख्या-3865/9-आ-4-99-433एन/97

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, (नगर निगम क्षेत्र)
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, वाराणसी, मेरठ,
मुरादाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, गाजियाबाद तथा लखनऊ।

3. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 10 जनवरी, 2000

विषय : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2311/9-आ-4-97-433एन/97, दिनाँक 15 सितम्बर, 1997 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(1) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आशय योजना के अर्न्तगत निर्वाद रूप से रिक्त नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रु0 300/- प्रति वर्ग मी० से अधिक नहीं है, चयनित किये जाने की शर्त रखी गयी थी तथा इसी शासनादेश के प्रस्तर-2(5) में यह भी शर्त रखी गयी थी कि योजना के लिए स्थान चयन के उपरान्त नजूल भूमि के आवंटन का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जायेगा तथा शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 15.9.1997 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निर्बाध रूप से रिक्त चयनित नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रु० 300/- प्रतिवर्ग मी० से अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अपने स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(5) में आवंटन प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।
कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-3865(1)/9-आ-4-99-433 एन/97 तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-200/9-आ-4-2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश
3. उपाध्यक्ष,
   मसूरी-देहरादून/लखनऊ
   विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : 18 जनवरी, 2000

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित रु० 5 लाख से कम की धनराशि होने पर किस्तों की सुविधा अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 82/9-आ-96-629एन/95, दिनांक 17 फरवरी, 1996 तथा संख्या- 623/9-आ-4-96-629एन/95, दिनांक 2 अप्रैल, 1996 में आवासीय औद्योगिक, कार्यालय तथा यातायात प्रयोजन आदि की श्रेणी की नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित धनराशि रु० 5 लाख से अधिक की ही होने की दशा में किस्तों की सुविधा अनुमन्य की गयी है। अब प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हेतु रु० 5 लाख से कम आंकलित धनराशि के मामलों में भी आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर चार छमाही किस्तों में (दो वर्ष में) 15 प्रतिशत साधारण ब्याज लेकर भुगतान करने की सुविधा आवेदक को प्रदान की जायेगी।

2. उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों में उल्लिखित अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा उक्त व्यवस्था से समस्त निकायों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-203/9-आ-4-2000

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
मसूरी-देहरादून/लखनऊ

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : 20 जनवरी, 2000

विषय : अनाधिकृत/अवैध अध्यासियों के पक्ष में अद्यतन सर्किल रेट पर नजूल भूमि फ्री-होल्ड किए जाने तथा अनाधिकृत अध्यासियों द्वारा एक मुश्त धनराशि 90 दिन के अन्दर जमा कर दिये जाने पर 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य नहीं होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक-1.12.98 के प्रस्तर-7 में अवैध कब्जों को विनियमित किए जाने हेतु अवैध अध्यासियों के पक्ष में नजूल भूमि अद्यतन सर्किल रेट के आधार पर फ्री-होल्ड किए जाने के निर्देश किए गये हैं इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अद्यतन सर्किल रेट का आशय, जिस तिथि को अवैध अध्यासी द्वारा नजूल भूमि फ्री-होल्ड हेतु नियमानुसार 25 प्रतिशत स्वमूल्याँकन की धनराशि जमा कर आवेदन किया गया है, उस तिथि को प्रभावी सर्किल रेट से है।

2- यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में अनाधिकृत अध्यासियों द्वारा एक मुश्त धनराशि 90 दिन के अन्दर जमा कराये जाने पर 20 प्रतिशत छूट की व्यवस्था नहीं है। अतः उक्त छूट अवैध अध्यासियों को अनुमन्य नहीं है।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदन पत्रों को, जिनमें अद्यतन सर्किल रेट के आधार पर फ्री-होल्ड होना है तथा सर्किल रेट में परिवर्तन हुआ है/होता है तो, ऐसे परिवर्तन के एक माह के अन्दर या अब से एक माह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाय अन्यथा आवेदन पत्र की तिथि के समय तथा निस्तारण की तिथि के समय सर्किल रेट्स में अन्तर्निहित धनराशि दोषी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूली जायेगी।

4- कृपया उपरोक्त स्थिति से समस्त स्थानीय निकायों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

समयबद्ध/महत्वपूर्ण संख्या-563/9-आ-4-2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : 10 फरवरी, 2000

विषय : स्थानीय निकायों व उनके किरायेदारों के फ्री-होल्ड हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास बन्धु (लखनऊ) में दिनांक-19.1.2000 से दिनांक 22.1.2000 तक हुई नजूल समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनेकों जनपदों में स्थानीय निकाय व किरायेदारों के पक्ष में नजूल भूमि फ्री-होल्ड किये जाने सम्बन्धी प्रकरण लम्बित हैं और चर्चा में यह भी तथ्य आया कि यदि स्थानीय निकाय अपने पक्ष में नजूल भूमि फ्री-होल्ड नहीं कराते हैं और किरायेदारों के पक्ष में अनापत्ति भी नहीं देते हैं तो ऐसे मामलों में शासनादेश संख्या-3731/9-आ-4-2000-17 जी/99, दिनांक 4 जनवरी, 2000 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत फ्री-होल्ड नहीं हो सकता है।

2. आपसे अनुरोध है कि आप अपने जनपद से सम्बन्धित ऐसे प्रकरणों का विवरण उपलब्ध कराते हुए यह सूचित करें कि ऐसे मामलों में शासन को प्राप्त होने वाली कितनी धनराशि प्रभावित होगी।

3. कृपया उपरोक्त विवरण शासन को दिनांक 15 फरवरी, 2000 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वस्तुस्थिति से मा० आवास मंत्री जी को अवगत कराया जा सके।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-1471/9-आ-4-2000-30एन/96

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश
3. उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून/लखनऊ
विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : 29 अप्रैल, 2000

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड विक्रय विलेख के निष्पादन में स्टैम्प ड्यूटी में छूट-विलेख का निष्पादन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पट्टागत नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किये जाने के क्रम में फ्रीहोल्ड विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने पर देय स्टाम्प में छूट दिये जाने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2000 (प्रति संलग्न) निर्गत की जा चुकी है। चूँकि शासनादेश. संख्या 2268/9-आ-4-98-704एन/97 दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही मा० उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। अतः निष्पादित की जाने वाली फ्रीहोल्ड विषयक विधिक डीड में उक्त शर्त का भी समावेश कर दिया जाये।
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-1471(1)/9-आ-4-2000 एन/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5
संख्या-क०स०वि०5-1307/11/2000-500(80)/98
लखनऊ : दिनांक : 20 अप्रैल, 2000

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिये उक्त भूमि में पट्टावृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूचि 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभाव स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गई प्रतिफल की धनराशि से ऐसे नजूल भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभावी स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते हैं।

परन्तु यह कि यह अधिसूचना नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमंत्रण के द्वारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से संबन्धित मामलों में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये शब्द "प्रतिफल" का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिये, लिया गया हो, से है।

भवदीय,
टी० जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव।

संख्या क०नि०5-1307 (1)/11-2000-500(80)/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 20 अप्रैल, 2000 के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियां शासन के उस अनुभाग को तथा 50 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उ० प्र०, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से,
यू० के० ए० चौहान
विशेष सचिव।

संख्या क०नि०5-1307(2)/11-2000-500(80)/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक निबन्धन/अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० इलाहाबाद
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3. सचिव, आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन
4. विधायी अनुभाग-1

आज्ञा से,
यू० के० ए० चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-1472/9-आ-4-2000-51एन/2000

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश
3. उपाध्यक्ष,
   विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : 29 अप्रैल, 2000

विषय : नजूल भूमि पर निर्मित बहुमंजिले निर्माण को अलग-अलग किरायेदारों के पक्ष में फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय जिलों से यह जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि नजूल भूमि पर निर्मित बहुमंजिले निर्माण को अलग-अलग किरायेदारों के पक्ष में फ्री होल्ड किये जाने हेतु क्या नीति निर्धारित की जाये तथा उनसे क्या आनुपातिक धनराशि ली जाये। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि दो मंजिल या इससे अधिक मंजिला भवनों (ऊपर नीचे, अलग-अलग किरायेदार की स्थिति में) की भूमि को फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा, वरन् शाश्वत लीज पर ही दिया जायेगा। अर्थात यदि भूमि के एक क्षेत्र पर एक से अधिक स्वतंत्र (इन्डिपेन्डेन्ट) फ्लैट हैं तो फ्री होल्ड नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-1472(1)/9-आ-4-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, समस्त नगर प्रमुख, नगर निगम, उ० प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-1492/9-आ-4-2000-179एन/2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं देहरादून विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक 12 मई, 2000

विषय : नजूल नीति शासनादेश दिनांक 1.12.98 के पूर्व तथा वर्तमान नीति के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के किरायेदारों द्वारा फ्रीहोल्ड धनराशि जमा करने की सूचना।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न सूचनायें शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) (अ) स्थानीय निकाय के ऐसे किरायेदार जिन्होंने शासनादेश दिनांक 1-12-2000 में प्रसारित नीति के पूर्व नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया था और तद्नुसार आकलित सम्पूर्ण धनराशि भी उनके द्वारा जमा कर दी गयी थी तथा फ्री होल्ड विलेख निष्पादित न हुआ हो, ऐसे मामलों में अलग-अलग जमा धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(ब) यह भी अवगत कराया जाय कि उपरोक्त (अ) से सम्बन्धित कितने मामले ऐसे हैं जिनमें शासनादेश संख्या-3731/9-आ-4-92-293एन/90 दिनांक 4-1-2000 में निहित निर्देशों के अनुपालन में कुल कितने मामलों में से कितने मामलों में स्थानीय निकायों ने फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया अथवा अनापत्ति दी और कितने मामलों में उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे दोनों प्रकार के मामलों में कितनी-कितनी धनराशि निहित है।

(2) स्थानीय निकाय के ऐसे किरायेदार जिन्होंने वर्तमान नजूल नीति के अन्तर्गत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया है परन्तु इनके सम्बन्ध में स्थानीय निकायों द्वारा अभी तक अपनी अनापत्ति नहीं दी गयी है, और न ही उनके द्वारा स्वयं फ्री होल्ड हेतु आवेदन किया गया है। इस गतिरोध से लगभग कितनी फ्री होल्ड की धनराशि अवरुद्ध है।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

प्राथमिकता/फैक्स

संख्या-1491/9-आ-4-2000-62एन/2000

प्रेषक,

श्री जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 13 मई, 2000

विषय : रेन्ट कन्ट्रोल के किरायेदार जो फ्री-होल्ड कराने के पात्र हैं, सम्बन्धी सूचना का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को इस सूचना की तत्काल आवश्यकता है कि शासनादेश दिनांक 1-12-98 के प्रस्तर-10 के अन्तर्गत कितने रेन्ट कन्ट्रोल के किरायेदार वर्तमान में फ्री होल्ड कराने के पात्र है जिन्होंने नियमानुसार फ्रीहोल्ड के लिए आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। कृपया उक्त सूचना मण्डल के समस्त जनपदों को संकलित कराकर जनपदवार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। चूँकि प्रकरण अति महत्वपूर्ण है अतः यह सूचना एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-1491(1)/9-आ-4-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-1370/9-आ-4-2000-214एन/2000

प्रेषक,

श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
   विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 31 मई, 2000

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड हेतु निम्न डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष 90 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी धनराशि जमा न किये जाने की दशा में उसकी वसूली हेतु मार्ग दर्शन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नजूल भूमि फ्री-होल्ड सम्बन्धी शासनादेशों में प्रावधानों के अनुसार आवेदक को डिमाण्ड नोट जारी होने के 90 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट का प्राविधान किया गया है। कतिपय जनपदों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अनेकों आवेदकगण डिमाण्ड नोट जारी होने के 90 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी डिमाण्ड नोट की धनराशि जमा नहीं कर रहे हैं और न ही कोई सूचना ही दे रहे हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) जिन आवेदकों को डिमाण्ड नोट जारी किये जा चुके हैं और 90 दिन की अवधि पूर्ण हो चुकी है, उन्हें एक माह की नोटिस देकर धनराशि जमा करने के लिए कहा जाय।

(2) यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज के भुगतान के साथ समस्त धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी, किन्तु यह सुविधा भी आगामी दो माह तक ही उपलब्ध होगी।

(3) यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसके पश्चात ऐसे प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत जमा धनराशि को भी जब्त कर लिया जाय। नोटिस में यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि एक बार प्रार्थना पत्र निरस्त होने पर, पुनः प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, यदि उसे विचार योग्य पाया जाता है तो उस समय फ्री-होल्ड हेतु लागू सर्किल रेट के आधार पर ही फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

(4) जिन आवेदकों को अब डिमाण्ड नोट निर्गत किये जायें उनमें यह भी स्पष्ट इंगित कर दिया जाय कि यदि निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर समस्त अथवा प्रथम किस्त (यथास्थिति) की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसके पश्चात केवल आगामी दो माह के विलम्ब की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज भी देय होगा जिसके उपरान्त आवेदन को निरस्त करते हुए आवेदन की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-2201/9-आ-4-2000

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 30 जून, 2000

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड से प्राप्त आय सम्बन्धी जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों का प्रेषण।

महोदय,

नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण तथा राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हेतु शासनादेश संख्या -2117/9-आ-4-1999, दिनाँक-17 अगस्त, 1999 के द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर भेजे गये थे।

2. प्रकरण में अब शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी जनपदवार फॉट संलग्न है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष - 2000-2001 के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस कार्यवाही करते हुए लक्ष्य को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करने की समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-2201(1)/9-आ-4-2000 तद्दिनाँक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि, समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से इस सम्बन्ध में अपने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को समुचित निर्देश देते हुए निर्धारित लक्ष्य की शत्-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

नजूल भूमि फ्री-होल्ड से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लक्ष्यों के निर्धारण हेतु आधारभूत विवरण।

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3
	कुमायूँ	
1.	नैनीताल	0280
2.	उधमसिंह नगर	0160
3.	अल्मोड़ा	0009
4.	पिथौरागढ़	0130
5.	चम्पावत	–
6.	बागेश्वर	–
	योग	0579
	गढ़वाल	
7.	पौड़ी गढ़वाल	0044
8.	टिहरी गढ़वाल	–
9.	चमोली	–
10.	देहरादून वि० प्रा०	0270
11.	उत्तरकाशी	0008
12.	रुद्रप्रयाग	–
	योग	0322
	मेरठ	
13.	मेरठ	0380
14.	बुलन्दशहर	0045
15.	गाजियाबाद	0003
16.	गौतमबुद्ध नगर	0010
17.	बागपत	–
	योग	0438
	सहारनपुर	
18.	सहारनपुर	0106
19.	हरिद्वार	0056
20.	मुजफ्फरनगर	0010
	योग	0272
	बरेली	
21.	बरेली	0088
22.	बदायूँ	0022
23.	पीलीभीत	0013
24.	शाहजहाँपुर	0047
	योग	0170

क्र०सं०	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3
	मुरादाबाद	
25.	मुरादाबाद	0358
26.	बिजनौर	0001
27.	रामपुर	0005
28.	ज्योतिबाफुलेनगर	-
	योग	0364
	झाँसी	
29.	झाँसी	0041
30.	ललितपुर	0039
31.	जालौन	0075
	योग	0155
	आगरा	
32.	आगरा	0024
33.	अलीगढ़	0059
34.	एटा	0007
35.	मैनपुरी	0002
36.	फिरोज़ाबाद	0035
37.	मथुरा	0010
38.	हाथरस	0016
	योग	0364
	इलाहाबाद	
39.	इलाहाबाद	2500
40.	फतेहपुर	0140
41.	प्रतापगढ़	0002
42.	कौशाम्बी	-
	योग	2642
	कानपुर	
43.	कानपुर (देहात)	0004
44.	कानपुर (नगर)	0886
45.	इटावा	0060
46.	फर्रुखाबाद	0019
47.	कन्नौज	-
48.	औरैया	0012
	योग	0981

क्र०सं०	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3
	फैजाबाद	
49.	फैजाबाद	0095
50.	अम्बेडकर नगर	0003
51.	बाराबंकी	0050
52.	सुल्तानपुर	0200
	योग	**0348**
	गोरखपुर	
53.	गोरखपुर	0135
54.	देवरिया	0024
55.	महराजगंज	-
56.	कुशीनगर	0007
	योग	**0166**
	लखनऊ	
57.	लखनऊ वि० प्रा०	0739
58.	हरदोई	0029
59.	लखीमपुर खीरी	0121
60.	रायबरेली	0098
61	सीतापुर	0114
62.	उन्नाव	0002
	योग	**1103**
	चित्रकूट	
63.	चित्रकूट	0006
64.	बांदा	0050
65.	हमीरपुर	0004
66.	महोबा	0013
	योग	**0073**
	मिर्जापुर	
67.	मिर्जापुर	0006
68.	सोनभद्र	0090
69.	संत रविदास नगर	-
	योग	**0096**

क्र०सं०	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3
	वाराणसी	
70.	वाराणसी	0248
71.	गाजीपुर	0005
72.	चन्दौली	-
73.	जौनपुर	0013
	योग	0266
	आजमगढ़	
74.	आजमगढ़	0050
75.	बलिया	0042
76	मऊ	0008
	योग	0100
	बस्ती	
77.	बस्ती	053
78.	सिद्धार्थनगर	-
79.	संत कबीर नगर	-
	योग	0053
	श्री देवीपाटन	
80.	बलरामपुर	-
81.	श्रावस्ती	-
82.	गोण्डा	0003
83.	बहराइच	0023
	योग	0026
	महायोग	8307

संख्या : 670/9-आ-4-2000-87एन/2000

प्रेषक

श्री जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश

(2) **उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 24 जुलाई, 2000

विषय : नजूल भूमि के फ्री होल्ड से प्राप्त आय सम्बन्धी जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण तथा राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हेतु शासनादेश संख्या-2201/ 9-आ-4-2000, दिनांक 30 जून, 2000 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर भेजे गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में फ्री-होल्ड से प्राप्त राजस्व आय में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाय :-

(1) जिन्हें डिमाण्ड नोटिस जारी हो गया है, परन्तु भुगतान हेतु कोई समय नहीं दिया गया है, को व्यक्तिगत तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर एक नोटिस दिया जाना है। इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1370/ 9-आ/4/2000-214एन/ 2000, दिनांक 31 मई, 2000 का अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

(2) निर्गत डिमाण्ड नोट की समीक्षा के लिये यह आवश्यक है कि डिमाण्ड कलेक्शन रजिस्टर (लम्प सम) तथा डिमाण्ड कलेक्शन रजिस्टर (किश्त) बनायें जाँच ताकि फ्री-होल्ड डीड की प्रगति का अनुश्रवण हो सके।

(3) अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) की बैठक में इनकी राजस्व प्रगति की मासिक समीक्षा की जाय।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्याः 70(1)/9-आ-4-2000-तद्‌दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से इस सम्बन्ध में अपने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को समुचित निर्देश देते हुये निर्धारित लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

प्राथमिकता/फैक्स

संख्या : 2243/9-आ-4-2000-62एन/2000

प्रेषक,

श्री जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 24 जुलाई, 2000

विषय : रेन्ट कन्ट्रोल के किरायेदार जो फ्री-होल्ड कराने के पात्र हैं, सम्बन्धी सूचना का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1491/9-आ-4-2000, दिनांक 13-5-2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी तक शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98, दिनांक 01-12-98 के प्रस्तर-10 के अन्तर्गत कितने रेन्ट कन्ट्रोल के किरायेदार वर्तमान में फ्री-होल्ड कराने के पात्र हैं, जिन्होंने नियमानुसार फ्री-होल्ड के लिये आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, सम्बन्धी सूचना अधिकांश जनपदों की शासन को प्राप्त नहीं हुयी है। पुनः अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचना मण्डल के समस्त जनपदों को संकलित कराकर जनपदवार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। चूँकि प्रकरण अति महत्वपूर्ण है अतः यह सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-2243(1)/9-आ-4-2000-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-2555/9-आ-4-2000-302एन/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

(4) उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
लखनऊ/देहरादून।

(5) समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2000

विषय : स्थानीय निकायों में प्रबन्धाधीन नजूल सम्पत्तियों का चिन्हीकरण तथा तद्नसार नजूल रजिस्टर की प्रविष्टियों को अद्यवार्षिक किये जाने हेतु राजस्व भू-अभिलेखों से मिलान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलायुक्त, मेरठ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1078/21-585/98-2000, दिनांक 13 जून, 2000 द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि नगर निगम, मेरठ क्षेत्र में कुल 1785-15-18-19 बीघा नजूल भूमि विभिन्न खेवटों में दर्ज है जबकि नजूल रजिस्टर में मात्र 260-3-8-8 बीघा भूमि दर्ज है। इस प्रकार लगभग 1525 बीघा भूमि नजूल रजिस्टरों में दर्ज नहीं है जबकि यह भूमि विभिन्न खेवटों में जैरे इन्तजाम विभिन्न विभिन्न विभाग एवं स्थानीय निकाय के पक्ष में दर्ज हैं। लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल के पैरा-180 (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार की विभिन्न भूमि का रख-रखाव दर्ज करते हुये इसी मैनुअल के पैरा-320 के अनुसार प्रपत्र-आर-45 में नजूल रजिस्टर भाग-1 व भाग-2 बनाकर प्रविष्टियाँ की जानी चाहिये, लेकिन उक्त प्रकरण से विदित हो रहा है कि नजूल रजिस्टर भाग-1 तो बनाया ही नहीं गया है तथा नजूल रजिस्टर भाग-2, जिसमें स्थानीय निकाय के प्रबन्ध में नजूल सम्पत्ति का विवरण होता है, वह भी पूर्ण नहीं है। विभिन्न विभागों के प्रबन्ध में जो नजूल सम्पत्ति है, उसके सम्बन्ध में लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल का पैरा-317 एवं नजूल मैनुअल के नियम-2 तथा 12 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है जो कि कदाचित विभिन्न जनपदों में नहीं हो रहा है। नजूल मैनुअल के नियम-71 के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा प्रपत्र-ट में रजिस्टर का रख-रखाव करना चाहिये जो कि उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। समस्त नजूल सम्पत्ति का मिलान एवं जाँच कलेक्टर कार्यालय द्वारा की जानी चाहिये, जो कदाचित नहीं की जा रही है।

2. प्रदेश के अन्य जिलों में भी न्यूनाधिक ऐसी ही स्थिति है कि राजस्व अभिलेखों एवं नजूल सम्पत्ति रजिस्टर में नजूल भूमि/सम्पत्ति

का अंकन यथोचित ढंग से नहीं किया जा रहा है और न तो सक्षम अधिकारी द्वारा भू-लेख मैनुअल एवं नजूल मैनुअल के अनुसार वांछित अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं और न ही उनकी नियमित रूप से जॉच एवं मिलान का कार्य किया जा रहा है। जनपदों तथा स्थानीय निकायों की लापरवाही के कारण नजूल सम्पत्ति/भूमि का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कहीं-कहीं पर यह सत्यापित किया जाना अत्यन्त दुष्कर है कि अमुक भूमि नजूल की भूमि है अथवा अन्य भूमि। इसका यह परिणाम रहा है कि नजूल भूमि/सम्पत्ति का अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण और दुरूपयोग हो रहा है और स्थानीय निकायों द्वारा कतिपय जनपदों में नजूल सम्पत्ति को अपनी निजी सम्पत्ति मानकर इसका दुरूपयोग किया जा रहा है और अपनी आय का प्रमुख साधन बना लिया गया है। इस आधार पर नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने की शासन द्वारा प्रतिपादित नीति के क्रियान्वयन में गतिरोध भी उत्पन्न किया जा रहा है इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना है कि नजूल सम्पत्ति का तात्पर्य केवल वही सम्पत्ति नहीं है जो केवल नजूल रजिस्टर में दर्ज हो बल्कि वह समस्त सम्पत्ति नजूल सम्पत्ति है, जो कि इस रूप मे भू-अभिलेखों में दर्ज हो। इस सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध एवं रख-रखाव के लिये नजूल रजिस्टर बनाने की एवं उसको रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित स्थानीय निकाय को राज्य सरकार द्वारा सौंपी गयी हैं और इसका कतई तात्पर्य नहीं है कि यदि स्थानीय निकाय द्वारा किसी नजूल सम्पत्ति को नजूल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है और कलेक्टर द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जाता तो ऐसी समस्त सम्पत्ति जो नजूल रजिस्टर में दर्ज न हो,वह स्थानीय निकाय की सम्पत्ति हो जायेगी।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया नजूल सम्पत्ति/भूमि का अंकन राजस्व अभिलेखों की प्रवष्टि को दृष्टिगत रखते हुये नजूल/रजिस्टर में कराया जाय क्योंकि विधि के द्वारा यह निर्विवाद रूप से मान्य है कि प्रत्येक प्रकार की भू-सम्पत्तियों के लिये राजस्व अभिलेख मूल रूप से एवं अन्तिम रूप से प्रमाणक है। सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर अभिलेखों का निरीक्षण भी किया जाय ताकि इन्हें अद्यावधिक एवं दुरूस्त स्थिति में रखा जा सके। निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता पायी जाय तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाया जाय और विवादित प्रकरणों का निपटारा मण्डलायुक्त के स्तर से राजस्व अभिलेखों, नजूल सम्पत्ति रजिस्टर, विधि अभिलेखों और अन्य अभिलेखों का गहन परीक्षण कर दोनों पक्षों को बुलाकर उनको मौखिक एवं लिखित रूप से गम्भीरतापूर्वक सुनकर लाया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

3

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976 की भूमि का प्रबन्धन

संख्या : 1279/9-आ-6-99

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर।

(2) जिलाधिकारी, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

(3) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

आवास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 1999

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गतं सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे से प्राप्त भूमि निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा भूमि निस्तारण की व्यवस्था दी गयी है। निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण को सूचना अनुसार अधिनियम, 1976 की धारा-10 (3) व 10 (5) एवं 10 (6) की कार्यवाही के उपरान्त विवाद रहित शासन के कब्जे में शुद्ध रूप से प्राप्त भूमि 10,56,91,856.20 वर्गमीटर (दिसम्बर, 1998 तक) प्राप्त हुयी है, जिसका नगर बस्तीवार विवरण संलग्न सूची में उल्लिखित है। अधिनियम, 1976 के निरसन के उपरान्त उपरोक्त भूमि का शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि शासन में निहित हो चुकी भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके तथा खुर्द बुर्द न हो। इस हेतु निस्तारण प्रक्रिया के तहत क्रमबद्ध कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में निहित एवं कब्जा प्राप्त भूमि का निस्तारण निम्न व्यवस्था एवं समय-सारिणी अनुसार सुनिश्चित किया जाय :-

शासनादेश सं० 559/उन्चास-109 यू०सी०/81, दिनांक 27-2-1984
शासनादेश सं० 317 /9-न०-भू०-96-109 यू०सी०/81, दिनांक 27-2-96
शासनादेश सं० 2893/9-न०भू०-96-109 यू०सी०/81, दिनांक 11-12-96

(1) सर्वप्रथम सभी शासकीय विभागों के स्थानीय अधिकारियों से 20 दिन का समय देते हुये ज्ञात कर लिया जाय कि क्या उन्हें शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार उन विभागों की सूची तैयार कर ली जाय, जिन्हें आवश्यकता है।

(15 नवम्बर, 1999 तक पूर्ण)

(2) इस बीच शासन में निहित हो चुकी/कब्जा प्राप्त भूमि जो उपलब्ध करायी जा सकती है, को सूचीबद्ध कर लिया जाय। उन्हें मौके पर भी चिन्हित कर लिया जाय। यह कार्य इच्छुक विभागों की सूची तैयार करने तक पूरा कर लिया जाय।

(15 नवम्बर, 1999 तक पूर्ण)

(3) विभागों की सूची पूर्ण होते ही इन विभागों की एक बैठक कर ली जाय, जिसमें उन्हें उपलब्ध भूमि का ब्यौरा तथा मौके पर दिखा दी जाय तथा विकल्प ले लिया जाय कि वे कौन सी भूमि लेना चाहते हैं।

(30 नवम्बर, 1999 तक विकल्प प्राप्त कर लिया जाय)

(4) प्राप्त माँग तथा विकल्पों पर यथा सम्भव विचार करते हुये आवंटन का प्रस्ताव 31 दिसम्बर, तक अन्तिम कर लिया जाय। इस हेतु सभी इच्छुक विभागों की बैठकें इस बीच आवश्यकतानुसार कर ली जायं।

(31 दिसम्बर, 1999 तक आवंटन प्रस्ताव को अन्तिम रूप)

(5) सक्षम स्तर से प्रस्तावित आवंटन का अनुमोदन 15 जनवरी, 2000 तक प्राप्त कर आवंटन पत्र निर्गत कर दिया जाय।

(15 जनवरी, 2000 तक)

(6) अवशेष भूमि के निस्तारण के लिये नजूल भूमि के अनुसार नीलामी/सील्ड बिड आमंत्रण किया जाना होगा। इस हेतु नीलाम किये जाने वाली भूमि की सूची 31 जनवरी, 2000 तक तैयार कर लिया जाय। इन्हें मौके पर भी चिन्हित कर दिया जाय। इनका निस्तारण समुचित 'लाट' तद्नुसार 31 जनवरी व 31 मार्च, 2000 के मध्य किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की प्रगति से शासन को भी प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अवगत कराया जाय।

मण्डलायुक्त प्रत्येक कार्यवाही की समयान्तर्गत पूर्ण होने की समीक्षा कर मुझे अवगत कराते रहेंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण सचिव, आवंटन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त भूमि के निस्तारण एवं चिन्हीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता पर करायें एवं कृत कार्यवाही से निदेशक के माध्यम से शासन को सूचित करें। आवश्यक अपेक्षित सहयोग सक्षम प्राधिकारियों से भी प्राप्त कर लें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

अधिनियम की धारा-10(3) व (10)5, 10(1) की सूचना का विवरण माह जनवरी, 1999 तक

	नगर बस्ती का नाम	धारा 10(3) में प्रकाशनार्थ भेजी गई अधिसूचनाएं		धारा 10(3) के अन्तर्गत प्रकाशित होकर राज्य में निहित		धारा 10(5) व 10 (6) के अंतर्गत कुल कब्जे में आई भूमि	शासन के कब्जे में शुद्ध रूप से प्राप्त भूमि/अपील आदि के बाद		
1-	देहरादून	411	1243451.47	388	1163916.38	427912.70	154	406246.96	
2-	सहारनपुर	1293	10025643.02	1179	80861.04	3753893.01	503	2286862.58	
3-	मेरठ	1492	14176236.33	932	7330035.26	2003502.19	413	2003522.19	
4-	मुरादाबाद	1513	5279495.47	1481	4943371.00	3678074.33	1100	3471050.19	
5-	बरेली	4451	21555405.48	4256	21524645.28	5143987.42	1588	4915507.16	
6-	अलीगढ़	921	6219192.15	757	4658602.63	1131258.11	205	845583.07	
7-	आगरा	3867	28879165.43	3837	28590736.43	10978524.87	852	8835592.14	
8-	कानपुर	4350	63575678.16	3804	38222074.67	8622209.13	665	6544282.73	
9-	लखनऊ	4210	27354425.19	4163	27156917.10	15071468.00	2300	15071468.00	
10-	इलाहाबाद	8863	66413852.13	7667	61351528.87	49669380.35	6708	49406070.14	
11-	वाराणसी	5749	31228107.72	4483	26300032.62	10266212.45	1533	10157992.40	
12-	गोरखपुर	837	2795147.40	661	2225945.24	1743207.57	569	1667668.57	(सूचना दिसम्बर 98) तक तैयार की गई है।
	योग :-	37957	278748000.05	33608	232353905.60	112511651.22	16650	105691856.20	

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या : 559/उन्चास-109 यू०सी०/81

प्रेषक,

लालता प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ।

नगर भूमि अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 1984

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-23 के अन्तर्गत शासन द्वारा अधिग्रहीत भूमि का आवंटन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-10 (5) एवं (6) में अधिग्रहीत भूमि का उक्त अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत आवंटन करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विधि, प्रक्रिया एवं शर्तों के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

(क) आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटन, विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें

ऐसे भू-खण्ड, जिनका उपयोग महायोजना में आवासीय प्रदर्शित किया गया है तथा जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ वास्तविक रूप से उस क्षेत्र का उपयोग आवास हेतु किया जा रहा है, को आवंटित करने में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के आवास हेतु आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

2. जो भू-खण्ड राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों द्वारा वांछित नहीं होगें उन्हें विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं स्थानीय निकाय तथा हरिजन एवं दुर्बल वर्ग आवास नियम तथा पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों को आवंटित किया जायेगा। उक्त संस्थायें इन भू खण्डों पर अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण करेंगी।

3. राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के आवास हेतु आवंटन अधिग्रहण मूल्य एवं उस पर 100 प्रतिशत रख-रखाव शुल्क के योग के बराबर मूल्य पर किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों, हरिजन एवं दुर्बल वर्ग आवास निगम तथा पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों को आवंटन बाजार मूल्य दर पर किया जायेगा।

4. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों को एक एकड़ से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड आवंटित नहीं किये जायेंगे।

5. जो भू-खण्ड विद्यालयों तथा चिकित्सालयों (सरकारी व निजी) के निर्माण हेतु दिये जायेगें, उनसे बाजार मूल्य दर के 40 प्रतिशत के रियायती दर पर मूल्य लिया जायेगा। अन्य उपरोक्त संस्थाओं को भी यदि उपरोक्त निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जायेगी तो उनसे भी यही मूल्य लिया जायेगा।

6. सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों को आवंटित भू खण्डों पर यह प्रतिबन्ध होगा कि वे दो वर्ष की अवधि के भीतर

नियमानुसार निर्माण कार्य पूर्ण कर लें।

7. यदि उपरोक्त में से कोई भी संस्था किन्हीं भूखण्डों को लेने के लिये इच्छुक नहीं हो तो यह भूखण्ड सार्वजनिक नीलामी द्वारा आवास हेतु निस्तारित किये जायेंगे।

8. जिन सहकारी समितियों को आवंटन के लिये पात्र माना जायेगा उनके तथा उनकी सदस्यता आदि के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पृथक से दिये जायेंगे।

(ख) अद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटन विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें :-

ऐसे भूखण्ड जिनका महायोजना में भू उपयोग उद्योग प्रदर्शित किया गया हो अथवा जहाँ महायोजना लागू नहीं है वहाँ यदि वास्तविक रूप में उस क्षेत्र का प्रयोग अद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा हो, को आवंटित करने में राज्य एवं केन्द्र सरकार के उद्योग विभाग उनके अधीन उपक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। उसके उपरान्त जो भूमि अवशेष बचेगी, उसे उद्योग विभाग अन्तर्गत आने वाले नियम, जो अद्योगिक विकास से सम्बन्धित हों, को आवंटित किया जायेगा जो इन भूखण्डों को विकसित कर अपने सामान्य नियमानुसार अद्योगिक प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग करेगें। उक्त संस्थाओं से अद्योगिक भूखण्डों का मूल्य, बाजार मूल्य दर पर लिया जायेगा। उपरोक्त से बची हुयी भूमि का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी के आधार पर किया जायेगा।

(ग) व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आवंटन विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें :-

ऐसे भूखण्ड जिनका महायोजना में भूउपयोग व्यवसायिक दर्शाया गया हो अथवा जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ यदि वास्तविक रूप में उस क्षेत्र का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, को बाजार मूल्य दर पर आवंटित करने में राज्य एवं केन्द्र सरकार के व्यवसायिक विभागों एवं उनके उपक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इसके उपरान्त शेष बची हुई भूमि भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं स्थानीय निकायों को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु बाजार मूल्य दर पर आवंटित किया जायेगा।

यदि उपरोक्त में से कोई भी संस्था कुछ भूखण्डों को लेने के लिये इच्छुक नहीं है तो वह भूखण्ड व्यवसायिक प्रयोजन हेतु सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

(घ) कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें :-

ऐसे भूखण्ड जिनका महायोजना में भू उपयोग हरित पट्टी दर्शाया गया है अथवा जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ वास्तविक रूप में उनका प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिये किया जा रहा है, को आवंटित करने में आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों के पार्क बनाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन भूखण्डों को मूल्य अधिग्रहण मूल्य तथा इस पर 100 प्रतिशत रख-रखाव शुल्क के योग के बराबर होगा। इसके पश्चात बची हुयी भूमि उद्यान विभाग, कृषि विभाग तथा वन विभाग को उद्यान प्रयोग अथवा वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जायेगी। इसका मूल्य भी अधिग्रहण मूल्य तथा इस पर 100 प्रतिशत रख-रखाव शुल्क के योग के बराबर होगा। राजस्व अभिलेखों में समस्त भूमि का स्वामित्व शासन के नामे ही रहेगा।

2. उपरोक्त सभी आवंटन निम्न परिस्थितियों में निरस्त किये जा सकेंगे और आवंटित भूमि शासन में प्रत्यावर्तित कर ली जायेगी :-

1. भूमि का उपयोग आवंटन में निर्धारित प्रयोजन के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन हेतु किये जाने पर।
2. किन्हीं भी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर।

3. सक्षम प्राधिकारी अपनी नगर बस्तियों में अर्जित की भूमि का विस्तृत विवरण प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायेंगे तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं दुर्बल वर्ग आवास निगम, पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों आदि से आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र आवंटित करेंगे। यह आवेदन-पत्र विज्ञापन की अवधि से दो माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सादे कागज पर दस रुपये के स्टाम्प शुल्क सहित स्वीकार किये जायेंगे।

4. भू आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करने हेतु प्रत्येक नगर बस्ती के लिये निम्नानुसार एक आवंटन समिति का गठन किया जायेगा :-

1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. उप निदेशक, मुख्यालय, नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय — सदस्य
3. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के प्रतिनिधि — सदस्य
4. उद्योग विभाग के संयुक्त/उप निदेशक — सदस्य
5. सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा सचिव तथा विकास प्राधिकरण न होने की दशा में सम्बन्धित स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि जो अधिशासी अधिकारी से कम स्तर का न हो। — सदस्य
6. हाउसिंग बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य
7. सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी — सदस्य सचिव

5. नगर बस्ती आवंटन समिति की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीसरे माह होगी परन्तु आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा उसकी बैठक उसके पूर्व भी आहूत की जा सकती है। नगर बस्ती आवंटन समिति के विचारोपरान्त समस्त आवेदन-पत्र समिति की संस्तुति सहित सक्षम प्राधिकारी, निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को भेजेंगे शासन द्वारा आवश्यक छान-बीन करने के उपरान्त आवास एवं नगर विकास मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर भूमि आवंटित की जायेगी।

6. भूमि का अधिमूल्य एवं अन्य व्ययों का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात शासन की ओर से पट्टा विलेख का निष्पादन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. आवंटन में प्राप्त भूखण्डों का उपयोग महायोजना में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर ही किया जायेगा। सशर्त अधिकार शाश्वत पट्टे का केवल तब तक के लिये होगा जब तक महायोजना के अनुसार भू उपयोग अनुमन्य हो। जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ वास्तविक भू उपयोग तथा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा जायेगा। औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि की एक शर्त यह भी होगी कि ऐसा उद्योग लगाया जाय, जिससे वातावरण प्रदूषित न हो। महायोजना में विर्निदिष्ट भू उपयोग के अनुसार पार्क, क्लब, विद्यालय, चिकित्सालय, क्रीड़ा स्थल, स्टेडियम प्रभृत्त सार्वजनिक निर्माण कराये जा सकेंगे परन्तु कब्रगाह एवं श्मशान प्रभृत्त स्थलों की स्थापना नहीं की जायेगी। आवासीय आवंटन की एक शर्त यह भी होगी कि निर्माण कार्य भवन निर्माण विनियम के अन्तर्गत किया जायेगा। आवासीय भवनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के आवंटनों में सीमाधिक्य रिक्त भूमि की छूट शासन द्वारा स्वप्रेरणा पर दी जायेगी।

8. इन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अतिरिक्त सामान्य रूप से यह शर्त भी होगी कि नगर बस्ती आवंटन समिति द्वारा संस्तुति एक निर्धारित अवधि के भीतर जिसका उल्लेख आवंटन आदेशों में किया जायेगा, पूरे भूखण्ड का उपयोग प्रारम्भ कर दिया जायेगा। आवंटन के उपरान्त भूमि पर लगने वाली समस्त करों तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन व्यय पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देने पश्चात शासन द्वारा आवंटन रद्द किया जा सकता है। फलस्वरूप भूखण्ड समस्त विलंगनों से मुक्त होकर उल्लंघन की तिथि से राज्य सरकार में निहित मानी जायेगी तथा उल्लंघनकर्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे विकास एवं सन्निर्माण सामग्री हटाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह अनुमति एक निर्धारित अवधि के लिये निश्चित होगी, जो अधिकतम तीन माह हो सकती है।

9. आवंटन से प्राप्त होने वाली धनराशि से एक निधि की स्थापना की जायेगी तथा इसका प्रयोग नागरिक सुविधाओं के लिये किया जा सकेगा, जिसके सम्बन्ध में निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

10. आवंटन से प्राप्त धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,
लालता प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या : 559(1)/ उन्चास-109 यू०सी०/81-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सक्षम प्राधिकारी, नगर उपान्त क्षेत्र नगर भूमि सीमा रोपण कार्यालय आगरा/अलीगढ़/इलाहाबाद/बरेली/गोरखपुर/देहरादून/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/मुरादाबाद/सहारनपुर/वाराणसी।
2. जिलाधिकारी आगरा/अलीगढ़/इलाहाबाद/बरेली/गोरखपुर/देहरादून/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/मुरादाबाद/ सहारनपुर/ वाराणसी।
3. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/बरेली/मुरादाबाद/वाराणसी/ गोरखपुर।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, सहारनपुर/देहरादून/अलीगढ़
8. मण्डलायुक्त, आगरा/इलाहाबाद/बरेली/गोरखपुर/लखनऊ/मेरठ/मुरादाबाद/वाराणसी/पौड़ी गढ़वाल।
9. आवास एवं नगर विकास सचिव,शाखा के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
11. गोपन अनुभाग को उनके अशा०प०सं०-4/2/5/84-सी-एक्स (1), दिनांक 13-2-1984 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
लालता प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-317/9-न०भ०/96/109 यू०सी०/81

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ/बरेली/सहारनपुर/देहरादून/आगरा/अलीगढ़/वाराणसी/
लखनऊ/इलाहाबाद /गोरखपुर /मुरादाबाद /कानपुर

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 1996

विषय : नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित व कब्जे में ली गयी भूमि को अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत आवंटित करने सम्बन्धी शासनादेशों से उत्पन्न संशय का निराकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित एवं कब्जे में प्राप्त भूमि का अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा विधि प्रक्रिया एवं शर्तों को अंकित करते हुये विस्तृत शासनादेश संख्या-559 /उन्चास-109 यू०सी०/81, दिनांक 27 फरवरी, 1994 निर्गत किया गया था। समय-समय पर शासन को प्राप्त विभिन्न स्रोतों से पृच्छा किये जाने पर इसी सन्दर्भ में पार्श्वांकित शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जो आपको सम्बोधित हैं :-

1. शास० सं० - 1764/49-86-न०भू०-अनु, दिनांक 16-5-86
2. शास० सं० - 2575/49-87-109 यू०सी०/87, दिनांक 4-6-1987
3. शास० सं० - 216/9-न०भू०-92-109 यू०सी०/87, दिनांक 7-2-1992

2. इसी विषय में पुनः कतिपय स्रोतों से संशय/जिज्ञासायें शासन के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके समाधान हेतु पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। वस्तुतः इस प्रकरण में शासनादेश संख्या-764/9-न०भू०-92- 109 यू०सी०/91, दिनांक 30 अप्रैल, 1992 (प्रति संलग्न) द्वारा शासन के अन्तिम अभिमत से आपको अवगत कराया जा चुका है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सीलिंग की अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि पर अधिनियम की धारा-10(5) के प्राविधानानुसार कब्जा प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से 6 माह के भीतर यह निर्णय प्राप्त कर लेना होगा कि उन एजेन्सियों को उक्त भूमि अपनी योजना के लिये लेनी है अथवा नहीं, और जो भूमि उनके द्वारा नहीं ली जायेगी, उसके लिये शासनादेश दिनांक 27-2-1984 में प्राविधानित आपकी अध्यक्षता मे गठित आवंटन समिति आवंटन की संस्तुति विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगी। स्पष्टतया शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1992 की पृष्ठभूमि में इस मामले में किसी संशय की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। फिर भी निम्न दिशानिदेश अनुपालन हेतु पुनः आपके संज्ञान में लाया जा रहा है :-

(क) सीलिंग अधिनियम,1976 की धारा-10(5) के प्राविधानानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा शासन में निहित हो चुकी भूमि का तत्काल कब्जा लिया जाय एवं राजस्व अभिलेखों में "राज्य सरकार" के नाम अविलम्ब अमल दरामद कराया जाय।

(ख) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अधिकतम 6 माह में उनका निर्णय प्राप्त कर लें कि वे उक्त भूमि को लेना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि वे इच्छुक हों तो वह भूमि उन्हें हस्तान्तरित कर दिया जाय। इस प्रकार जो भूमि विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद को दी जायेगी, उसका मूल्य वे 5 वार्षिक किस्तों में शासन के सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा करेंगे। जो भूमि इन एजेन्सियों द्वारा नहीं ली जायेगी, उसके लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति द्वारा आवंटन की संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

पुनः सुस्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 27-2-1984 अतिक्रमित नहीं किया गया है।

(ग) शासन में निहित भूमि व जिलाधिकारी द्वारा कब्जे में ली गयी भूमि को अवैध कब्जों, अवैध निर्माण से बचाने की गम्भीर समस्या है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिस भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण किया जा चुका है, उसके सम्बन्ध में आवंटी विभाग/आवंटी संस्था का दायित्व होगा कि उन पर अवैध कब्जा या अवैध निर्माण न हो। जिस भूमि का आवंटन न अभी नहीं हुआ अथवा जो आवंटन हेतु अवशेष है उन पर अवैध कब्जा व अवैध निर्माण न हो, इसे सम्बन्धित जिलाधिकारी को सुनिश्चित कराना होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार पुलिस प्रशासन की सहायता भी ले सकते हैं। इस विषय में तात्कालिकता से राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराना अत्यन्त सहायक होगा।

(घ) आवासीय प्रयोजन हेतु विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, स्थानीय निकाय, दुर्बल वर्ग आवास निगम अथवा पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों को भूमि बाजार मूल्य पर आवंटित किये जाने की व्यवस्था यथावत है। बाजार मूल्य का आशय भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिकर की धनराशि से है और इसके लिये प्रासंगिक तिथि वह है जिस दिन भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटन की संस्तुति की जाती है किन्तु कतिपय जनपदों से गलत व अतिशय बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने की शिकायतें शासन के संज्ञान में लायी गयी हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि बाजार मूल्य का निर्धारण रूटिन तरीके से न किया जाय। अपितु यह देख लिया जाय कि आवंटित की जाने वाली सरप्लस सीलिंग भूमि की क्या स्थिति/परिस्थिति है तथा यह किस सीमा तक विकसित है। यह हो सकता है कि आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को आवंटी/आवंटी संस्था द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु अपेक्षित मानक स्तर तक लावें, उसे आस पास के क्षेत्र के अनुसार विकसित करने, उनका वाह्य विकास या सामूदायिक अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने में भवन निर्माण के पूर्व ही भारी व्यय निहित हो, तो ऐसी स्थिति में इन बिन्दुओं पर सम्यक् विचार कर लेने के पश्चात ही युक्तिसंगत बाजार मूल्य को निर्धारण किया जाना सम्भव हो सकेगा। अन्यथा इनका मूल्य भूमि के वास्तविक व आसपास के विकसित भूमि के मूल्य से अप्रत्याशित रूप से अधिक हो जायेगा तथा जो सीलिंग अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बनेगा।

3. आप सहमत होंगे कि अधिकांश समय तक शासन में निहित भूमि का निस्तारण न होने से जहाँ अवैध कब्जे व अवैध निर्माण की सम्भावना बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर इनके अवैध अन्तरण की गुंजाइश भी रहती है। अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-शासनादेश दिनांक 30, अप्रैल,1992

भवदीय,
अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-317(1)/9-न०भू०-96-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त/आगर/मेरठ/इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ/वाराणसी/गोरखपुर/बरेली/मुरादाबाद व पौड़ी गढ़वाल।
3. निदेशक, नगर भूमिसीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अभ्युक्ति सहित कि वे समस्त सक्षम प्राधिकारियों को अपने स्तर से अवगत करा दें ।
4. मुख्य नगर एवं भूमि नियोजक, 7-बन्दरियाबाग, लखनऊ
5. उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिशिर कुमार यादव
अनुसचिव।

संख्या 2893/9-न०भू०/96/109 यू०सी०/81

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, आगरा, अलीगढ़
वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 1996

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित एवं कब्जे में ली गयी भूमि का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान प्रक्रिया अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत सीलिंग से अप्रभावित भूमि को कम करते हुये सीमाधिक्य भूमि की गणना सक्षम पदाधिकारियों द्वारा की जाती है और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् धारा-10(3) व 10(5) के अन्तर्गत सीमाधिक्य भूमि के अन्तिम रूप में शासन में निहित हो जाने एवं कब्जा प्राप्त हो जाने पर उसका आवंटन/निस्तारण अधिनियम की धारा-23 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा शासनादेश संख्या-559/उन्चास- 109 यू०सी०/82, दिनांक 27-2-1984 एवं शासनादेश संख्या-317/9-न०भू०/96-109 यू०सी०/81, दिनांक 27-2-1996 में विहित विधि प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है। इस शासनादेश के अनुसार सीलिंग की भूमि आवंटित करने में विकास प्राधिकरणों आवास एवं विकास परिषद और विभिन्न सरकारी विभागों/उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि धारा-10(5) के अन्तर्गत कब्जे में ली गयी काफी भूमि आवंटन हेतु अवशेष पड़ी है और ऐसी भूमि के आवंटन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है, जिसके फलस्वरूप ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे एवं निर्माण की सम्भावना सदैव बनी हुयी हैं। इन अवशेष पड़ी भूमि के त्वरित आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन में उक्त शासनादेशों दिनांक 27-2-1984 व 27-2-1996 तथा अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये निम्न निर्णय लिये हैं :-

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन में निहित समस्त सीमाधिक्य भूमि नजूल भूमि की तरह विकास प्राधिकरणों को रख रखाव के लिये हस्तान्तरित कर दी जायेगी, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा, जो भूमि विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को अपनी योजनाओं के लिये उपयुक्त न होगी, यह भी विकास प्राधिकरणों की अभिरक्षा में ही रहेगा।

(2) अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपकरणों को राज्य सरकार में निहित ऐसी सीमाधिक्य भूमि का आवंटन शासनादेश दिनांक 27-2-1984 उल्लिखित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अब सीधे किया गया जायेगा तथा आवंटित भूमि का निर्धारित भू-मूल्य जमा हो जाने पर उसका कब्जा आवंटी विभाग को जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे दे दिया जायेगा। अतः इस कोटि के प्रकरणों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी स्पष्ट करना है कि यदि आवंटी विभाग द्वारा दीर्घ अवधि तक आवंटित भूमि का मूल्य सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में जिलाधिकारी उसी भूमि को आवश्यकतानुसार किसी दूसरे इच्छुक विभाग के पक्ष में भी आवंटित कर सकते हैं। ऐसे आवंटनों के

लिये शासनादेश दिनांक 27-2-1984 के अनुसार गठित आवंटन समिति में सदस्य सचिव, सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर अब सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव होंगे जो बैठक का आयोजन करायेंगे। सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, समिति की सदस्य की हैसियत से अपना प्रभावी सहयोग देंगे।

(3) विकास प्राधिकरणों की जो भूमि हस्तान्तरित हो जायेगी उस पर अवैध कब्जे व निर्माण हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा ही यथाआवश्यक जिला प्रशासन की सहायता लेकर की जायेगी।

(4) समस्त सीमाधिक्य भूमि जो विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित होगी, से सम्बन्धित अभिलेखों की रख-रखाव विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा।

(5) शासनादेश दिनांक 27-2-1984 व 27-2-1996 तथा एतद्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

2. अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2893(1)/9-न०भू०-96 तददिनांक।

1. मण्डलायुक्त, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल।
2. आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. सक्षम प्राधिकारी, समस्त नगर बस्ती, उत्तर प्रदेश को इस अभ्युक्ति सहित कि इसका व्यापक प्रचार व प्रसार कराया जाय।
5. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद व कानपुर।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।
7. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिशिर कुमार यादव
अनु सचिव।

प्राथमिकता/तत्काल

संख्या 777/9-न०भू०/135यू०सी०/99-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश,
   जवाहर भवन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
   नगर भूमि सीमारोपण,
   लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर
   मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, अलीगढ़, मेरठ।

आवास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 1 फरवरी, 2000

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम,1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरसन अधिनियम,1999 की धारा-4 के अनुसार मूल अधिनियम,1976 के अन्तर्गत लम्बित वाद व अन्य विधिक कार्यवाहियाँ जो किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित थीं, उपशमित हो जायेगा लेकिन निरसन अधिनियम की धारा-4 के परन्तुक (प्रोविजों) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार मूल अधिनियम की धारा-11, 12, 13, 14 से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां चालू रहेगी एवं मूल अधिनियम की धारा-33 एवं 34 के अन्तर्गत चल रहे वादों के उपशमन हेतु सम्बन्धित सक्षम न्यायालय अधिकरण या प्राधिकारी के संज्ञान में लाने हेतु तत्सम्बन्धित आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा तभी न्यायालय कथित प्राविधान का संज्ञान लेकर वादों को उपशमित कर सकेगा।

मूल अधिनियम की धारा-10 (3) के प्राविधान के अन्तर्गत जो भूमि राज्य में निहित नहीं हुयी है, उस भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कब्जा किये जाने का औचित्य नहीं है भले ही इस भूमि को सरप्लस घोषित किया गया हो। मूल अधिनियम की धारा-8(4) के अन्तर्गत जो भूमि रिक्त घोषित की गयी थी और धारा-10 (3) के अन्तर्गत राज्य में निहित हो चुकी थी एवं धारा-10(5) की कार्यवाही का आदेश हो चुका था लेकिन इस भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा नहीं प्राप्त हो सका था। इस प्रकार के प्रकरण निरसन अधिनियम की धारा-3(2) के अनुसार यदि शासन द्वारा प्रश्नगत भूमि के बाबत भू-धारक को कोई धनराशि अदा कर दी गयी थी। यदि राज्य सरकार द्वारा अदा की गयी धनराशि वापस करने की दशा में भू-धारक को प्रश्नगत भूमि प्रत्यावर्तित की जा सकती है। किन्तु अदा की गयी धनराशि भू-धारक द्वारा वापस न करने की दशा में भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जाय।

अतः न्याय विभाग के उपरोक्त अभिमत के अनुक्रम में प्रचलित वादों के उपशमन हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस हेतु वस्तुस्थिति सम्बन्धित न्यायालय के संज्ञान में लाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। सभी प्रश्नगत वादों में उपशमन हेतु आवेदन दिनांक 29-2-99 तक लगा देने चाहिये। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शीघ्र शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिला जज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, अलीगढ़, मेरठ।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

आज्ञा से,
दीनदयाल
संयुक्त सचिव।

4

विकास एवं निर्माण विनियमन

संख्या-एम०-182/9-आ-3-97-38/विविध/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2000

विषय : व्यवसायिक भवन मानचित्रों के निर्माण अनुज्ञा पत्र की वैधता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1655/9-आ-3-97-38 विविध/97 दिनांक 5 मई, 1997 तथा शासनादेश संख्या-1924/9-आ-3-97-38 विविध/97 दिनांक 3 जून, 97 का संदर्भ लें जिनके द्वारा क्रमशः एकल आवासीय भवन मानचित्रों तथा ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्रों की स्वीकृति अवधि की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है और तत्पश्चात एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम तीन बार नवीनीकरण की अनुमति अनुमन्य की गई है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एकरूपता की दृष्टि से उक्त व्यवस्था व्यवसायिक व अन्य सभी प्रकार के भवन मानचित्रों के लिए समान रूप से लागू की जाये।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश में की गई व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से व्यवसायिक एवं अन्य उपयोगों के भवन मानचित्रों के लिए भी लागू की जाती है। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन व्यवसायिक एवं अन्य भवन मानचित्रों की तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है किन्तु पाँच वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, वे मानचित्र पाँच वर्ष पूर्ण होने तक स्वतः वैध होंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

पत्र संख्या-एम०-182/9-आ-3-97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. नियंत्रक प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० आवास बन्धु।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव।

संख्या-3788/9-आ-3-97-38विविध/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2000

विषय : तलपट मानचित्र के विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2531/9-आ-3-97-38विविध/1997 दिनांक 15.07.1997 द्वारा निर्माण अनुज्ञा-पत्र की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष की गई थी जबकि पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण एवं विकास तथा भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होने के कारण उपरोक्त व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। परन्तु शासनादेश संख्या-2800/9-आ-3-97-38विविध/1997 दिनांक 14.10.1997 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ उपरोक्त व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र में भी समान रूप से लागू की गई है।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि एकरूपता की दृष्टि से तलपट मानचित्र हेतु विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता भवन मानचित्र के अनुरूप ही रखी जानी चाहिए। विदित है कि शासनादेश संख्या-4716/9-आ-3-97-38 विविध/1997 दिनांक 21.10.2000 द्वारा जारी आदर्श विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों हेतु बनाई गई है, के अन्तर्गत विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता पाँच वर्ष रखी गई है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सरलीकरण की प्रक्रिया मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में समान रूप से लागू की जाय।

3. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तलपट मानचित्र हेतु एक बार दी गई विकास अनुज्ञा पाँच वर्ष के लिए वैध होगी तथा प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में वृद्धि प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम तीन बार निर्धारित शुल्क लेकर की जा सकती है। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन तलपट मानचित्रों के विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता समाप्त हो गई है परन्तु पाँच वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वे तलपट मानचित्र पाँच वर्ष पूर्ण होने तक स्वतः वैध होंगे।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये ताकि जनसामान्य को जानकारी हो सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या-3788(1)/9-आ-3-97-38 विविध/97तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी आवास संघ लि० लखनऊ।
6. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-4780/9-आ-1-99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।

3. समस्त नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 1999

विषय : शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों (Persons with disabilities) **को सुविधायें प्रदान करने हेतु मानक भवन उपविधि को लागू किया जाना।**

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अशक्त व्यक्तियों के लिये अवरोधमुक्त परिसर (Barrier free environment) के सृजन तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये भारत सरकार द्वारा अशक्त व्यक्तियों हेतु (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुरूप अवरोधमुक्त परिसर के लिये शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक भवन उपविधि तैयार की गयी है, जो सार्वजनिक उपयोग वाले सभी भवनों और सुविधाओं पर लागू होगी। इस उपविधि में अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा सुविधा और प्रयोज्जता मानकों को पूरा करके विभिन्न आशक्तता वर्गों यथा चलने-फिरने, बोलने, सुनने और देखने में कमी से ग्रस्त अशक्त व्यक्तियों की सुगम्यता जरूरतों को ध्यान रखा गया है।

2. विदित है कि वर्तमान में विकास प्राधिकरण भवन उपविधि में सरलीकरण/संशोधन शासन के विचाराधीन है जिसमें शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये प्राविधान शामिल कर लिये गये हैं, परन्तु भवन उपविधियों को अन्तिम रूप देने में समय लगने की सम्भावना है। भारत सरकार द्वारा उक्त उपविधि को लागू करने हेतु लगातार बल दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा अक्टूबर,1999 के द्वितीय सप्ताह में सभी राज्यों के सम्बन्धित सचिवों के साथ बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिसमें इस विषय पर चर्चा होनी है।

3. अतएव शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु तैयार की गयी मानक भवन उपविधि संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इसे प्राधिकरण/परिषद की विद्यमान भवन उपविधियों में समाविष्ट करने हेतु प्राधिकरण/परिषद बोर्ड

में प्रस्तुत कर तत्काल अंगीकृत/अनुमोदित कराने व तद्नुसार शासन को सूचित करने का कष्ट करें ताकि इसे शीघ्रताशीघ्र राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जा सके। यदि बोर्ड की बैठक में विलम्ब हो तो परिचालन द्वारा अंगीकृत/अनुमोदित कराने की कार्यवाही की जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (छः पृष्ठ)

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या : 4780-1/9-आ-1-99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(2) अध्यक्ष, समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि०, लखनऊ।

(5) अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु।

संलग्नक : मानक भवन उपविधि।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-4716/9-आ-1-29 विविध/98

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़, मथुरा, बांदा, मुजफ्फरनगर, देहरादून, कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, बुलन्दशहर, फैजाबाद, उन्नाव, बरेली, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, हरिद्वार, मुरादाबाद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2000

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 को लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अधीन राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उपविधियां बनाने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया भवन उपविधियों का गजट नोटीफिकेशन अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन्हें लागू किए जाने से पूर्व अधिनियम की धारा-57 के अधीन शासन का अनुमोदन आवश्यक है।

2. अतएव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसकी एक प्रति इस आशय से संलग्न है कि प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण के विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नई उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए। यह भी अपेक्षित है कि जनता को संशोधित उपविधि की जानकारी देने हेतु एक सूचना समाचार पत्रों में भी जारी करा दी जाए।

संलग्नक : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं
विकास उपविधि, 2000 की एक प्रति।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या-4716(1)/9-आ-1-29 विविध/98 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष सम्बन्धित विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यू.पी. चेप्टर, इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स।
5. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-4717/9-आ-1-29 विविध/98

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2000

विषय : आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2000 को लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1397/ नि.प्रा./ दिनांक 25.5.2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 परिषद बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने के उपरांत शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अंगीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसकी एक प्रति इस आशय से संलग्न है कि परिषद के कार्य क्षेत्र में विकास एवं निर्माण के विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नई उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए। यह भी अपेक्षित है कि जनता को संशोधित उपविधि की जानकारी देने हेतु एक सूचना समाचार पत्रों में भी जारी कर दी जाए।

संलग्नक : आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण
एवं विकास उपविधि, 2000 की एक प्रति।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या-4717(1)/9-आ-1-29 विविध/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यू.पी. चेप्टर, इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स।
5. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-320/9-आ-3-2000-127 काम्प/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2000

विषय : गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2810/9-आ-1-98, दिनांक 23 सितम्बर, 1998 एवं शासनादेश संख्या-4503/9-आ-1-98, दिनांक 16 नवम्बर, 1998 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों के प्रस्तर-2 में गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिये निम्नलिखित शर्तों के साथ शिथिल कर दिया जाय :-

(1) हरित पट्टी के अनुरूप भूखण्ड के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा। एफ०ए०आर० 15 प्रतिशत से अधिक न होगा परन्तु यदि महायोजना में इससे कम अनुमन्य है तो उतना ही अनुमन्य होगा।

(2) ड्रेनेज सीधे गंगा नदी में नहीं अवमुक्त किया जायेगा वरन् अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जानी होगी।

(3) यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि गंगा नदी में मल न जाने पाये।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23-9-98 एवं दिनांक 16-11-98 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-320/(1)/9-आ-3-2000-127 काम्प/99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-124 सी०एम०/9-आ-3-2000-127 काम्प/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2000

विषय : गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-320/9-आ-3-2000-127 काम्प/99, दिनांक 5 फरवरी,2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी के तट के किनारे 200 मीटर तक लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों की पृष्ठभूमि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने की है। दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि वाराणसी व हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल गंगा के तट पर हैं और वहाँ गंगा नदी तथा उसके तट पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुये मठ एवं आश्रम वहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़े इन भवनों, जो सार्वजनिक सुविधाओं का ही एक भाग है, को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाना उपयुक्त न होगा परन्तु गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिये भी समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में शासनादेश दिनांक 5 फरवरी, 2000 द्वारा पूर्व में किये गये शिथिलीकरण के स्थान पर यह निर्णय लिया गया है कि गंगा नदी के किनारे ऐसे स्थानों का जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, जहाँ का स्वरूप प्रमुखतः तीर्थ है, वहाँ पर मठ, आश्रम, मन्दिर का निर्माण कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य कर दिया जाय। यह शर्तें निम्नवत होंगी।

(1) भू-आच्छादन 35 प्रतिशत तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०) 1.5 सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरूप ही अनुमन्य हो।

(2) आवेदक को भवन मानचित्र अनुमति के आवेदन के साथ एक योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि नदी का प्रदूषण नहीं होगा।

(3) ड्रेनेज सीधे नदी में अवमुक्त नहीं किया जायेगा बल्कि अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।

(4) यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि नदी में मल इत्यादि न जाने पाये।

(5) यह योजना जल निगम/जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार पाये जाने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 5 फरवरी, 2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्याः 124 सी0एम0(1)/9-आ-3-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) मुख्य अभियन्ता अभियन्ता, (गंगा) नोडल अधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।

(2) सचिव, नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन।

(3) उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उपसचिव।

पत्र संख्या-3025/9-आ-1-97-38 वि/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 2000

विषय : कानपुर विकास प्राधिकरण में बहुखण्डीय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कानपुर प्रोमोटर्स एण्ड बिल्डर्स एसोसियेशन ने शासन के समक्ष एक प्रत्यावेदन दिनांक 16-6-2000 को प्रस्तुत किया है, जिसमें यह शिकायत है कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले लगभग एक वर्ष से ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं जबकि शासनादेश संख्या-1616/9-आ-1-97-38 वि/97, दिनांक 01 मई, 1997 में की गयी व्यवस्था अनुसार विकास प्राधिकरण में मानचित्र प्राप्ति के 90 दिनों में मानचित्र स्वीकृत हो जाने का प्राविधान है। एसोसियेशन ने अपने प्रत्यावेदन के साथ कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 07-6-2000 की छाया प्रति भी संलग्न की है, जिसमें यह उल्लिखित है कि नयी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु संदर्भित है, जिसके अधिसूचित होने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नयी भवन उपविधि को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही प्रगति में है जो अधिसूचित होने के उपरान्त ही लागू मानी जायेगी परन्तु जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक पुरानी भवन उपविधि लागू रहेगी। अतः नयी भवन उपविधि की अधिसूचना जारी होने तक मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही पुरानी भवन उपविधि के अनुसार की जाय।

3. उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 3025(1)/9-आ-1-97-38वि/97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु।
6. अनूप अस्थाना, कानपुर प्रोमोटर्स एण्ड बिल्डर्स एसोसियेशन, 6-अस्थाना मार्केट,113/207, स्वरूप नगर,कानपुर को उनके प्रत्यावेदन दिनांक 16-6-2000 के संदर्भ में।
7. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसियेशन, उ० प्र० प्रगति केन्द्र, प्रथम तल, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 14-6-2000 के संदर्भ में।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-3662/9-आ-3-2000-93 काम्प/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. अध्यक्ष,
   नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   नैनीताल।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2000

विषय : नैनीताल झील परिक्षेत्र में भवनों की अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि पर्वतीय क्षेत्र के संवेदनशील पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिगत धरातल पर एक निर्धारित सीमा से अधिक भार को नियन्त्रित रखने तथा पर्वतीय क्षेत्र के नैसर्गिक सौन्दर्य के संरक्षण के उद्देश्य से कुछ मामलों में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप शासनादेश संख्या 3093/9-आ-3-92-95-55 काम्प/92 दिनांक 10.9.1992 तथा संख्या 792/9-आ-3-1996-55-काम्प/95 दिनांक 01.7.1996 द्वारा नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र में भवन निर्माण की अधिकतम ऊँचाई 7.5 मीटर निर्धारित की गई है तथा अधिकतम दो तलों का निर्माण अनुमन्य किया गया है।

2. कतिपय प्रकरणों में शासन के समक्ष यह बिन्दु मार्गदर्शन के लिए आया है कि स्प्लिट टैरेस लेबिल/तल होने की स्थिति में भवन की ऊँचाई का प्रतिबन्ध किस प्रकार लागू किया जाएगा। इस विषय में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान वाले भू-भागों पर अधिकतर निर्माणकर्ता पूरे दो तल लेने के उद्देश्य से ढलान को समतल करने हेतु भारी मात्रा में कटान करते हैं जिससे भूमि की ऊपरी परत कमजोर पड़ जाती है। फलस्वरूप भू-स्खलन की सम्भावनाएं बढ़ती हैं। अतः भवन की अधिकतम ऊँचाई सम्बन्धी अन्तर्निहित तकनीकी बिन्दु को निम्नानुसार स्पष्ट करने का निदेश हुआ है।

3. पर्वतीय क्षेत्र में भवन दो प्रकार निर्मित हो सकते हैं :-

(i) भवन का सम्पूर्ण धरातल की एक लेविल में कटिंग करके भवन निर्मित किया जाए। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि भवन की अधिकतम ऊँचाई 7.5 मीटर समतल किए गए धरातल (ग्राउण्ड लेविल) से होगी। निर्माण अधिकतम दो तलों तक अनुमन्य है जिसके आकलन में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि पूरी तरह से दूसरा तल पहले तल के ऊपर है।

(ii) भूखण्ड बड़ा होने की स्थिति में यदि भूखण्ड को समतल कर उपरोक्तानुसार निर्माण किया जाएगा तो अत्यधिक कटिंग निहित होगी जिससे पहाड़ को क्षति होने की सम्भावना होगी। ऐसे में ढलान के अनुरूप स्प्लिट टैरेस्ड लेविल निर्माण पद्धति उपयुक्त होती है क्योंकि कटिंग न्यूनतम होती है तथा फाउण्डेशन पर स्ट्रक्चरल लोड एक से अधिक लेविल में बंट जाने के कारण कम हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर में भवन की अधिकतम ऊँचाई 7.5 मीटर कहाँ से आकलित की जाए तथा तलों की संख्या

कैसे आंगणित की जाए, एक मार्गदर्शन का बिन्दु बन जाता है। इस विषय में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्प्लिट टैरेस लेविल/तल के ऊपर स्ट्रक्चर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) ऊँचाई 7.5 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा किसी भी स्प्लिट टैरेस लेविल/तल के ऊपर एक से अधिक तल नहीं होगा।

(iii) बेसमेंट का निर्माण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) भवन की कोई भी बाहरी अथवा आन्तरिक दीवाल 7.5 मीटर से अधिक ऊँचाई की नहीं होगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या : 3662(1)/9-आ-3-2000 - तद दिनांक। 25/10/2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
2. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या-3661/9-आ-3-98-7 वि०/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2000

विषय : तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

आवास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2805/9-आ-1-1996 दिनांक 18.6.96 के बिन्दु-5 में योजनाओं के अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य निजी निर्माताओं द्वारा स्वयं कराये जाने की दशा में प्राधिकरणों में स्वीकृति के लिए प्राप्त मानचित्रों पर पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा अनुमानित आंतरिक विकास कार्यों के मूल्य की 1% धनराशि पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में लिए जाने की व्यवस्था है। आन्तरिक विकास कार्यों के मूल्य की गणना में अन्तर की सम्भावनाओं के दृष्टिगत उत्पीड़न की आशंका को देखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :-

2. प्राधिकरणों में स्वीकृति हेतु प्राप्त तलपट मानचित्रों पर क्षेत्रफल के आधार पर रु. 3/- प्रति वर्ग मीटर (ग्रास एरिया पर) पर्यवेक्षण शुल्क वसूल किया जाएगा। यह धनराशि छमाही किस्तों में भी निम्नानुसार 15 प्रतिशत ब्याज सहित ली जा सकती है, प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रत्येक किश्त के साथ अद्यावधिक ब्याज समस्त अवशेष धनराशि पर देय होगा :-

क्रमांक	देय धनराशि	किश्तों की धनराशि
1	रु. 2 लाख	एक मुश्त
2	रु. 2 लाख से 7.5 लाख तक	तीन बराबर किस्तों में जिसमें प्रथम किस्त रु. 2 लाख से कम नहीं होगी।
3	रु. 7.5 लाख से अधिक	छः बराबर किस्तों में जिसमें प्रथम तीन किस्तें (प्रत्येक) रु. 2.5 लाख से कम न होंगी।

3. दो किस्तों के लगातार पूर्ण रूप से भुगतान न किए जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त हो जाएगा।

4. उक्त दर वर्तमान कास्ट इण्डेक्स पर आधारित है, अतः विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर ही प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित कास्ट इण्डेक्स के आधार पर इसे अद्यावधिक किया जाएगा।

5. शासनादेश संख्या-2805/9-आ-1-1996 दिनांक 18.6.1996 वर्तमान में चूँकि विकास प्राधिकरणों में ही प्रभावी है, अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश आवास एवं विकास परिषद सहित सभी विकास प्राधिकरणों में लागू करते हुए उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे तथा इनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या : 3661(1)/9-आ-3-98-7 वि/98 तद्दिनांक 25/10/2000

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
2. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-3404/9-आ-3-99-74 वि०/99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/सचिव
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 26 अक्टूबर, 1999

विषय : भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बेहतर बनाने के लिये शासन प्रयासरत है। इसी संदर्भ में नगरों में व्यवसायिक तथा ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण सम्बन्धी शासनादेश समय-समय पर निर्गत किये गये हैं ताकि औद्योगिक इकाइयों के लम्बित मामलों का निस्तार शीघ्रता से हो सके।

2. शासन की जानकारी में यह बात आयी है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लम्बित भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से अलग-अलग अभिलेख/सूचना सम्बन्धित इकाइयों से प्राप्त करने में पत्र व्यवहार कर महत्वपूर्ण निर्यातकों से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों के मानचित्र अत्यधिक विलम्ब से स्वीकृत किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभिलेख/सूचनायें सम्बन्धित इकाइयों से अलग-अलग न प्राप्त कर, उक्त इकाइयों से समस्त अभिलेख/सूचनायें एक साथ प्राप्त की जायं तथा लम्बित मानचित्रों की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र प्रदान की जाय। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,

संख्या-3404(1)/9-आ-3-99-74वि०/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-231/9-आ-1-99-[illegible]/95

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 ।

2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-1 — लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 1999

विषय:- विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को खेलकूद मैदान के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1704/9-आ-1-98, दि0: 19 अप्रैल, 98 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कतिपय नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) नर्सरी/प्राइमरी, माध्यमिक व डिग्री कालेज आदि के लिए मानकों के आधार पर भवन निर्माण हेतु भूमि पूर्व व्यवस्थानुसार सेक्टर दर के 40 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करायी जाएगी ।

(2) इन शैक्षिक संस्थाओं के मानकों के अनुसार न्यूनतम खेल के मैदान के लिए अलग से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और यह भूमि उस योजना के ओपेन स्पेस/हरित पट्टी में समायोजित होगी । यह भूमि विद्यालय को लाइसेन्स पर केवल खेल के मैदान के लिए रू0-1.00 प्रतिवर्गमीटर प्रति वर्ष की दर पर लाइसेन्स फीस पर दी जाएगी । इस भूमि पर केवल खेल के मैदान हेतु आवश्यक निर्माण अनुमन्य होगा, जो 2 प्रतिशत की सीमा से अधिक न होगा । उपयोग के संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी जो ग्रीनबेल्ट/ओपेन स्पेस के लिए महायोजना में निर्धारित हों । यह लाइसेन्स 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और विद्यालय जारी रखने तक, शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में प्रत्येक 10 वर्ष बाद नवीनीकृत किया जाएगा ।

क्रमश: 2

2. उपरोक्त व्यवस्था भविष्य में नियोजित की जाने वाली योजनाओं में लागू की जाएगी, साथ ही वर्तमान योजनाओं में भी लागू किया जाएगा, यदि खेल के मैदान के समतुल्य ओपेन स्पेस/ग्रीनबेल्ट उपलब्ध हो। वर्तमान में खेल के मैदान हेतु निर्धारित भूमि को उसी योजना में उपलब्ध ओपेन स्पेस/ग्रीनबेल्ट से समायोजित करने पर, इस क्षेत्रफल के बराबर ग्रीनबेल्ट का उपयोग सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

2. इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि योजना के प्रारम्भ में सामुदायिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल से इण्टर कालेज तक की शैक्षिक संस्थाओं को योजना के प्रारम्भिक 5 वर्ष में भूमि आवंटन व तदोपरान्त 2 वर्ष तक निर्माण करने तथा नर्सिंग होम प्रथम 5 वर्ष में चालू कराने पर निम्नानुसार दर के आधार पर मूल्य देयता संशोधित करते हुए अन्तर धनराशि वापस की जाएगी :-

(1) <u>प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल, जू०हा०स्कूल, इण्टर कालेज</u>

कालम	दर
(अ) योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 3 वर्ष तक।	(अ) रिहायशी भूखण्ड की दर के 25% प्रतिशत पर।
(ब) 3 वर्ष से 5 वर्ष तक।	(ब) रिहायशी भूखण्ड की दर के 30% प्रतिशत पर।
(स) 5 वर्ष के उपरान्त।	(स) रिहायशी भूखण्ड की दर के 40% प्रतिशत पर।

(2) <u>नर्सिंग होम</u>

(अ) योजना प्रारम्भ होने के 5 वर्ष तक।	(अ) रिहायशी भूखण्ड की दरों पर।
(ब) योजना प्रारम्भ होने के 5 वर्ष के बाद।	(ब) नीलामी द्वारा।

3. शासनादेश संख्या-1704/9-आ-1-98, दिनांक-19.04.1996 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें/व्यवस्था यथावत रहेंगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव।

3/-

संलग्नक: 3

संख्या-231/9-आ-1-99-150डी/95

पृ०: 99

प्रेषक,

श्री रामकृष्ण प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

2. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1   लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 1999

विषय:- विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को खेलकूद मैदान के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1704/9-आ-1-96, दि०: 19 अप्रैल, 96 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कतिपय नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) नर्सरी/प्राइमरी, माध्यमिक व डिग्री कालेज आदि के लिए मानकों के आधार पर भवन निर्माण हेतु भूमि पूर्व व्यवस्थानुसार सेक्टर दर के 40 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) इन शैक्षिक संस्थाओं के मानकों के अनुसार न्यूनतम खेल के मैदान के लिए अलग से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और यह भूमि उस योजना के ओपेन स्पेस/हरित पट्टी में समायोजित होगी। यह भूमि विद्यालय को केवल खेल के मैदान के लिए रू0-1.00 प्रतिवर्ष की दर प्रति लाइसेन्स पर लाइसेन्स फीस पर दी जाएगी। इस भूमि पर केवल खेल के मैदान हेतु आवश्यक निर्माण अनुमन्य होगा, जो 2 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। उपयोग के संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी, जो शासनादेश में निर्धारित हैं। यह लाइसेन्स 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और विद्यालय चालू रहने तथा शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में प्रत्येक 10 वर्ष बाद नवीनीकृत किया जाएगा।

क्रमश: 2

101

पृ०सं० - 2718(1)/9-आ-1-99, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र० ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ ।
3. आवास अनुभाग-2/3

आज्ञा से,

(रामवृक्ष प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1337/9-आ-1-1996-

प्रेषक,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक- 18 मार्च, 1996

विषय:- विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में क्रिकेट हेतु रियायती दरों पर भूखण्ड के आवंटन विषयक।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में क्रिकेट को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में क्रिकेट हेतु रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराया जाय और इस हेतु भूमि की दरें निम्नवत् निर्धारित की जायें :-

क्र0सं0	भूमि	भूमि की दर
1.	क्रिकेट के लिए छोटे आकार के मैदान हेतु भूमि जिसपर कोई निर्माण नहीं होना है तथा गोल्फ कोर्स, घुड़सवारी मैदान, [illegible] आदि के लिए ऐसे क्रिकेट के बड़े मैदान, जल क्रीड़ा पानी की अन्य परियोजनायें जिसमें निर्मित क्षेत्र 2 प्रतिशत से अधिक न हों।	सेक्टर रेट का 2 प्रतिशत वार्षिक लाइसेन्स शुल्क के आधार पर।

क्रमशः ---- 2/=

क्र0सं0	भूमि	भूमि की दर
2.	खेलकूद के लिए छोड़ी गई भूमि पर खेलकूद सम्बद्ध सुविधा के लिए किसी भवन निर्माण की भूमि के लिए ।	सेक्टर दर का 50 प्रतिशत

भवदीय,

। अखण्ड प्रताप सिंह ।
प्रमुख सचिव।

5

अनाधिकृत निर्माण का शमन

संख्या-121/आ०ब०-आ०नि०/शमन/99-2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव, आवास/
अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

आवास बन्धु — लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2000

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत एफ.ए.आर. तथा अनुमन्य इकाइयों में कम्पाउण्डिंग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बिल्डर्स एसोसिएशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद ने शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 19.4.2000 द्वारा सूचित किया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत की गई व्यवस्थानुसार 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग निर्माण के शमन हेतु कई आवेदकों ने सेल्फ असेसमेन्ट के आधार पर आवेदन पत्र जमा किए थे। परन्तु प्राधिकरण द्वारा इन मानचित्रों पर अनावश्यक आपत्तियाँ लगाई जा रही हैं जिसके कारण अधिकांश मानचित्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अतिरिक्त शमनीय एफ.ए.आर. के साथ कितनी इकाइयाँ शमनीय हैं, की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन उपविधि जो दिनांक 21.4.1998 को लागू की गई थी, की अनुसूची के क्रमांक-12 के अन्तर्गत 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग/अनुमन्य इकाइयों से अधिक इकाइयों के शमन हेतु स्पष्ट प्राविधान किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अनुमन्य एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के शमन अथवा अनुमन्य इकाइयों से अधिक इकाइयों के शमन हेतु उपविधि के परिशिष्ट-1, सिद्धान्त-ब में दिए गए फार्मूला के अनुसार ग्रुप हाउसिंग अथवा एकल भूखण्डों हेतु केवल अधिकतम शमनीय एफ.ए.आर. की सीमा निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत निर्मित समस्त इकाइयाँ शमनीय हैं।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत लम्बित ऐसे प्रकरणों का निस्तारण उपरोक्त व्यवस्थानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या : 121(1)आ०ब०-आ०नि०/शमन/99-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री एस० पी० सिंह, सचिव, बिल्डर्स एसोसिएशन, सी-3, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद, गाजियाबाद को उनके प्रत्यावेदन दिनांक 19.4.2000 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या-4580/9-आ-1-99-120वि०/98

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1999

विषय :- अनाधिकृत निर्माण के शमन की द्वितीय संशोधन उपविधि लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-869/प्रवर्तन खण्ड/99, दिनांक 7-6-99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्वितीय संशोधन शमन उपविधि को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में लागू किये जाने तथा परिष्कृत शमन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को स्पष्ट किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने की अपेक्षा की गयी है कि द्वितीय संशोधन शमन उपविधि,1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) को कतिपय परिष्कारों सहित गाजियाबाद विकास क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-3689/9-आ-1-1999, दिनांक 27-7-99 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त उपविधि के अनुसार 1000 वर्गमीटर से ऊपर के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों को प्रशमनित किये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या-4167/9-आ-1-1998, दिनांक 29-10-98 द्वारा जारी स्वैच्छिक शमन उपविधि के नियम संख्या-3(3) तथा अनुसूची के क्रमांक-1(IV) 2(ख) तथा 4 में दिया गया है। कृपया द्वितीय संशोधन उपविधि को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तत्काल लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या-4913/9-आ-1-1999-120विविध/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 1999

विषय : स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4055/9-आ-1-1999-120 विविध दिनांक 25.8.1999 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 (ii) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि महायोजना अथवा जोनल प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण निम्न सूचनाओं/विवरणों सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे :-

(i) विचाराधीन भूखण्डों/स्थलों की महायोजना मानचित्र पर स्थिति।

(ii) विचाराधीन भूखण्डों/स्थलों के अलग-अलग साईट प्लान/सजरा मानचित्र पर स्थिति; भूखण्ड संख्या/सजरा संख्या एवं क्षेत्रफल।

(iii) भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकरण पर समिति की अनुशंसा तथा समिति के सदस्यों अथवा उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर।

(iv) भू-प्रयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड/आवास परिषद बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-4913/(1)/9-आ-1-1999-120 विविध तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या : 6073/9-आ-1-1999-120 विविध/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास-अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांकः 07 दिसम्बर, 1999

विषय : स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4055/9-आ-1-1999-120 विविध/98, दिनांक 25-8-99 तथा उसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या-4913/9-आ-1-1999-120 विविध/98, दिनांक 16-11-99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गयी थी कि महायोजना अथवा जोनल प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग विरूद्ध किये गये निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

2. इस सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 11-11-1999 में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी कि उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन भू-प्रयोग में परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण यदि बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे तो इन प्रकरणों के निस्तारण प्रक्रियात्मक विलम्ब होगा जिसके कारण स्वैच्छिक शमन योजना का समापन सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में प्रक्रियात्मक समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

(i) महायोजना में भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा परिवर्तन पर निर्णय लिया जाता है। इसमें लगने वाले समय की बचत के लिये उचित होगा कि बोर्ड द्वारा एक उप समिति गठित कर दी जाय जो विचार कर बोर्ड की ओर से संस्तुति (अथवा अन्यथा) शासन को उपलब्ध कराये। इसी प्रकार इस समिति को भू-विन्यास में भू-उपयोग परिवर्तन के विषय पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

(ii) भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद द्वारा समिति को अधिकृत किया जा सकता है।

(iii) भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित पुराने प्रकरण, जो स्वैच्छिक शमन योजना के लागू होने से पूर्व निरस्त किए गए हैं, पर स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत विचार करने हेतु भी बोर्ड द्वारा समिति को अधिकृत किया जा सकता है।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों का बोर्ड की सहमति से उपरोक्त व्यवस्थानुसार समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या-6073(1)/9-आ-1-1999-120 विविध/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या 2102/9-आ-1-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2000

आवास अनुभाग-1

विषय : स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शासन में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों के द्वारा घोषित स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में प्राधिकरणों के द्वारा लिये गये निर्णयों से असन्तुष्ट होने की शिकायतें शासन में निरन्तर प्राप्त हो रही हैं। अतः उक्त योजना को अधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :-

1. क्योंकि अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिये शमन मानचित्र की स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम,1973 की धारा-32 सपठित धारा-15 के अन्तर्गत दी जाती है, इसलिये निर्णय से असन्तुष्ट होने की स्थिति में इन निर्णयों के विरुद्ध मण्डलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इस हेतु अपीलीय फीस के अतिरिक्त तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रुपये एक हजार मात्र प्राधिकरण को जमा करना होगा।
2. मण्डलायुक्त तकनीकी बिन्दुओं पर अपनी सहायता के लिये मण्डल स्तर पर उपलब्ध नगर नियोजक या समकक्ष सक्षम तकनीकी अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं अथवा उक्त अधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार शासन द्वारा गठित 8 व्यक्तियों के निम्न पैनल से किसी एक का चयन कर दोनों की एक समिति का गठन कर सकते हैं।
   (i) श्री पचौरी सेवा निवृत्त, मुख्य वास्तुविद, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
   (ii) श्री एम०एस० त्यागी, मुख्य नगर नियोजक, प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (बुलन्दशहर)
   (iii) श्री वाई०के० रहेजा, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
   (iv) श्री पी०सी० महरोत्रा, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण सेवा एवं सलाहकार, आवास बन्धु (लखनऊ)
   (v) श्री एन०आर० वर्मा, अपर निदेशक (नियोजन) आवास बन्धु (लखनऊ)
   (vi) श्री रूपेश जायसवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (आगरा)
   (vii) श्री शंकर नाग देव, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
   (viii) श्री सी०पी० अरोरा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
3. शिकायत/अपीलकर्ता तथा प्राधिकरण दोनों ही अपना-अपना पक्ष मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा मण्डलायुक्त समिति के सलाह पर विचारोपरान्त उस पर निर्णय लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मण्डलायुक्त स्वयं अथवा उनके द्वारा गठित समिति स्थल का निरीक्षण भी कर सकती है, जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को करनी होगी।
4. समिति की सहायता प्राप्त करने की दशा में समिति में उक्त पैनल के सदस्यों को टी०ए०, डी०ए० तथा पारिश्रमिक का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा इस विषय में समय-समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर आवास बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जिसकी

प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवास बन्धु को की जायेगी। व्ययभार कम करने के लिये आवश्यक होगा कि एक दिन में कम से कम पाँच प्रकरणों का निस्तारण पैनलिस्ट करेंगे। मण्डलायुक्त/अध्यक्ष भी कृपया इसके दृष्टिगत तिथियाँ तय करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 2102(1)/-आ०-ब०/नि०सम०/आर्बी०/2000-01 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि वे इस शासनादेश की प्रतियां अपने नगर के सभी प्रतिष्ठित बिल्डर्स तथा आर्किटेक्ट्स को उपलब्ध करा देंगे।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. स्टेट बिल्डर्स एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा एल्डिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० प्रगति केन्द्र, कपूरथला, लखनऊ।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या : 2769/9-आ-1-2000
लखनऊ : दिनांक : 8 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि अधिकतर विकास प्राधिकरणों में स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत जमा किए गए मानचित्रों का निस्तारण कई-कई माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण विभाग में इस विषय की जानकारी रखने वाले अधिकारियों की कमी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या : 2102/9-आ-1-2000 दिनांक 8.05.2000, द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं आवश्यकता पड़ने पर मण्डलायुक्तों की भांति समस्त प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या- 2769 (1)/आ०ब०/नि०सम०/आर्बी०/2000-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा एल्डिको हाऊसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, प्रगति केन्द्र, कपूरथला, लखनऊ।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-3855/9-आ-1-2000

प्रेषक

श्री संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
2- आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2000

विषय : स्वैच्छिक शमन उपविधि के प्रयोजन हेतु "निर्मित भवन" की व्याख्या स्पष्ट किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4167/9-आ-98 दिनांक 24-10-1998 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (द्वितीय संशोधन), उपविधि, 1998 की टिप्पणी-2 के अनुसार शमन हेतु आवेदन केवल उन्हीं भवनों के सम्बन्ध में स्वीकार्य रखे गए हैं जो इस संशोधन उपविधि के लागू होने की तिथि तक "निर्मित" हो चुके हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि "निर्मित" भवन के सम्बन्ध में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिसके फलस्वरूप स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त कई आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिए गए हैं/किए जा रहे हैं, कि भवन पूर्णतः निर्मित नहीं है। परिणामस्वरूप कई आवेदकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-2 (बी) में निहित 'भवन' की परिभाषा के दृष्टिगत शमन के प्रयोजन हेतु "निर्मित भवन" का तात्पर्य निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

(i) भवन का तात्पर्य संरचना अथवा erection या उसके भाग जो वास्तविक उपयोग में हो अथवा नहीं, से है।

(ii) यदि भवन erected है और विद्यमान संरचना के अनुसार भू-आच्छादन तथा एफ०ए०आर० defined हैं और उसमें जिस भाग की कम्पाउण्डिंग होनी है, यदि वह निर्मित हो चुका है, तो ऐसे भवन को "निर्मित भवन" माना जाएगा भले ही उसमें प्लास्टरिंग, सैनेट्री कार्य, विद्युत-कार्य, दरवाजे एवं खिड़कियां तथा पेन्टिंग आदि का कार्य पूर्ण हुआ हो अथवा नहीं।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-3855(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

6

फिल्म तथा पर्यटन नीति का क्रियान्वयन

संख्या-2206/9-आ-3-99-50वि०/99

प्रेषक

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 1999

आवास अनुभाग-3

विषय : फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म-नीति-1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में फिल्म उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने एवं इसमें उद्यमियों को अपनी पूँजी निवेशित करने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा जो फिल्म नीति,1999 घोषित की गयी है, उसका अनुसरण करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि मल्टीप्लेक्सेज तथा छविगृहों के भावी विकास के लिये प्राइम् स्थलों पर भूमि का आवंटन स्थानीय नागर प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। मल्टीप्लेक्सेज/छविगृहों हेतु भूमि आवासीय दर को न्यूनतम मानकर नीलामी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पहले मल्टीप्लेक्सेज़/छविगृहों का निर्माण कराया जायेगा तथा इसके उपरान्त ही वाणिज्यिक निर्माण किया जा सकेगा तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार ही दो स्टेज में मानचित्र स्वीकार किया जायेगा।

2- इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी फिल्मों से प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद फिल्म वितरण के लिये इसे अन्य क्षेत्रों के साथ रखा गया है। अतः यह आवश्यकता महसूस की गयी है कि उत्तर प्रदेश एक पृथक वितरण क्षेत्र के रूप में स्थापित हो। इससे उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाले राजस्व को प्रदेश में बनने वाली फिल्मों के वित्त पोषण पर लाभकारी ढंग से पुनर्निवेशित किया जा सकेगा। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयुक्त वैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्थायें विकसित की जायं। वितरकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जायेगा कि वे अपने कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन वितरकों को विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि तथा भवन के नियमानुसार आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-2206/9-आ-3-99-50 वि/99-तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ० प्र० शासन।
3. प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रतिलिपि मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रतिलिपि औद्योगिक विकास अनुभाग-6 एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-6।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या-2235/9-आ-3-99-42 विविध/99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 1999

विषय : फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति,1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने एवं इसमें उद्यमियों को अपनी पूँजी निवेशित करने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा घोषित फिल्म नीति,1999 के अन्तर्गत आवास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-2235/9-आ-3-99-42 वि०/99, दिनांक 27 मई,1999 जारी किया गया है। उक्त जारी शासनादेश दिनांक 27 मई, 1999 के प्रस्तर-2 के बाद प्रस्तर-3 निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय :-

नवीन छविगृहों को अपने आच्छादित क्षेत्रफल के 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन करने की छूट होगी। शासनादेश दिनांक 27 मई, 1999 इस सीमा तक संशोधित माना जाय ।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-2235(1)/9-आ-3-99- तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास अनुभाग-6/कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-6।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को उनके पत्र दिनांक 29-5-99 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या : 2829/9-आ-3-99-42विविध/99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 1999

विषय : फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति,1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर आवास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2206/9-आ-3-99-50 वि०/99, दिनांक 27-5-99 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2235/9-आ-3-99-42 वि०/ 99, दिनांक 31-5-99 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. शासनादेश दिनांक 31-5-99 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31-5-99 में उल्लिखित शासनादेश संख्या-2235/9-आ-3-99-42 विविध/99, दिनांक 27-5-99 के स्थान पर शासनादेश संख्या-2206/9-आ-3-99-50वि0/99, दिनांक 27-5-99 पढ़ा जाय। पूर्व निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-2829(1)/9-आ-3-/99 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ० प्र० शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. औद्योगिक विकास विभाग-6, कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-6।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को उनके पत्र दिनांक 29-5-99 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या 2179/9-आ-3-99-18 वि०/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 7 जून, 1999

विषय : उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 1998 के अन्तर्गत नगर योजना में पर्यटन प्रयोजन हेतु भूखण्ड चिन्हित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा जारी पर्यटन नीति दिनांक 31-12-98 में आवासीय क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा तीन स्तर तक की मान्यता प्राप्त कर सकने योग्य होटल/रिजार्ट प्रोजेक्ट या कोई अन्य मान्यता प्राप्त पर्यटक इकाई स्थापित किये जाने हेतु उनको अनुमति दिये जाने तथा स्थानीय निकाय एवं समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर योजना में पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये भूखण्ड चिन्हित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अतः अनुरोध है कि पर्यटन के विकास के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों द्वारा नगरों/महानगरों की योजनायें तैयार करते समय पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये भूखण्ड चिन्हित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में आवासीय योजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति में पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास किये जाने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या : 2179/9-आ-3-99-18वि/99-तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक पर्यटन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि किन-किन नगरों में पर्यटन के विकास हेतु विशेष रूचि रखते हैं।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या-369/9-आ-1-2000-120 विविध/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 24 ज़नवरी, 2000

आवास अनुभाग-1

विषय : पर्यटन नीति, 1998 के अनुरूप होटल व्यवसाय को प्रोत्साहन देने हेतु आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण अनुमन्य-निर्मित आवासीय भवन को स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत होटल परियोजनार्थ शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि कतिपय भवन जो आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के आधार पर निर्मित किये गये थे, को स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत होटल के रूप में शमन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनके निस्तारण के सम्बन्ध में इस बात का संशय बना हुआ है कि उन्हें आवासीय क्षेत्र में होटल हेतु मानकों के आधार पर शमन किया जाना है या स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ।

2- विदित है कि दिनांक 29-10-1998 को स्वैच्छिक शमन योजना जारी होने के उपरान्त शासनादेश संख्या-1260/9-आ-3-1998/18 वि/99, दिनांक 24-4-1999 द्वारा पर्यटन नीति के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में तीन स्टार तक के मान्यता प्राप्त होटल बनाये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। स्वैच्छिक शमन योजना में सभी प्रकृति के निर्माण के लिये अनुमन्य एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 60 एफ.ए.आर. शमनीय है परन्तु होटल से सम्बन्धित उपरोक्त प्रकरणों में यह समस्या है कि एफ.ए.आर.का शमन होटल हेतु अनुमन्य 125 एफ.ए.आर. को आधार मानकर किया जाय अथवा जिस एफ.ए.आर. हेतु मानचित्र स्वीकृत एवं निर्मित है, के उपर एफ.ए.आर. का शमन किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है :-

(i) ऐसे प्रकरणों में एफ.ए.आर.के शमन की सीमा उसी एफ.ए.आर. पर आधारित होगी, जो पूर्ण स्वीकृत मानचित्र में स्वीकृत/अनुमन्य थी क्योंकि उसी के आधार पर निर्माण किया गया था, परन्तु उसके लिये शुल्क होटल हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. 125 के उपर से ही लिया जायेगा। अतः यदि पूर्व में 250 एफ.ए.आर. स्वीकृत है तथा 60 एफ.ए.आर. अधिक निर्मित किया गया है (अर्थात् कुल 310 हैं) तो शमन शुल्क 310-125=185 एफ.ए.आर. के लिये वसूलते हुए होटल हेतु शमन किया जा सकता है जबकि स्वैच्छिक शमन योजना अनुसार आवासीय उपयोग के लिये शमन करने पर केवल 60 एफ.ए.आर. के लिये ही शुल्क देय होता है।

(ii) सड़क विस्तारीकरण हेतु यदि आवेदक द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है तो उसके प्रति कम्पनसेटरी एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा, जो सड़क विस्तारीकरण से प्रभावित भूमि का 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु उस भूखण्ड हेतु अवशेष भूमि पर अनुमन्य कुल एफ.ए.आर. का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

4- उपरोक्त एफ.ए.आर. के शमन की सुविधा केवल ऐसे भवनों के लिये अनुमन्य होगी जो आवासीय क्षेत्र में तीन स्टार तक के मान्यता प्राप्त हेतु निर्माण अनुज्ञा सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1260/9-आ-3-1999/18वि/99, दिनांक 12-4-1999 के पूर्व स्वीकृत एवं निर्मित हो चुके हैं तथा जिसके शमन के लिये स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जमा किये जा चुके हैं।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या- 369(1)/9-आ-1-2000-120 विविध/98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

7

नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या - 487/9-आ-1-2000
लखनऊ : दिनांक : फरवरी 01, 2000

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी के किनारे स्थित विकास प्राधिकरणों वाले नगरों के सर्विसेज (सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सीवरेज तथा पेयजल) मास्टर प्लान जल निगम, उ० प्र० के माध्यम से बनवाये जाने का विषय शासन के समक्ष विचाराधीन है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है। अतः विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाय जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :-

1. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
जो मुख्य अभियन्ता स्तर से कम न हो	सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
4. मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, कानपुर	सदस्य
5. मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य सचिव

अध्यक्ष समिति/आवास आयुक्त यदि किसी अन्य अधिकारी को उपयुक्त समझें तो उसे भी उक्त समिति में "को-आप्ट" कर सकते हैं। समिति के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नवत होंगे :-

1. सर्विसेज मास्टर प्लान कौन-कौन से सर्वेक्षण व अध्ययनों पर आधारित होंगे।
2. सर्विसेज मास्टर प्लान में क्या-क्या कार्य सम्मिलित होंगे तथा उनके क्या-क्या तकनीकी विवरण व विशिष्टियां उपलब्ध कराई जायेंगी। अर्थात विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क्स आदि।
3. विरचन शुल्क (सर्विस चार्ज) की गणना हेतु क्या आधार अपनाया जाना चाहिये; यथा कराये जाने वाले कार्यों के आगणन का एक प्रतिशत की दर से, अथवा नगर के क्षेत्रफल पर आधारित यूनिट रेट।

उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त समिति अपनी संस्तुति विलम्बतम एक माह में शासन को उपलब्ध करायेगी।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 487 (1) / 9-आ-1-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, नगर विकास, उ० प्र० शासन, लखनऊ को उनके पत्रांक : 1480/सीजीए/9-2-2000-(1) (19)/95 दिनांक 10 जनवरी, 2000 के क्रम में।
(2) आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद/अध्यक्ष समिति।
(3) सभी सदस्यगण, समिति।
(4) अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग-1, उ० प्र० शासन।
(5) आवास बन्धु, उ० प्र०।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या : 973/9-आ-1-2000
लखनऊ दिनांक : फरवरी 28, 2000

कार्यालय ज्ञाप

नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन एवं विकास तथा रखरखाव के कार्यों की समीक्षा एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु राज्यपाल महोदय निम्न सदस्यों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते हैं :-

(i)	सचिव आवास	सदस्य
(ii)	सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उम्मूलन	सदस्य
(iii)	सचिव, नगर विकास	सदस्य
(iv)	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(v)	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
(vi)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम	सदस्य
(vii)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(viii)	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
(ix)	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य

क्रमांक (i), (ii) व (iii) पर वरिष्ठतम अधिकारी टास्क फोर्स का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :-

1. नगर के विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकतायें निर्धारित करना एवं उनकी समीक्षा तथा दिशा निर्देश।
2. विकास प्राधिकरणों तथा नगर निगमों में नगरीय अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा एवं दिशा निर्देश।
3. सूडा के अवस्थापना सुविधा मद में उपलब्ध तथा स्टेट फाइनेन्स कमीशन से उपलब्ध धन की नगरीय अवस्थापना सुविधा से प्रस्तावित कार्यों के साथ डवटेलिंग।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं उनकी समीक्षा एवं दिशा निर्देशन।
5. अन्य प्रदेशों के अच्छे कार्यक्रमों एवं नीतियों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था।
6. अवस्थापना सुविधा मद से सम्बन्धित कार्य के क्रियान्वयन हेतु विशेष की राय तथा उन्हें बैठकों में बुलवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-973(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समिति के समस्त सदस्य।
2- उपाध्यक्ष,आवास प्राधिकरण (नगर निगमों वाले क्षेत्र)
3- मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम।
4- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
5- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-1

संख्या : 3868/9-आ-1-2000

लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2000

कार्यालय ज्ञाप

नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन एवं विकास कार्यों की समीक्षा हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 973/9-आ-1-2000 दिनांक 28.2.2000 के द्वारा गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार पुनर्गठित किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निर्देश देते हैं।

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जल निगम	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
7.	सचिव, आवास	सदस्य
8.	सचिव, पर्यावरण	सदस्य
9.	सचिव, नगरीय क्षेत्र रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	सदस्य
10.	सचिव, नगर विकास	सदस्य
11.	आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
12.	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
13.	मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी नगर निगम	सदस्य
14.	विशेष सचिव, आवास	सदस्य सचिव

अतः शासनादेश संख्या 973/9-आ-1-2000 दिनांक 28.2.2000 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव आवास

संख्या-3868/9-आ-1-2000 एवं तद्दिनांक

1- समिति के समस्त सदस्य।
2- मण्डलायुक्त,लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/फैजाबाद/वाराणसी/गोरखपुर/मेरठ/आगरा/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/गढ़वाल/झाँसी/चित्रकूट।
3- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4- आवास बन्धु के गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या : 1386/9-आ-1-2000
लखनऊ दिनांक : मार्च 25, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन स्तर पर प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन विकास एवं रखरखाव के ब्लू-प्रिन्ट तैयार करवाकर उनका क्रियान्वयन समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-973/9-आ-1-2000, दिनांक 28-2-2000 के द्वारा गठित समिति की सहायता के लिये श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में नगर स्तर पर निम्न सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्देश देते हैं :-

(i)	मण्डलायुक्त (मण्डल मुख्यालय नगरों में)	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष/सदस्य
(iii)	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष/सदस्य
(iv)	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद	सदस्य
(v)	जल निगम के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vi)	लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vii)	परियोजना निदेशक, डूडा।	सदस्य

मण्डल मुख्यालय नगरों में मण्डलायुक्त तथा अन्य में क्रमांक-(ii) व (iii) में जो भी वरिष्ठ हो समिति का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :-

1. नगर विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकतायें तय कराना तथा उनके ब्लू-प्रिन्ट तैयार करवाना।
2. नगर में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़कों के विकास एवं सुधार का ब्लू-प्रिन्ट तैयार करवाना।
3. सूडा की विभिन्न योजनाओं की विकास प्राधिकरण तथा नगर/नगरपालिका की योजनाओं के साथ डवटेलिंग।
4. नगर स्तर पर नगर की अवस्थापना के विकास से सम्बन्धित भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या-973/9-आ-1-2000, दिनांक 28-2-2000 द्वारा गठित समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-1386(i)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समिति के समस्त सदस्य।
2- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या-1662/9-आ-1-2000
लखनऊ दिनांक : 10 अप्रैल, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन स्तर पर प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन, विकास एवं रखरखाव के 'ब्लू-प्रिन्ट' तैयार करवाकर उनका क्रियान्वयन, समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-973/9-आ-1-2000, दिनांक 28-2-2000 के द्वारा गठित समिति की सहायता के लिये कार्यालय ज्ञाप संख्या-1386/9- आ-2000, दिनांक 25-3-2000 के द्वारा एक समिति गठित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुये समिति का पुर्नगठन निम्नानुसार किया जाता है :-

(i)	मण्डलायुक्त, मण्डल मुख्यालय नगरों में (उन नगरों को छोड़कर जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल का अधिकारी प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ है)	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष/सदस्य
(iii)	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष/सदस्य
(iv)	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद	सदस्य
(v)	जल निगम के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vi)	लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vii)	परियोजना निदेशक, डूडा	सदस्य

मंडल मुख्यालय नगरों में मण्डलायुक्त उन नगरों को छोड़कर जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल का अधिकारी प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पदस्थ है, ऐसे नगरों में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होगें तथा अन्य में क्रमांक-(ii) व (iii) में जो भी वरिष्ठ हो, समिति का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :-

1. नगर विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकतायें तय कराना तथा उनके 'ब्लू-प्रिन्ट' तैयार करवाना।
2. नगर में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़कों के विकास एवं सुधार का ब्लू-प्रिन्ट तैयार करवाना।
3. डूडा की विभिन्न योजनाओं की विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम/नगरपालिका की योजनाओं के साथ डवटेलिंग।
4. नगर स्तर पर नगर की अवस्थापना के विकास से सम्बन्धित भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या 973/9-आ-1-2000, दिनांक 28-2-2000 द्वारा गठित समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-1662 (1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समिति समस्त सदस्य।
4- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
5- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-93/आ०ब०/नि०सम०/अव० 2000-01
दिनांक : 3-5-2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव, आवास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण।
रायबरेली/मथुरा/बांदा/उन्नाव/झांसी/फैजाबाद/हरिद्वार/बुलन्दशहर/फिरोजाबाद/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/हापुड़/

2- **जिलाधिकारी,**
रायबरेली/मथुरा/बांदा/उन्नाव/झांसी/फैजाबाद/हरिद्वार/बुलन्दशहर/फिरोजाबाद/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/हापुड़।

3- **अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका परिषद,**
रायबरेली/मथुरा/बांदा/उन्नाव/झांसी/फैजाबाद/हरिद्वार/बुलन्दशहर/फिरोजाबाद/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/हापुड़।

विषय : वर्ष 2000-01 के लिये अवस्थापना सुविधा का 'ब्लू-प्रिन्ट' तैयार करवाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1662/9-आ-1-2000, दिनांक 10-4-2000 की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त के द्वारा गठित समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके आप अपने नगर से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधा का ब्लू-प्रिन्ट बनवाकर अविलम्ब शासन को भेजने का कष्ट करें। उक्त कार्य हेतु शासन स्तर पर गठित समिति (प्रतिलिपि संलग्न) की बैठक दिनांक 02-3-2000 की कार्यवृत्त की प्रति भी आपके दिशा निर्देश हेतु प्रेषित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि पूर्व में इस प्रकार का 'ब्लू-प्रिन्ट' केवल नगर निगम वाले 12 नगरों के लिये बनाये जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु बाद में इसे प्रदेश के उन सभी नगरों में लागू करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ की विकास प्राधिकरण कार्यरत है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-93(1)/आ०ब०/नि०सम०/अव०/2000-01 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
2- सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
3- प्रमुख अभियन्ता जल निगम को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश की प्रतियां सम्बन्धित सभी मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को अनुपालन हेतु अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।
4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश की प्रतियां सम्बन्धित सभी मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को अनुपालन हेतु अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।
5- निदेशक, डूडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश की प्रतियां सम्बन्धित सभी अधिकारियों को अनुपालन हेतु अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।
6- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
7- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 113/आ०ब०/नि०सम०/अवस्था०/2000-01

दिनांक : 9 मई, 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/नगरपालिका परिषद, कानपुर/लखनऊ/
वाराणसी/आगरा/इलाहाबाद/मेरठ/गोरखपुर/रायबरेली/
गाजियाबाद/मथुरा/बरेली/मुरादाबाद/अलीगढ़/बाँदा/
उन्नाव/झांसी/देहरादून/फैजाबाद/हरिद्वार/बुलन्दशहर/
फिरोजाबाद/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/हापुड़।

विषय : वर्ष 2000-01 हेतु अवस्थापना सुविधा का 'ब्लू प्रिन्ट' तैयार करना ।

महोदय,

दिनांक 25-4-2000 को प्रदेश के सभी प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा बेठक में यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया कि आवास एवं विकास परिषद तथा रेलवे विभाग को उक्त ब्लू-प्रिन्ट तैयार करने में सहभागी नहीं बनाया जा रहा है जबकि इन दोंनो विभागों का नगरों की अवस्थापना सुविधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कथित दोनों विभागों को उक्त ब्लू-प्रिन्ट बनाने हेतु बनायी गयी समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाय तथा इन विभागों द्वारा नगर के लिये प्रस्तावित कार्यों को भी ब्लू प्रिन्ट में शामिल किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या-113(1)/आ०ब०/नि०सम०/अवस्था०/2000-01 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि-

1- सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 4830/9-आ-1-2000

लखनऊ : दिनांक : नवम्बर 02, 2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय : नगरीय अवस्थापना सुविधा हेतु शासन द्वारा तैयार किए गये डेटा-बेस के अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 21 अक्तूबर, 2000 को सचिव आवास की अध्यक्षता में आवास बन्धु के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव आवास द्वारा दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त बैठक में सचिव महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि प्राधिकरण अपने स्तर पर "ब्लू-प्रिन्ट" से सम्बन्धित डेटा को अद्यावधिक करते हुए प्रत्येक 15 दिन में अद्यावधिक डेटा फ्लापी अथवा ई-मेल एकाउन्ट awas@up.nic.in को उपलब्ध कराएगा जिससे कि शासन स्तर पर डेटा-बेस अद्यावधिक किया जा सके।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। कृपया इसका अनुपालन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित करें। शासन और प्राधिकरण स्तर पर सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु यदि आपका कोई ई-मेल एकाउन्ट हो तो उसकी सूचना शीघ्र आवास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

8

सामुदायिक सुविधाओं का विकास

संख्या-6318/9-आ-3-1999

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 1999

विषय : नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण का अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जारी किये गये शासनादेश संख्या-218/9-आ-3-98-100-विविध/1997, दिनांक 16 मार्च, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि निर्माताओं ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य करा दिया अथवा प्रारम्भ कर दिया और इसी आधार पर निर्माताओं के विरुद्ध चालानी प्रक्रिया की गयी। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 24-1-98 में धारा-14 तथा 15 से दी गयी छूट का कोई लाभ न होगा, यदि निर्माताओं को आवश्यक निर्माण कराये जाने के पूर्व अनुमति अथवा मानचित्र स्वीकृत करा लेने की बाध्यता होगी। उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त छूट का अभिप्राय यह है कि निर्माताओं को केवल आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र तथा प्रस्तावित एन्टीना टावर तथा भवन के सम्बन्ध में सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र आदि ही निर्माण से पूर्व रुपया-5000/- की अनुज्ञा फीस के साथ जमा किये जाने का प्रतिबन्ध रखा गया है। यदि निर्माता तद्नुसार मानचित्र व सुरक्षा प्रमाण-पत्र अनुज्ञा फीस के साथ जमा कर देता है तो इसी से यह मान लिया जायेगा कि निर्माण करने की अनुमति एवं मानचित्र की स्वीकृति उसे प्राप्त हो गयी है।

यदि अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1998 से उल्लिखित शर्तों की पूर्ति निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में धारा-14 तथा 15 से छूट अनुमन्य न होगी और इन धाराओं का उल्लंघन मानते हुये शमन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। शमन की कार्यवाही एवं शमन शुल्क अधिरोपण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-6316/9-आ-3-99-100 विविध/1997, दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 द्वारा स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी है।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेलुलर मोबाइल संचार प्रणाली एक इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेवा है। अतः इस सेवा के अधिकाधिक विस्तार एव उपयोगिता को-दृष्टिगत रखते हुये ही किसी विकास शुल्क अथवा अन्य किसी प्रकार के शुल्क की व्यवस्था न करते हुये केवल एकमुश्त (लम्पसम) शुल्क की व्यवस्था की गयी थी। तद्नुसार स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 24-1-98 से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई विकास शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

पृ0सं0 : 6318(1)/9-आ-3-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र०, लखनऊ।
2- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4- नियत प्राधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग - 3

संख्या - 63/9-आ-3-2000-100 वि०/97

लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2000

अधिसूचना

1- उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 34, 1958) की धारा-5 (जे०) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विनियमित क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवनों के वर्ग को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुज्ञा सम्बन्धी आवश्यकताओं से छूट प्रदान करते हैं :-

(1) भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक अन्टीना टावरों, रेडियो, इक्विपमेंट कक्ष तथा जनरेटर कक्ष के निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व काउंसिल आफ आर्कीटेक्ट द्वारा पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित अन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष (जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अनधिक होगा) भवन निर्माण उपविधियों के अर्न्तगत है।

(2) अनधिकृत भवनों में अन्टीना टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(3) जहाँ अपेक्षित हो वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट एथारिटी आफ इण्डिया की अनापत्ति आवश्यक होगी।

(4) प्रत्येक निर्माण से पूर्व उपरोक्त मानचित्र व प्रमाण-पत्र रु० पाँच हजार की अनुज्ञा फीस सम्बन्धित नियम प्राधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी।

2- सेल्यूलर मोबाइल संचार सेवा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के ही समान है। अतः इसके लिए आवश्यक व संलग्नक रेडियो इक्विपमेंट व जनरेटर कक्ष भी महायोजना में समस्त भू-उपयोगों में उसी प्रकार अनुमन्य किये जायेंगे जिस प्रकार से अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें अनुमन्य हैं।

3- श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर की स्थापना में विभिन्न विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और यदि ऐसे निर्माण में कोई विविध प्रश्न सन्निहित होता है तो उसके सम्बन्ध में तत्काल शासन को विवरण भेजते हुए आदेश प्राप्त किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या - 63 (11) / 9-आ-3-2000-100 वि० / 97 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में (केवल हिन्दी पाठ) में दिनांक 27 फरवरी, 2000 को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या - 63 (1) / 9-आ-3-2000-100 वि० / 97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश शासन/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।

(3) नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश।

(4) श्री के० विजय राव, इक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्कोटल मोबाइल-ए-36 मोडालको-आपरेटिव इन्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

(5) मैनेजर ऊषा मोबाइल्स फोन ए-41 मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

(6) मैनेजर एस्सार मोबाइल्स टेलीफोन सी-48 ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, फेज-2, नई दिल्ली।

(7) अपर निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(8) डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन, भारत सरकार नई दिल्ली।

(9) डायरेक्टर टेलीफोन्स, उत्तर प्रदेश सर्विसेज, लखनऊ।

(10) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-3156/9-आ-1-2000-688 डीए/98

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई, 2000

विषय : चैरिटेबिल संस्थाओं को आवंटित भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्यतया चैरिटेबिल संस्थाओं को आवंटित भूमि को फ्री-होल्ड नहीं किया जाता है। इसके पीछे तर्क यह है कि संस्थाओं को भू-खण्ड किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये रियायती दरों पर आवंटित किया जाता है और लीज की शर्तों के माध्यम से उस प्रयोजन को सुनिश्चित किया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त चैरिटेबिल संस्थाओं को फ्री-होल्ड की सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से उक्त सामान्य नीति के अपवाद स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि केवल ऐसी चैरिटेबिल संस्थायें जो आयकर अधिनियम की धारा-10 (23) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित (नोटिफाइड) हों, कम से कम दस वर्ष तक लगातार इस धारा के अन्तर्गत (नोटिफाइड) रही हों तथा प्रश्नगत भूमि पर निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग हेतु निर्माण कर लिया गया हो, को आवेदन करने पर उन्हें आवंटित भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने की सुविधा निम्न शर्तों पर प्रदान की जा सकेगी :-

1. फ्री-होल्ड के साथ सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी ताकि आवंटित भूखण्ड का विशेष प्रयोजन प्रभावित न हो।
2. भू-उपयोग स्पाट जोनिंग के माध्यम से विशेष प्रयोजन के अनुसार कर दिया गया हो।
3. कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आनन्द कुमार
अनु सचिव।

पृ०सं०-3156(1)/9-आ-1-2000 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कार्यकारी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
2. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
अनु सचिव।

संख्या-3322/9-आ-1-2000

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2000

आवास बन्धु

विषय : अग्निशमन अवस्थापना के लिये भूमि की व्यवस्था।

महोदय,

गृह पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव उनके विभाग को समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं, जिसके लिये भूमि की आवश्यकता पड़ती है परन्तु नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कालोनियां पूरी तरह विकसित हो जाने के उपरान्त वहाँ अग्निशमन व्यवस्था के लिये जब अनुरोध प्राप्त होता है तब उस स्टेज में इन केन्द्रों के लिये भूमि की व्यवस्था किया जाना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली योजनाओं में नियोजन के समय (महायोजनाओं/जोन प्लान ले-आउट प्लान में) अग्निशमन केन्द्र के लिये मानकों के अनुसार भूमि की व्यवस्था अन्य सामुदायिक सुविधाओं तथा स्कूल, अस्पताल, पोस्ट आफिस, पार्क आदि की भांति सुनिश्चित की जाय तथा चिन्हित किये गये भूखण्डों के विवरण गृह पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराये जायं। आपसे यह भी अपेक्षा है कि आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में अग्निशमन केन्द्र हेतु कितने भूखण्ड चिन्हित किये गये हैं, कितने भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं तथा कितने भूखण्डों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, की सूचना पूर्ण विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-3322(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस अनुभाग-8 को उनके पत्र संख्या-1538/छः-पु०-8-2000-95-2000, दिनांक 22 जून, 2000 के संदर्भ में।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, लखनऊ।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-140/9-आ-3-2000-93 काम्प/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2000

विषय : सामुदायिक सुविधाओं एवं उनके प्रासंगिक उपयोग के भवनों के पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2031/9-आ-3-99-93 काम्प/97, दिनांक 31 मई, 1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 31 मई, 1999 में उल्लिखित सामुदायिक सुविधाओं एवं उनके प्रासंगिक उपयोग के भवनों के पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार अनुमति दिये जाने सम्बन्धी शर्तों पर पुनः सम्यक विचारोपरान्त शर्त संख्या (2) में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

(2) पुराने भवनों में विद्यमान प्लिन्थ एरिया (अवैध निर्माण यदि कोई हो, को छोड़कर अनधिक भू-आच्छादन इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि पुनर्निर्मित कुल तल क्षेत्रफल पुराने भवन से न्यूनतम 25 प्रतिशत कम होगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 31 मई, 1999 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में दी गयी अन्य शर्तें एवं व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-140(1)/9-आ-3-2000-तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जिलाधिकारी, नैनीताल।
(2) सचिव, नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
(3) अध्यक्ष, नगर पालिका, नैनीताल।
(4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

9

आपदा प्रबन्धन

संख्या-2060/9-आ-1-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
104-महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 06 मई, 2000

विषय : सम्भावित सूखे एवं बाढ़ से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में समय-समय पर बाढ़ की विभीषिका एवं सूखे के कारण जनमानस को अनेकों कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। साथ ही साथ आर्थिक समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके निराकरण के लिये समय-समय पर शासन द्वारा व्यवस्था की जाती रही है। आप सहमत होंगे की शुद्ध पेयजल उपलब्ध् कराया जाना शासन की एक नीति है, अतएव उपयुक्त होगा कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद की कालोनियों में संचालित ट्यूबवेल, स्टोर सम्बन्धी टैंकों आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर ली जाय-

1- सभी ट्यूबवेल चालू हालत में करा लिये जायं। प्रत्येक चार या पाँच मोटर पर एक स्पेयर मोटर की भी व्यवस्था रखी जाय। ताकि आकस्मिक अवस्था में पेयजल की आपूर्ति निर्विवाद रूप से सुलभ होती रहे।

2- सभी स्टोरेज टैंक/रिजर्वायर को शुद्ध करा लिया जाय, ताकि स्वच्छ एवं शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि टैंकों/रिजर्वायर में पर्याप्त रूप से क्लोरीनेशन का कार्य किया जा रहा है और उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाये। इसकी पर्याप्त एवं सुनिश्चित रूप से व्यवस्था की जाय।

4- विकास प्राधिकरणों तथा परिषद के पास जितने भी पानी के टैंकर हैं, उन्हें चालू हालत में रखा जाय, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती रहे।

समस्त उपाध्यक्षों एवं आवास आयुक्त को मई, 2000 के अन्त में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि उपर्युक्त सभी व्यवस्थायें पर्याप्त एवं सुनिश्चित रूप से उपलब्ध हैं।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव।

संख्या-2060(1)/9-आ-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त उपाध्यक्ष/अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, विकास प्राधिकरण।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव (श्री अरूण कुमार सिन्हा) उ० प्र० शासन।
3- निजी सचिव, मा० आवास मंत्री जी।
4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, आवास।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या-2451/9-आ-1-2000-50 केडीए/99

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, (कानपुर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 2000

विषय : वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को दुकान आवंटन में वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1488/9-आ- 1-2000-50 के०डी०ए०/99, दिनांक 1 अप्रैल, 2000 यह निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 1984 के प्रभावित दंगा पीड़ितों को दूकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायं और समुचित स्थानों पर दूकानें बनाकर लाटरी के माध्यम से आवंटित की जायं। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-3081/9-आ-1-2000-35 बजट/1999

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य महाप्रबन्धक,
   भारतीय स्टेट बैंक,
   स्थानीय प्रधान कार्यालय, 11-संसद मार्ग,
   नई दिल्ली-110001.
2. जिलाधिकारी,
   चमोली/रूद्र प्रयाग/पौड़ी/टिहरी गढ़वाल।
3. परियोजना निदेशक,
   राहत एवं पुनर्वास,
   पौड़ी गढ़वाल।

लखनऊ : दिनांक : 7 जुलाई, 2000

आवास अनुभाग-1

विषय : प्रदेश के कतिपय पहाड़ी क्षेत्रों में दिनांक 28/29 मार्च, 1999 को आये भूकम्प से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के पुनर्निमाण/मरम्मत हेतु ऋण की व्यवस्था किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-6421/9-आ-1-99-35-बजट/99, दिनांक 4-2-2000 द्वारा गढ़वाल मण्डल के चमोली, पौड़ी, रूद्र प्रयाग एवं टिहरी गढ़वाल जनपदों को प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक जनपद के लिये रुपये 4-4 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में अवमुक्त किये जाने हेतु स्वीकृति निर्गत की गयी थी किन्तु कतिपय कारणोंवश गत वित्तीय वर्ष इस धनराशि का आहरण नहीं हो सका था।

2. जब तक इस योजना हेतु बजट में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था नहीं कर दी जाती है तब तक इस योजना हेतु कन्टीजेन्सी के माध्यम से अनुदान की धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि नियमानुसार कन्टीजेन्सी मद से अवमुक्त की गयी धनराशि का तुरन्त उपयोग हो जाना आवश्यक है। अतः यह सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जाती है कि कन्टीजेन्सी मद से वांछित आवश्यक धनराशि तभी उपलब्ध करायी जायेगी जब बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जायेगा तथा अनुदान की मांग जिलाधिकारी से की जाती है।

3. अतः जिलाधिकारी उपरोक्तानुसार आवेदन बैंक को उपलब्ध करायें तथा ऋण स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही अनुदान की मांग प्रस्तुत करें, ताकि उसे उपलब्ध कराया जा सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या- 3081(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, कर एवं पंजीयन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, वित्त विभाग, बैंकिंग विभाग।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी-गढ़वाल।
3. श्री वी० के० नन्दा, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 11-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को इस अनुरोध के साथ कि बैंक शाखाओं को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।
4. आवास आयुक्त को इस अनुरोध के साथ कि वे भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली से तुरन्त सम्पर्क कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5 राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

10

सिस्टम सुधार

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 5
संख्या - 434/9-आ-5-2000-115ई/99
लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

शासन द्वारा पूर्व में शासनादेश संख्या-2449/9-आ-5-99-115ई/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 जारी किया गया था जिसमें छोटी श्रेणी के विकास प्राधिकरणों द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में वरिष्ठ स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गई थी और कुछ बड़े प्राधिकरण जहां से अन्य छोटे प्राधिकरणों के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध कराए गए थे वहां पर स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी उपलब्ध नहीं रह गए हैं। ऐसी स्थिति की सम्भावना सदैव ही रहेगी। चूंकि समय-समय पर स्थानान्तरण आदि के फलस्वरूप स्थिति बदलती रह सकती है इसलिए यह उचित रहेगा कि स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्राधिकरण इस कार्यालय ज्ञाप का हवाला देते हुये सम्बद्ध किए जा रहे अधिकारी के नाम से सम्बद्धीकरण आदेश जारी करें। यह भी उचित होगा कि आदेश पारित करने से पूर्व स्तम्भ-1 के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से विचार भी कर लें। उपरोक्त शासनादेश में आवश्यकतानुसार आंशिक संशोधन कर निम्न व्यवस्था की जाती है :-

विकास प्राधिकरण का नाम जहाँ के मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक, मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी को अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिया जाता है।	विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जहां का उत्तरदायित्व दिया जाता है।
1	2
1- लखनऊ	रायबरेली, अयोध्या-फैजाबाद।
2- कानपुर	उन्नाव-शुक्लागंज, बांदा, झांसी, चित्रकूट।
3- आगरा	अलीगढ़ (मुख्य लेखाधिकारी को छोड़कर) फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, मथुरा-वृन्दावन।
4- गाजियाबाद	हापुड़-पिलखुआ, मुजफ्फरनगर।
5- मेरठ/गाजियाबाद	सहारनपुर, हरिद्वार, मंसूरी-देहरादून, दूनवैली, गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
6- बरेली/मुरादाबाद	नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
7- वाराणसी/इलाहाबाद	विन्ध्याचल-मिर्जापुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या : 434(1)9-आ-5 -2000-115 ई/99

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ० प्र०।
2- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ० प्र०।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-1307/9-आ०-1-2000-26 विविध/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2000

विषय : विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में पारदर्शित सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन प्रतिनिधियों/सामान्य जन तथा अन्य स्रोतों से शासन को इस आशय की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटन तथा अन्य कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा रही है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति ने पहले से भूखण्ड आवंटन अथवा पंजीकरण की जमा धनराशि की वापसी आदि के सम्बन्ध में आवेदन दे रखा है परन्तु उसके आवेदन/प्रत्यावेदन पर विचार न करके बाद में दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही कर ली जाती है और पूर्व में दिये गये आवेदन पत्र अनिस्तारित रह जाते हैं। जिसके लिये सामान्य व्यक्तियों को प्राधिकरण के विभिन्न विभागों में इधर-उधर दौड़ना पड़ता है, परन्तु सही तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाती है। इससे एक तरफ विकास प्राधिकरणों की कार्यवाही पर संशय उत्पन्न होता है, दूसरी तरफ उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यद्यपि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर विकास प्राधिकरणों को यह निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित की जाने वाली परिसम्पत्तियों की सूची प्राधिकरण में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित कर दी जाय तथा आवंटित परिसम्पत्तियों की सूची भी प्रकाशित कर दी जाय। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि विकास प्राधिकरणों तथा शासन द्वारा जारी किये गये नियमों/उपविधियों की प्रतियां एक काउन्टर के माध्यम से सामान्य जन तथा जन प्रतिनिधियों को निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जायं।

2. उपरोक्त निदेशों के बावजूद भी शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्राधिकरणों द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा रही है, अतएव उपरोक्त को देखते हुये मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी आवंटी या अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा विकास प्राधिकरण की किसी पत्रावली अथवा अभिलेख को देखने अथवा उनकी प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रावली दिखाने अथवा उसकी प्रतियां उपलब्ध कराने के लिये एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाय जिससे निर्धारित तिथि व समय पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति की देखरेख में उसे अभिलेख दिखाया जा सके तथा निर्धारित शुल्क जमा करने पर वांछित अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध हो सके। इस प्रकार अभिलेख किसी भी उस व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है, जिसका कि उस प्रकरण में हित निहित हो। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा लिखित कारण बताते हुये किसी अभिलेख दिखाने/प्रति उपलब्ध कराने से इन्कार भी किया जा सकता है। परन्तु ऐसे सभी इन्कार का व्यौरा प्राधिकरण बोर्ड को अगली बैठक में उपलब्ध कराया जायेगा। प्राधिकरण इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ले तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2000 से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। वे शुल्क निर्धारण अपने स्तर से कर सकते हैं। इस व्यवस्था का व्यापक प्रसार प्रचार भी सुनिश्चित किया जाय ताकि सभी को लाभ मिल सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्याः1307(1)/9-आ0-1 -2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2- सम्बन्धित, विकास प्राधिकरण के सभी नामित सदस्यगण।
3- विकास प्राधिकरण क्षेत्र से सम्बन्धित माननीय सांसद/मा० सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद।
4- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल आवास अनुभाग-1

आज्ञा से
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या : 29/आ०ब०/नि०सम०/आर्बीट्रेटर/2000-01

दिनांक : अप्रैल 18, 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ।
(2) मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/कानपुर/आगरा/इलाहाबाद/मेरठ
(3) आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(4) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, कानपुर/आगरा/लखनऊ/गाजियाबाद।
(5) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

विषय : प्राधिकरणों में संविदा पर चल रहे कार्यों के लिये विवादों को निपटाने हेतु आर्बीट्रेटर्स का पैनल गठित किया जाना।

महोदय,

इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश शाखा के द्वारा शासन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाये गये हैं :-

(क) बिल्डर्स/ठेकेदार के द्वारा प्राधिकरणों में संविदा पर हो रहे निर्माण कार्यों के लिये किये जा रहे इकरारनामे में यह प्राविधान रहता है कि दोनों में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आर्बीट्रेटर होंगे।

(ख) बिल्डर्स एसोसिएशन की माँग है कि उक्त व्यवस्था एक पक्षीय है। जिस विभाग से उनका विवाद है उसी के विभागाध्यक्ष का अपने विभाग की ओर झुकाव स्वाभाविक है अतः फैसला निश्चय ही निष्पक्ष नहीं हो सकता। उक्त स्थिति में न्यूट्रल आर्बीट्रेटर का होना आवश्यक है।

2. शासन की निष्पक्ष प्रशासन की नीति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित है कि आर्बीट्रेशन के लिये आर्बीट्रेटर्स का एक पैनल, जिसमें लोक निर्माण विभाग तथा जलनिगम के अवकाश प्राप्त अधीक्षण अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड) तथा उससे ऊपर के पद के अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, प्राधिकरण सेवा तथा पालिका सेवा के अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, जिनकी अपने कार्यकाल में छवि बहुत अच्छी रही हो तथा सत्यनिष्ठा की ख्याति शक से परे रही हो, स्तर के अधिकारी हों, बना लिये जायं।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र से उक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारियों, जिन्हें आर्बीट्रेटर के रूप में कार्य करने में रुचि हो तथा प्रस्तर 2 में उल्लिखित शर्तें पूरी करते हों, तथा जिन्हें आर्बिट्रेटर हेतु आप उपयुक्त समझते हों, की सूची शासन को एक माह में भिजवाने का कष्ट करें जिससे कि उपरोक्त पैनल का गठन शीघ्र किया जा सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 752(1)/9-आ-6-2000-1021 यू०सी०/98 टी०सी०

प्रेषक,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त**
आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण।**

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2000

विषय : आवास विभाग द्वारा जारी किए गये पुनरीक्षित नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार कार्यवाही किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आवास विभाग के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण/उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद हेतु शासन की पारदर्शिता एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गये पुनरीक्षित नागरिक अधिकार पत्र की एक-एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नागरिक अधिकार पत्र में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं एवं व्यवस्थाओं के अनुसार क्रियान्वयन हेतु इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाए तथा नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान किया जाए।

2. कृपया कृत कार्यवाही से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में शासन को भी अवगत कराया जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० आवास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ (दो प्रतियों में)
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी आवास को मा० राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।

(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया आवास विभाग द्वारा जारी पुनरीक्षित नागरिक अधिकार पत्र का समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें। (पाँच प्रतियों में)

(5) विभाग के समस्त अधिकारीगण।

(6) आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-1082/9-आ-5-2000

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 1 मई, 2000

आवास अनुभाग-5

विषय : विकास प्राधिकरण के अभियंताओं को कम्प्यूटर के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण के कार्यों में नित्यप्रति कम्प्यूटर की बढ़ती उपयोगिता एवं आवश्यक्ता को देखते हुए अभियंताओं को कम्प्यूटर पर कार्य किए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। विभिन्न विकास प्राधिकरणों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रचलित है और यह आशा है कि शीघ्र ही बड़े पैमाने पर विकास प्राधिकरणों में काफी कार्य कम्प्यूटर पर होने लगेंगे। अतः इस हेतु विभिन्न कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक है।

(2) उपर्युक्त के क्रम में कृपया अपने-अपने विकास प्राधिकरणों/विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में से दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत इच्छुक सहायक अभियंताओं/अवर अभियंताओं के नाम कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु शासन को 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुल 40 अवर अभियंताओं तथा 10 सहायक अभियंताओं (दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा) के नामों की प्रशिक्षण हेतु आवश्यक्ता है।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

संख्या : 3406/9-आ-5-2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
आवास विभाग,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 18 अगस्त, 2000

विषय : विकास प्राधिकरणों में जॉब बेसिस के आधार पर कम्प्यूटर से कार्य कराने जाने विषयक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों में कम्प्यूटर संचालन हेतु कोई कार्मिक उपलब्ध नहीं है, जिससे क्रय किये गये कम्प्यूटरों का प्राधिकरणों द्वारा समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और साथ ही प्राधिकरणों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

2- अतः शासन स्तर पर इस समस्या पर विचार किया गया और सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिस प्राधिकरणों में कम्प्यूटर संचालन हेतु कोई कार्मिक उपलब्ध नहीं है, तो उस प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकरण में स्थापित प्राधिकरण के कम्प्यूटर का उपयोग करते हुये **'जॉब बेसिस** (Job basis) के आधार पर किसी **बाहरी कम्प्यूटर/साफ्टवेयर कंसल्टेन्सी फर्म** से यह कार्य करा लिया जाय। इस कार्य के लिये अधिकतम निम्नानुसार भुगतान किया जा सकता है :-

कार्य की श्रेणी	प्रति मानव दिवस	प्रति मानव माह
डाटा इन्ट्री सम्बन्धी	रु० 77.00	रु० 2000.00
प्रोग्रामिंग सम्बन्धी	रु० 115.00	रु० 3000.00

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरणों द्वारा उक्त कार्यों के निस्तारण हेतु न तो किसी भी प्रकार का **नियुक्ति आदेश** निर्गत किया जायेगा और न ही कार्यों के निस्तारण करने वाले **बाहरी व्यक्तियों का कोई मस्टररोल** ही बनाया जायेगा। **बाहरी कम्प्यूटर/साफ्टवेयर कन्सल्टेन्सी फर्म** के जिन कर्मियों द्वारा प्राधिकरण के कम्प्यूटर विषयक कार्यो का निस्तारण कराया जायेगा, उस निस्तारित कार्य की प्रत्येक कार्य दिवसवार उसकी प्रविष्टि प्राधिकरण में बनाये गये एवं रखे एक लॉगबुक में किया जायेगा तथा उसका भुगतान लॉग बुक में की गयी प्रविष्टि के अनुसार ही किया जायेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस के समापन पर कार्य का भौतिक सत्यापन करेगा और तदोपरान्त लागबुक में अंकित प्रविष्टि को भी सत्यापित करेगा। उपरोक्त कार्यों का भुगतान सीधे सम्बन्धित फर्म को किया जायेगा।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं अनुपालन आख्या शासन को भी उपलब्ध करायें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्याः 3406(1)/9-आ-5-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :-

1- आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को सूचनार्थ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० आवास संघ, लखनऊ को सूचनार्थ।
3- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ० प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 3869/9-आ-1-2000

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव आवास,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 | लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2000

विषय : जन-मानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

महोदय,

शासन को जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्राधिकरणों में छोटे स्तर के अधिकारी तथा कर्मचारी उनकी समस्याओं के निराकरण में रुचि नहीं लेते हैं। उपाध्यक्ष भी उनकी शिकायतें सुनने के लिये कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं फलस्वरूप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इससे शासन की छवि धूमिल होने के साथ ही साथ जन-मानस में प्राधिकरण की सेवाओं के प्रति असन्तोष परिलक्षित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन की नीति जन-मानस को निष्पक्ष, त्वरित, समयबद्ध एवं विनम्रतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराना है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल यह निदेशित करते हैं कि प्रदेश के सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष सप्ताह में चार दिन (मंगलवार से शुक्रवार तक) प्रतिदिन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 2 घण्टे जनता की शिकायतें एवं समस्याओं के निराकरण हेतु व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण कार्यालय में जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

इन आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-3869(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : प्राधिकरण वाले नगरों के समस्त मंडलायुक्तों को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

प्राथमिकता

संख्या : 677/आ-9-1-(एकाउन्ट मैनुवल)-2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 2 नवम्बर, 2000

विषय : विकास प्राधिकरणों हेतु एकाउन्ट्स मैनुअल बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के सभी प्राधिकरणों में समान वित्तीय व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्राधिकरण एकाउन्ट्स मैनुअल बनवाए जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस कार्य का दायित्व मेसर्स एस०के० भार्गव एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स) को सौंपा गया है।

इस सम्बन्ध में मेसर्स भार्गव एण्ड कम्पनी ने संलग्न प्रोफार्मे पर आपके प्राधिकरण से कुछ सूचनायें चाही हैं, तथा वे आपके प्राधिकरणों में वर्तमान में लागू लेखा व्यवस्था का भी अध्ययन करना चाहते हैं अतः कृपया अपने प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक को मेसर्स भार्गव एण्ड कम्पनी को इस हेतु यथा सम्भव सहयोग प्रदान करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि :

1. वित्त नियंत्रक, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. मेसर्स भार्गव एण्ड कम्पनी को उनके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

11

कार्मिक प्रबन्धन

महत्वपूर्ण

संख्या-1354/9-आ-5-99-156 डीए/86

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 1999

विषय : समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित पत्रों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में त्वरित गति से निर्णय लेने तथा ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उ० प्र० नगर विकास अधिनियम, 1973 की धारा-51 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली, 1985 के नियम-39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को प्राधिकरण में कार्यरत उन अधिकारियों, जिनका वेतनमान रु. 8000-13500 तक है, के सम्बन्ध में निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों को प्रतिनिधानित करते हैं :-

1- सं० 2222/1-4-डी.ए/86 दिनांक 10.11.86
2- सं० 376/11-4-डी.ए-87-156 डीए/86 दिनांक 11.3.87
3- सं० 873/11-4-वि प्रा-87-156 डीए/86 दिनांक 30.3.87
4- सं० 2114ई/11-5-90-156 डीए/86 दिनांक 10.9.90

(1) छुट्टी की स्वीकृति तथा छुट्टी के नगदीकरण की स्वीकृति।
(2) अग्रिमों-भवन क्रय/निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम तथा भविष्य निधि से स्थाई/अस्थायी अग्रिम, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण भत्ता, मकान किराया भत्ता।
(3) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने, जिसमें विलम्बन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।
(4) दक्षता रोक पार कराया जाना।
(5) प्रतिकूल प्रविष्टि का संसूचित किया जाना तथा उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन पर निर्णय।
(6) चरित्र-पंजियों, सेवा अभिलेख तथा ज्येष्ठता सूची का रखा जाना तथा अन्य आवश्यक अभिलेख एवं सूचना रखना।
(7) मानदेय की स्वीकृति।
(8) चिकित्सा सुविधा।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्यपाल महोदय विकास प्राधिकरणों में कार्यरत उन अधिकारियों, जिनका वेतनमान रु. 8000-13500 तथा उससे अधिक है, के सम्बन्ध में भी निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग उपाध्यक्ष को प्रतिनिधायित करने का आदेश देते हैं :-

(1) चार मास तक की अवधि का अवकाश।
(2) यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण भत्ता, मकान किराया भत्ता।
(3) अग्रिम भवन निर्माण/क्रय अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम, भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम।
(4) चिकित्सा सुविधा।

3- उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही उ० प्र० विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली, 1985 के सम्बन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

4- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे, किन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के जारी होने तक निर्णय न लिया गया हो, अथवा कार्यवाही प्रारम्भ न की गई हो, उनमें इस आदेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के ऐसे प्रकरण, जिनमें इस आदेश द्वारा शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन उपाध्यक्षों को किया जा रहा है और पूर्व में शासन को संदर्भित किये गये हैं, उन्हें सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया भविष्य में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-1354(1)/9-आ-5-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलायुक्त।

(2) आवास एवं नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,
वीरेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-38/9-आ-2-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एव विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 5 जनवरी, 2000

विषय : चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-658/स०को०/दिनांक 27-7-99 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आवास विकास परिषद अप्रैल 01, 2000 से परिषद कार्मिकों के लिये मेडिकल बीमे की योजना लागू करें, जो किसी बीमा कम्पनी के सहयोग से लागू की जाय।

3. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1119/नौ-आ-5-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(3) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 9 मई, 2000

विषय : विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के क्रम में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा, अकेन्द्रीयत सेवा के तथा परिषद सेवा के विभिन्न कार्मिकों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही व सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाये रखने में आन्तरिक कार्यों में समन्वय एवं कार्यप्रणाली में सुधार के लिए यह भी आवश्यक है कि भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाए। इस सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में शासन द्वारा समुचित निर्देश भी निर्गत किए गये हैं।

2- आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि किसी अधीनस्थ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है तो उसके प्रति वरिष्ठ अधिकारियों के रहते दृढ़ता/कठोरता के साथ उस प्रकरण को लिया जाना चाहिए। यदि उच्च स्तर पर प्रकरण में कार्यवाही करनें में शिथिलता या अपेक्षित ध्यान न दिये जाने की बात प्रकाश में आती है तो निश्चित ही वरिष्ठ अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए यह माने जाने के भी आधार बनते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त एवं उत्तरदायी है।

3- उपरोक्त स्थिति में यदि आपके संज्ञान में कोई शिकायत प्रकाश में आती है तो आप स्वयं कार्यवाही करने में सक्षम हैं तो अपने स्तर से कार्यवाही करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें। यदि प्रकरण केन्द्रीयत सेवा का है तो उसके सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या देते हुए अपेक्षित कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए यथा आरोप-पत्र, निलम्बन, आदि अपनी संस्तुति सहित,शासन को भेजें।

4- आपके कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करते समय यह भी देखा जायेगा कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितने कर्मचारियों का आरोप-पत्र/निलम्बन/प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही की गई या द्वारा शासन के आवास विभाग को उपलब्ध कराये गये

हैं। किसी कर्मचारी के विरुद्ध आर्थिक एवं अपराध संस्थान द्वारा तथा सतर्कता जाँच में आपके स्तर से कितना अपेक्षित सहयोग मिलता है।

5- उपर्युक्त के क्रम में विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा से सम्बन्धित कार्मिकों के विषय में भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों/मामलों में सजग रहते हुए आपके स्तर से नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की जाती है ताकि भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो सके और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के प्रयास व मनोबल को गिराया जा सके। कृपया इस सम्बन्ध में संलग्न प्रारुप ई-1 व ई-2 में क्रमशः विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के श्रेणी-1 तथा अन्य कार्मिकों के विरुद्ध जांच/अनुशासनिक कार्यवाही, आदि के सम्बन्ध में आपके द्वारा शासन को दिनांक 1-4-1999 से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2000 तक उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रस्तावों तथा प्रारुप ई-3 में विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मियों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाहियों, दर्ज करायी गई प्रथम सूचना आदि का विवरण तथा ई-3 में परिषद कर्मियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही का विवरण शासन को विलम्बतम 10 मई, 2000 तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तदोपरान्त यह सूचना प्रति माह मासिक बैठक में भेजी जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा

श्रेणी - 1 के अधिकारी

ई - 1
ई - 2

अन्य -

क्रमांक	कर्मचारियों की संख्या - जिनके निलम्बन की संस्तुति की गयी।		कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आरोप पत्र भेजे गये।		कर्मचारियों की संख्या - जिनके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी।		कर्मचारियों की संख्या जो निरूद्ध किये गये।	
	माह में	वर्ष में	माह में	वर्ष में	माह में	वर्ष में	माह में	वर्ष में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अकेन्द्रीयत सेवा - ई - 3

(1) (2)

क्रमांक	कर्मचारियों की संख्या - जिनके निलम्बन की संस्तुति की गयी।		कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आरोप पत्र भेजे गये।		कर्मचारियों की संख्या - जिनके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी।		कर्मचारियों की संख्या जो निरूद्ध किये गये।	
	माह में	वर्ष में	माह में	वर्ष में	माह में	वर्ष में	माह में	वर्ष में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रारुप ई - (1)

विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

विकास प्राधिकरण का नाम ....

सूचना अवधि दिनांक 1.4.99 से 31 मार्च, 2000 तदुपरान्त प्रत्येक माह

क्रम संख्या	प्रकरण का संक्षिप्त उल्लेख एवं प्रथम दृष्टया दोषी पाये/ अर्न्तग्रस्त अधि०/ कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम।	प्राधिकरण द्वारा दोषी पाये गये/अर्न्तग्रस्त वि० प्रा० केन्द्रीयत सेवा के सम्बन्धित कार्मिकों के विषय में शासन को प्रेषित प्रस्ताव क्रा संदर्भ एवं दिनांक।	दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गिरफतारी की संख्या व विवरण।	निलम्बन/अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव एवं संस्तुति का विवरण।	यदि मामले कि जाँच किसी विशिष्ट एजेंसी से कराये जाने का प्रस्ताव है तो उसका विवरण (सतर्कता / इ० ओ० डब्लू आदि)।	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

संख्या : 1120/9-आ-5-2000

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2000

विषय : उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों की स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर माह के प्रत्येक द्वितीय शुक्रवार हेतु विकास प्राधिकरणों की स्थापना के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें विकास प्राधिकरणों में लम्बित वाद, विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणा केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों का सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती रही है। इधर एक-दो माह से प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों में उक्त बैठक में कोई भाग नहीं ले रहा है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। माह मई के द्वितीय शुक्रवार को आयोजित बैठक में विकास प्राधिकरण, कानपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, बांदा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, बरेली, रायबरेली को छोड़कर अन्य विकास प्राधिकरणों से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहना है कि माह जून को निर्धारित शुक्रवार हेतु आयोजित बैठक में संलग्न सूची में अंकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जायेगा। अतएव अपने अधीनस्थ स्थापना से सम्बन्धित अधिकारी को निदेशित करने का कष्ट करें कि प्रत्येक माह को आयोजित होने वाली बैठक में निर्धारित समय से उपस्थित हों तथा जिन विकास प्राधिकरण से वैयक्तिक सेवा विवरण अपूर्ण/अप्राप्त है, उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

माह जून, 2000 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित बिन्दु जिन पर बैठक सम्पन्न की जायेगी :-

1- विभिन्न न्यायालयों में लम्बितवादों की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर।
2- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित/प्रचलित अनुशासनिक जाँच की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायें।
3- विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के क्रम में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा/अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायें।
4- वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में।
5- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों के वैयक्तिक सेवा विवरण जो अप्राप्त/अपूर्ण हैं उन पर चर्चा।
6- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत अवर अभियंता (सिविल) संवर्ग में नियमित रूप से नियुक्त अवर अभियंताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्तियां उपलब्ध कराने हेतु।
7- विकास प्राधिकरणों से विधि संवर्ग की अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।
8- विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत स्टाफ की आवश्यकता/कार्यरत स्टाफ/अतिरिक्त आवश्यकता/सरप्लस स्टाफ।

संख्या-1120(1)/9-आ-5-2000

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 28 जून, 2000

विषय : उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों की स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर माह के प्रत्येक द्वितीय शुक्रवार हेतु विकास प्राधिकरणों की स्थापना के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें विकास प्राधिकरणों में लम्बित वाद, विकास प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं उ० प्र० विकास प्राधिकरणों केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों का सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती रही है। इधर एक-दो माह से प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों में उक्त बैठक में कोई भाग नहीं ले रहा है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। माह मई के द्वितीय शुक्रवार को आयोजित बैठक में विकास प्राधिकरण कानपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, बांदा, फिरोजाबाद, मथुरा, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, फैजाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, रायबरेली को छोड़कर अन्य विकास प्राधिकरण से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

2. उक्त के संबंध में मुझे पुनः यह कहना है कि माह जुलाई, 2000 को निर्धारित शुक्रवार हेतु आयोजित बैठक में संलग्न सूची में अंकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जायेगा। अतएव अपने अधीनस्थ स्थापना से संबंधित अधिकारी को निदेशित करने का कष्ट करें कि प्रत्येक माह को आयोजित होने वाली बैठक में निर्धारित समय से उपस्थित हो तथा जिन विकास प्राधिकरण से वैयक्तिक सेवा विवरण अपूर्ण/अप्राप्त हैं उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

माह जुलाई, 2000 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित बिन्दु जिन पर बैठक सम्पन्न की जायेगी :-

1- विभिन्न न्यायालयों में लम्बितवादों की प्रगति रिपोर्ट प्रारूप पर ।
2- उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित/प्रचलित अनुशासनिक जांच की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित रूप उपलब्ध करायें।
3- विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के क्रम में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा/अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायें।
4- उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा कार्मिकों के वैयक्तिक सेवा-विवरण जो अप्राप्त/अपूर्ण हैं उन पर चर्चा।
5. उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में नियमित रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्तियां उपलब्ध कराने हेतु।
6- विकास प्राधिकरण से विधि संवर्ग की अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
7- विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत स्टाफ की आवश्यकता/कार्यरत स्टाफ/उपलब्धता/अधिकता/रिक्तता।
8- सर्तकता का प्रचलित जांच का विवरण।
9- विकास प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकन की स्थिति वर्तमान में पद रिक्त हैं, तो उनकी सूचना।
10- राजस्व संवर्ग से सम्बन्धित सूचना।

गोपनीय/प्राथमिकता

संख्या-1424/9-आ-5-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2000

विषय : प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में शासकीय प्रतिबन्ध के बावजूद भी दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा पर की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की कार्य-प्रणाली में सुधार व एकरूपता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1726/37-2-1983, दिनांक 9 मार्च, 1983 द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये थे कि किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना न तो कोई पद सृजित किया जायेगा और न तो प्राधिकरण में दैनिक वेतन/वर्कचाज के आधार पर कर्मचारी भर्ती किये जायं आदि। फिर भी विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त शासकीय आदेशों को अनदेखा करते हुये पद सृजन एवं विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती रही। शासन स्तर पर उपलब्ध सूचना अनुसार दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा पर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 29-6-91 तक की गयी उक्त नियुक्तियों की संख्या लगभग 3000 है। उक्त नियुक्तियों के परिणामस्वरूप जहां एक ओर कर्मियों के विनियमितीकरण की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है, वहीं दूसरी ओर उनके वेतन आदि के भुगतान से प्राधिकरणों पर वित्तीय भार बढ़ा रहा है। शासनादेश संख्या-4417/नौ-आ-5-1996, दिनांक 8 नवम्बर, 1996 द्वारा दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज/संविदा पर आधारित कर्मियों की नियुक्ति से होने वाली दूरगामी दुष्परिणामों से अवगत कराते हुये इस प्रकार की अनियमित नियुक्तियों पर पुनः प्रतिबन्ध लगाया गया है और ऐसी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के नाम शासन को भेजने के निर्देश दिये गये हैं। विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त अधिकारियों का नाम शासन में नहीं भेजा गया।

2- अतः कृपया सभी विकास प्राधिकरणों के सचिव तथा लेखा विभाग के प्रमुख इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायें कि उनके यहाँ दिनांक 29-6-1991 के उपरांत कोई दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मी नहीं है अथवा दिनांक 29-6-1991 के पश्चात् दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा के नियुक्ति कर्मचारियों का नाम उनकी नियुक्ति तिथि एवं नियुक्त करने वाले अधिकारी के नाम के सम्बन्ध में विवरण शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 25-7-2000 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रमाण-पत्र/विवरण निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरणों के सचिव एवं लेखा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी का वेतन आहरण रोक दिया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग - 1

संख्या - 3484/9-आ-1-2000-70 विविध/96

लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2000

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ण में पारित एतदविषयक समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारी के रूप में निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। नोडल अधिकारी इन विकास प्राधिकरणों की बैठक में भाग लेंगे तथा वहां की समस्याओं का शासन स्तर पर अनुश्रवण करेंगे :-

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	प्रस्तावित अधिकारी का नाम	क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	प्रस्तावित अधिकारी का नाम
1.	गाजियाबाद	श्री संजय भूसरेड्डी	16.	बुलन्दशहर	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान
2.	कानपुर	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान	17.	फैजाबाद	श्री दीन दयाल
3.	लखनऊ	श्री संजय भूसरेड्डी	18.	फिरोजाबाद	श्री जावेद एहेतिशाम
4.	आगरा	श्री संजय भूसरेड्डी	19.	हापुड़-पिलखुवा	श्री जावेद एहेतिशाम
5.	इलाहाबाद	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान	20.	झांसी	श्री संजय भूसरेड्डी
6.	मेरठ	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान	21.	मुजफ्फरनगर	श्री दीन दयाल
7.	मुरादाबाद	श्री संजय भूसरेड्डी	22.	रायबरेली	श्री जावेद एहतिशाम
8.	अलीगढ़	श्री दीन दयाल	23.	सहारनपुर	श्री एन० आर० वर्मा
9.	बरेली	श्री संजय भूसरेड्डी	24.	उन्नाव	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान
10.	देहरादून	श्री संजय भूसरेड्डी	25.	मिर्जापुर	श्री जावेद एहेतिशाम
11.	गोरखपुर	श्री दीन दयाल	26.	चित्रकूट	श्री दीन दयाल
12.	हरिद्वार	श्री एन० आर० वर्मा	27.	कपिलवस्तु	श्री दीन दयाल
13.	मथुरा-वृन्दावन	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान	28.	शक्तिनगर	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान
14.	वाराणसी	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान	29.	नैनीताल	श्री संजय भूसरेड्डी
15.	बांदा	श्री दीन दयाल	30.	गंगोत्री	श्री एन० आर० वर्मा
			31.	दून वैली	श्री एन० आर० वर्मा

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-3484 (1)/9-आ-1-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, सचिव आवास।
2- आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
3- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4- आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या : 1882/9-आ-2-2000

प्रेषक,

श्री अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उ० प्र०, बंदरियाबाग,लखनऊ।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2000

विषय : अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षुओं को समायोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-141एम0/9-आ-2-1998, दिनांक 18-12-1998 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि विषयगत प्रकरण में कार्मिक अनुभाग-3 के द्वारा निहित शासनादेश संख्या-466/आ-3-2000-13/90/98, दिनांक 24-3-2000 (प्रति संलग्न) के द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या : 1882(1)/9-आ-2-2000 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आवास अनुभाग-3/5
2- निजी सचिव, सचिव, आवास।
3- विशेष सचिव, (च०)/संयुक्त सचिव।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-466/आ-3-2000-13/90/98

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ० प्र० शासन,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।

प्रशासक, उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (विघटित), लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2000

विषय : अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने पर रियायतें।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल अपील संख्या-4347-54/1990 उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उ० प्र० परिवहन निगम प्रशिक्षु बेरोजगार संघ में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12-1-95 में कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये थे। उक्त निर्णय के अनुपालन में कार्मिक विभाग से शासनादेश संख्या-बी-1070/का-1-1996, दिनांक 12-9-96 इस आशय से निर्गत किया गया था कि मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कड़ाई से किया जाय तथा यदि इस हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में संशोधन की आवश्यकता हो तो तद्नुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित किया जाय। कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12-9-96 के क्रम में शासन के कतिपय विभागों द्वारा भी अपने स्तर से आदेश जारी किये गये थे।

2- आप अवगत हैं कि मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 12-1-95 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 12-9-96 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही थी कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-24009/98 अरूण कुमार सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-7-98 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 12-9-96 तथा श्रम अनुभाग-6 उ० प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2818/36-6-97-131(बी)/97, दिनांक 03-1-98 का क्रियान्वयन, रिट याचिका संख्या-24009/98 अरूण कुमार सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय तक स्थगित कर दिया गया। मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त सन्दर्भित अन्तरिम आदेश दिनांक 27-7-98 के अनुपालन में कार्मिक विभाग का शासनादेश संख्या-3281/का-3-98-13/90/98, दिनांक 10-8-98 निर्गत किया गया।

3- मा० उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अब रिट याचिका संख्या-24009/98 अरूण कुमार सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य [1999 (2) ई०एस०सी० 1394] में दिनांक 27-5-99 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है जिसके अनुसार :-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रशिक्षु बेरोजगार संघ जे० टी०, 1995(2) एस०सी०-26 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रस्तर-12 में दिये गये निदेश सिर्फ उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के लिये ही नहीं है बल्कि वे सभी विभागों एवं निगमों पर लागू होते हैं किन्तु निर्णय के प्रस्तर-13 में दिया गया निदेश सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनके मामले मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे।

(ख) अप्रेन्टिस प्रशिक्षुगण को भी सम्बन्धित सेवायोजक के नियमों के उपबन्धों के अनुसार भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा या टेस्ट में सम्मिलित होना अपेक्षित है एवं सेलेक्शन टेस्ट के उपरान्त जब उनमें से कोई प्रशिक्षु-अभ्यर्थी किसी गैर-अप्रेन्टिस अभ्यर्थियों के समान पाया जाय सिर्फ तभी उस अप्रेन्टिस प्रशिक्षु अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(ग) पूर्वोक्त शासनादेश दिनांकित 12-9-96 जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रस्तर-12 में अन्तर्विष्ट निदेशों का पालन करने का निदेश दिया गया है। वह किसी भ्रान्ति (मिसकन्सेप्सन) पर नहीं है किन्तु उसे इस निर्णय में किये गये सम्प्रेक्षण के आलोक में पढ़ा जायेगा।

4- मा० उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27-5-99 में मा० उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रशिक्षु बेरोजगार संघ, जे० टी० 1995(2) एस० सी०-26 में पारित निर्णय दिनांक 12-1-95 के प्रस्तर-12 एवं 13 का उल्लेख किया है, जो निम्नवत् है :-

12. In the background of what has been noted above, we state that the following would be kept in mind while dealing with the claim of trainees to get employment after successful of their training :-

(1) Other things being equal, a trained apprentice should be given preference over direct recruits,.

(2) For this, a trainee would not be required to get his name sponsored by any Employment Exchange. The decision of this court in Union of India Vs Hargopal, AIR 1987 SI. 1227, would permit this.

(3) If age bar, would come in the way of the trainee, the same would be relaxed in accordance with what is stated in this regard, if any, in the concerned service rule. If the service rule be silent on this aspect, relaxation to the extent of the period for which the apprentice has undergone training would be given.

(4) The concerned training institute would maintain a list of the persons trained year wise. The persons trained earlier would be treated as senior to the persons trained later. In between the trained apprentices, preference shall be given to those who are senior.

13. In so far as the cases at hand are concerned, we find that the Corporation filed an additional affidavit in C.A. Nos. 4347-4854 of 1990 as desired by the Court on 20 th October, 1992 giviing position regarding vacancies, in the posts of conductors and clerks. If such post be still vacant, we direct the Corporation to act in accordance with what has been stated above regarding the entitlement of the trainees. We make it clear that while considering the cases of the trainee for giving employment in suitable posts, what has been laid down in the Service Regulations of the Corporation shall be followed, except that the trainees would not be required to appear in any written examination, if any provided by the regulations. It is apparent that before considering the cases of the trainees, the requirement of their names being sponsored by the Employment Exchange would not be insisted upon. In so far as the age requirement is concerned, the same shall be relaxed as indicated above.

5. अतः मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :-

(1) शासनादेश संख्या-3281/98-का-3-13/90/98, दिनांक 10-8-98 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(2) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 27-5-1999 में किये गये सम्प्रेक्षण के आलोक में शासनादेश संख्या-बी-1070/का-1-1996, दिनांक 12-9-96 द्वारा निर्गत निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या-493/9-आ-5-2000-70ई/98

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2000

विषय : पर्वतीय उपसंवर्ग के अन्तर्गत विकल्प का दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-1415/9-आ-5-98-70ई/98, दिनांक 02 मई, 1998 के द्वारा आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह "क"-"ख"-"ग"-"घ" के पदों का पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की शासकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 02 मई, 1998 की छाया प्रति संलग्न है।

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार गठित पर्वतीय उपसंवर्ग के अधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्य करने के इच्छुक अपने-अपने विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मियों के विकल्प प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पर्वतीय उपसंवर्ग बन जाने के पश्चात् सभी ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो पर्वतीय उपसंवर्ग में कार्य करने हेतु विकल्प देगें, मैदानी क्षेत्र में कार्य नहीं करेगें बल्कि वे अपनी उपस्थिति पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये इच्छुक कर्मियों के विकल्प शासन को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मामले में प्राथमिकता पर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-5
संख्या-3509/9-आ-5-2000-70ई/98
लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2000

अधिसूचना

आवास अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-1415/9-आ-5-98-70ई/98, दिनांक 02 मई, 1998 द्वारा उ० प्र० पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1997 के अधीन आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- अब चूंकि नवगठित उत्तरांचल क्षेत्र में जनपद हरिद्वार भी सम्मिलित है, अतएव श्री राज्यपाल महोदय संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- आवास अनुभाग-5 द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1415/9-आ-5-98-70ई/98, दिनांक 02 मई, 1998 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्याः-3509(1)/9-आ-5-2000-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ० प्र०, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ तथा एक सौ प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-3509(2)/9-आ-5-2000-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मंसूरी-देहरादून/हरिद्वार।
2- अध्यक्ष/सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनवैली/गंगोत्री/नैनीताल।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तरांचल विकास अनुभाग-4
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- आवास अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-5
संख्या-3509/9-आ-5-2000-70ई/98
लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2000

अधिसूचना

आवास अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-1415/9-आ-5-98-70ई/98, दिनांक 02 मई, 1998 द्वारा उ० प्र० पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1997 के अधीन आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- अब चूँकि नवगठित उत्तरांचल क्षेत्र में जनपद हरिद्वार भी सम्मिलित है, अतएव श्री राज्यपाल महोदय संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- आवास अनुभाग-5 द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1415/9-आ-5-98-70ई/98, दिनांक 02 मई, 1998 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्याः-3509(1)/9-आ-5-2000-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ० प्र०, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ तथा एक सौ प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-3509(2)/9-आ-5-2000-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मंसूरी-देहरादून/हरिद्वार।
2- अध्यक्ष/सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनवैली/गंगोत्री/नैनीताल।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तरांचल विकास अनुभाग-4
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- आवास अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-3509/9-आ-5-2000-70ई/98 दिनांक 05 सितम्बर, 2000 का संलग्नक

परिशिष्ट

प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम

क्रमांक	पदनाम	कुल पदों की संख्या	मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	दूनवैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिक्रण	गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	उपाध्यक्ष / अध्यक्ष	05	1	1	1*	1*	1*
2-	सचिव	05	1	1	1	1	1
	केन्द्रीयत सेवा अभियन्त्रण संवर्ग						
3-	अधिशासी अभियन्ता	03	01	01	-	01	-
4-	सहायक अभियन्ता	08	04	02	-	02	-
5-	अवर अभियन्ता	32	16	06	02	06	02
	नियोजन संवर्ग						
6-	नगर नियोजक	02	01	01	-	-	-
7-	सहायक नगर नियोजक	03	01	01	-	01	-
8-	वास्तुविद सहायक	01	-	01	-	-	-
	प्रशासनिक संवर्ग						
9-	संयुक्त सचिव	01	01	-	-	-	-
लेखा संवर्ग							
10-	मुख्य लेखाधिकारी	02	01	-	-	-	-
11-	लेखाकार	03	01	01	-	01	-
12-	कार्यालय अधीक्षक	03	01	01	-	01	-

क्रमांक	पदनाम	कुल पदों की संख्या	मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	दूनवैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	अकेन्द्रीयित पद						
13-	लेखपाल	03	03				
14-	ड्राफ्ट मैन	06	03	02	-	01	-
15-	सर्वेयर	05	03	01	-	01	-
16-	ट्रेसर	04	03	01	-	-	-
17-	उद्यान निरीक्षक	02	01	01	-	-	-
18-	विधि निरीक्षक/सहायक निरीक्षक	02	01	01	-	-	-
19-	रोकड़िया	03	02	01	-	-	-
20-	लेखा लिपिक	05	02	-	01	01	01
21-	प्रधान/मुख्य लिपिक	02	01	01	-	-	-
22-	वरिष्ठ लिपिक	03	01	01	-	01	-
23-	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	16	09	04	01	01	01
24-	कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	01	-	01	-	-	-
	समूह 'घ'						
25-	चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद	40	17	12	01	09	01
	योग :	159	75	42	7	26	7

• *विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष का पद है, उपाध्यक्ष का नहीं।*

दीन दयाल

12

विविध

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या - 3014 / 9-आ-1-1999
लखनऊ : दिनांक : जून 23, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी आवास नीति के अनुरूप आवास निर्माण में निजी निर्माताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2805/9-आ-1-1996 दिनांक 18 जून 1996 द्वारा विकास प्राधिकरणों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। विकास प्राधिकरणों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी क्षेत्र में आवास निर्माण को बढ़ावा देने हेतु वे आवश्यकतानुसार निजी निर्माताओं को भूमि उपलब्ध कराने में सक्रिय हों। परन्तु अब तक के अनुभव आधार पर यह परिलक्षित हुआ है कि प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी को अपेक्षित गतिशीलता नहीं मिल पाई है। अतः शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों का अधिक व्यापकता एवं दक्षता से निवेश सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। इस सम्बन्ध में निजी निर्माताओं की आवास निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनरीक्षित Term and Conditions तैयार करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 1877/9-आ-1-1998 दिनांक 18.5.1998 द्वारा एक समिति गठित की गई थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

(i) श्री एस० के० गर्ग, प्रबन्ध निदेशक, एल्डिको हाउसिंग एण्ड कान्सट्रक्शन, अध्यक्ष (सदस्य आवास बन्धु)
(ii) श्री एस० के० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
(iii) श्री के० बी० सक्सेना, कास्ट एकाउण्टेंट, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
(iv) श्री आर० पी० शुक्ल, निदेशक, विकास, आवास बन्धु .... संयोजक।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे :-
   (i) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निजी निर्माताओं के साथ अनुबन्ध की शर्तों की समीक्षा, अनुबन्ध में क्या-क्या कमियां थीं और उनमें क्या संशोधन वांछित था।
   (ii) निजी क्षेत्र के निर्माताओं को आवास निर्माण में सम्बद्ध करने हेतु अनुबन्ध की पुनरीक्षित Terms and Conditions तैयार करना।
   (iii) निजी निर्माताओं को शार्ट-लिस्ट करने हेतु Pre-qualification की शर्तों का निर्धारण।
   (iv) अन्य कोई सम्बन्धित बिन्दु।

3. समिति अपनी आख्या शासन को एक माह में प्रस्तुत करेगी। संयोजक द्वारा अध्यक्ष की सुविधा से बैठकें आयोजित की जायेंगी जिसमें अन्य सदस्य स्वयं उपस्थित रहेंगे।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-3014(1)/9-आ-1-1999 तद्‌दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ।
2- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु/विशेष सचिव, आवास।
3- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4- संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग-1, उ० प्र० शासन।
5- समिति के समस्त सदस्य।

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-यू०ओ०-151/9-आ-3-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 1999

विषय : विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास/निर्माण विनियमन कार्य-कलापों की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-30(1)/9-आ-1-1998 दिनांक 20.1.1999 तथा उसके अनुक्रम में अनुस्मारक पत्र संख्या-864/9-आ-1-1999 दिनांक 15.2.99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि विनियमित क्षेत्रों में स्वीकृत भवन मानचित्रों से सम्बन्धित आंकड़े शासन को उपलब्ध कराए जाएं। आपके पत्र संख्या-922/न०नि० (अनु०) वि०क्षे०-मान० सूचना/98-99 दिनांक 22-2-99 द्वारा केवल 31 विनियमित क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। अवशेष सूचनाएं अभी तक अप्राप्त हैं।

2. इस संबंध में मुझे पुनः यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एजेण्डा में निर्धारित "सबके लिए आवास" कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए प्रदेश स्तरीय प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर भारत सरकार को उपलब्ध करानी होती है। विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य-कलापों का अनुश्रवण आवास विभाग द्वारा स्वयं किया जा रहा है, परन्तु विनियमित क्षेत्रों से सूचनाएं प्राप्त करने हेतु अभी व्यवस्था नहीं बन पाई है।

3. अतएव शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विनियमित क्षेत्रों के कार्यकलापों के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इस कार्य हेतु मुख्यालय पर किसी अधिकारी को नामांकित कर दें जो मण्डलीय सहयुक्त नियोजकों के माध्यम से उक्त सूचनाएं एकत्र/संकलित करें ताकि शासन को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से नियमित रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध होती रहे। अनुश्रवण हेतु एक प्रपत्र भी निर्धारित कर लें जिसमें मुख्य रूप से निम्न सूचनाएं प्राप्त की जाएं :-

1- कुल कितने मानचित्र जमा हुए (विन्यास/भवन मानचित्र की पृथक सूचना)
2- कितने स्वीकृत किए गए।
3- कितने निरस्त किये गए।
4- कितने मानचित्र तीन माह से अधिक समय से लम्बित हैं।
5- मानचित्र शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, सुदृढ़ीकरण शुल्क, अम्बार शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि जमा हुई।
6- प्राप्त शुल्क किस खाते में जमा हो रहा है उसका क्या उपयोग किया जा रहा है तथा नगरपालिका को कितना हस्तान्तरित हो रहा है।

7- विनियमित क्षेत्र के भवन अनुभाग का मासिक अधिष्ठान व्यय कितना है।

8- अन्य संगत सूचनाएं (जो आवश्यक समझें) यथा स्टाफ (स्वीकृत पद/कार्यरत आदि।)

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें और रिपोर्टिंग माह की सूचना प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या-यू०ओ०-151(1)/9-आ-3-99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- मा० आवास मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री, आवास के निजी सचिव।

4- आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 2
संख्या - 2354/9-आ-2-1999
लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 1999

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में स्थापित विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा कई नगरों में आवासीय योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनमें वृहद् स्तर पर विकास कार्य एवं जनता की मांग के अनुसार आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। यह देखा जा रहा है कि वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो परियोजनायें संचालित की जा रही हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं अपनायी जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी की सम्भावना न हो। इसके लिए निम्न कार्यवाही हेतु एतद्द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

(1) कोई भी निर्माण/विकास कार्य बिना पूर्व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आरम्भ न किए जायें।

(2) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यों का विस्तृत आंगणन तैयार किया जाय, जो विस्तृत सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, आवश्यकतानुसार एन्टी टरमाईट ट्रीटमेन्ट एवं साल्ट पीटर की रोकथाम हेतु प्राविधान तथा विभिन्न सेवाओं की परिकल्पना, भूकम्प प्रतिरोधी प्राविधान तथा भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर तैयार किए जायेंगे। जिसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत की जायेगी। स्वीकृति का सक्षम स्तर, बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित हों।

(3) ठेकेदारी पद्धति पर सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जायें जिसमें कार्यों की बिल आफ क्वाण्टिटी, स्वीकृत आगणन के मदों के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। ठेकेदारों के साथ किए जाने वाले प्रत्येक अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राविधानिक कार्य के ले-आउट प्लान, जिनमें सम्पादित किए जाने वाले कार्यों की स्थिति दर्शायी गयी हो तथा भवनों के वर्किंग प्लान तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन से संबंधित समस्त मानचित्र इत्यादि अनुबन्ध के साथ संलग्न किए जायें। कार्य पूर्ण होने पर प्रत्येक कार्य/परियोजना का ''कम्पलीशन प्लान'' कार्य पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा जो ''अन्तिम बीजक'' के साथ अभिलेखित होगा। इस कम्पलीशन प्लान में दर्शित कार्य की भौतिक स्थिति का परीक्षण, स्वीकृत प्राक्कलन के साथ लगे मानचित्र में दर्शाये गये प्राविधानों से किए जाने के उपरान्त ही, अन्तिम बिलों के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(4) यदि कार्य ठेकेदारी पद्धति के स्थान पर विभागीय पद्धति से सम्पादित कराया जाना है तो कार्य के प्रत्येक मद के लिए लेबर तथा प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों की मात्राओं एवं लागत की फांट विस्तृत प्राक्कलन में अलग-अलग दी जायेगी। कार्य का सम्पादन आरम्भ होने के बाद प्रत्येक माह के अन्त तक किए गये कार्यों का पूर्ण विवरण ले-आउट में अंकित कराकर कार्यों के मासिक लेखों के साथ अवश्य प्रस्तुत किए जायें तथा कार्य पूर्ण होने पर प्रत्येक कार्य/परियोजना का कम्पलीशन प्लान अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा, जो कार्य के अन्तिम लेखों के साथ अभिलेखित होगा। इस कम्पलीशन प्लान में दर्शित कार्य की भौतिक स्थिति का परीक्षण स्वीकृत प्राक्कलन के साथ लगे मानचित्रों में दर्शाये गये प्राविधानों से किए जाने के उपरान्त ही लेबर एवं मैटीरियल इत्यादि के लेखों का अन्तिम रूप से समायोजन किया जायेगा।

(5) उपरोक्तानुसार ठेकेदारी अथवा विभागीय पद्धति से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान भौतिक एवं वित्तीय व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-6 के अध्याय XIV के पैरा 511 से 521 तथा फार्म 40 एवं

सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्यों हेतु फार्म 41, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं, के प्राविधानों के अनुसार "रजिस्टर आफ वर्क्स" सभी निर्माण इकाईयों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किए जायेंगे। इस रजिस्टर में अंकित विवरण का मिलान समय-समय पर एवं परियोजना पूर्ण होने पर स्वीकृत आगणन से किया जायेगा। सम्परीक्षण के दौरान, सम्परीक्षण दल द्वारा इसका विस्तृत परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

जिन अभिकरणों में दोहरी लेखा प्रणाली (Double Entry System) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का लेखा-जोखा रखा जा रहा है, उन अभिकरणों में भी सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा प्रणाली (Public works accounts system) की उपरोक्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाय। इस शासनादेश को प्राधिकरण की बैठक में रखकर इसके अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाय।

संख्या-2354(1)/9-आ-2-1999 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस प्रकरण पर बोर्ड की बैठक में समीक्षा की जाय।

2. प्रतिलिपि आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि, उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि, निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस प्रकरण पर बोर्ड बैठक में समीक्षा किए जाने हेतु मा० अध्यक्ष से निवेदन करने का कष्ट करें।
5. प्रतिलिपि, निजी सचिव, सचिव, आवास को सूचनार्थ प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या : 2909/9-आ-2-1999

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग - 2

लखनऊ :: दिनांक-24 दिसंबर, 1999

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को आवश्यक प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 (क) के अधिकार आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों को प्रतिनिधायित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1175/9-आ-1-98 दिनांक-30 मार्च, 1998 का संदर्भ ग्रहण करें (प्रतिलिपि संलग्न)। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर उपरोक्त प्रतिनिधायन नहीं किया जा रहा है कि कदाचित आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों को उक्त अधिकार प्रतिनिधायित नहीं किए जा सकते हैं। इस संबंध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के अन्तर्गत उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 (क) के समान प्रभावी प्राविधान उपलब्ध नहीं हैं जिससे परिषद की योजनाओं में स्थित भूखण्डों और सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण या बाधा को परिषद के अधिकारियों द्वारा हटाया जा सके। इससे परिषद को कार्य संचालन में कठिनाई हो रही है। उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-51 की उपधारा-2 के विधिक प्राविधान से यह स्पष्ट है कि विकास क्षेत्र के भीतर पड़ने वाली आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में स्थित भूखण्ड एवं सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण एवं बाधा हटाने हेतु प्राधिकरण द्वारा परिषद के अधिकारियों को भी उक्त धारा-26 (क) के अधिकारियों का प्रातिनिधायन किया जा सकता है।

अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक - 30 मार्च, 1998 के क्रम में सभी विकास प्राधिकरणों द्वारा परिषद के स्थानीय प्रभारी अधिकारी को प्रतिनिधायन आदेश पदनाम से अविलंब जारी कर दिया जाये ताकि प्राधिकरण एवं परिषद के संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण से निर्गत किए गये प्रतिनिधायन आदेश निष्प्रभावी न हो सकें और प्रत्येक बार नये आदेश निर्गत करने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार के निर्गत किए गए आदेशों की एक-एक प्रति शासन को भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (शासनादेश दि० - 30-3-1998)

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या : तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०
2. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

क्रम-संख्या - 327

रजि. नं. एल. डब्लू./एन.पी.899

लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 22 दिसम्बर, 1999

पौष 1, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग - 1

संख्या 6396/9 आवास-1-339 डीए/83

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 1999

अधिसूचना

प0आ0-626

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमन) ... यथा पुनः अधिनियमित और उपान्तरित नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की

यथा पुनः अधिनियमित और उपान्तरित नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस विषय पर जारी समस्त विद्यमान नियमों और अधिसूचनाओं

धारा-39-क के साथ पठित धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999

1--(1) यह नियमावली आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह आगरा विकास क्षेत्र पर लागू होगी, और

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी

2-जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :- — परिभाषाएं

(क) "विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अधीन घोषित विकास क्षेत्र से है;

(ख) "लोक प्रिय समागम स्थान" का तात्पर्य ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अन्य भवनों से है जो नियम-3 के अधीन विर्निदिष्ट है ;

(ग) "पथकर नाका/चौकी" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां पर पथकर के निर्धारण और संग्रह से सम्बन्धित कार्य किया जायेगा।

लोकप्रिय समागम के स्थान

3- निम्नलिखित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को एतद्द्वारा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ लोकप्रिय समागम के रूप में अधिसूचित किया जाता है:-

(1) ताजमहल

(2) आगरा का किला

(3) सिकन्दरा

(4) एत्माद्दौला

(5) फतेहपुर सीकरी।

पथकर की दर और संग्रह

4-- (1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिये प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा :-

अनुसूची

परिदर्शकों की श्रेणी	लोकप्रिय समागम के नाम	अवधि जिसके लिये पथकर लिया जाएगा	पथकर की दर (रु० में)
1-- विदेशी "	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागम के स्थान।	पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर)	500/-
"	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागम के स्थान	रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रातः तक	1000/-
"	किला	पूरे दिन	50/-
"	ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य स्मारक	पूरे दिन	10/-
2-- भारतीय	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागम के स्थान	6.00 प्रातः से 8.00 या 4.30 सायं से 7.30 सायं तक	100/-
"	ताजमहल	8.00 प्रातः से 4.30 सायं तक	10/-
"	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागम के स्थान	रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रातः तक प्रातः काल	200/-
"	ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य स्मारक	पूरे दिन	10/-

(2) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक परिदर्शक पथकर नाका/चौकी पर रूकेगा और अनुमन्य पथकर देने के पश्चात टिकट खरीदेगा।

(3) आगरा विकास प्राधिकरण के किसी जांच कर्मचारी के मांगने पर प्रत्येक परिदर्शक टिकट दिखायेगा।

5-(1) लोकप्रिय समागम के स्थानों पर सप्ताह के किसी दिन को जैसा कि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ आगरा में व्यापक प्रचलन वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में घोषित किया जाय, पथकर नहीं लिया जायेगा।

(2) पथकर का भुगतान करने से मुक्त होंगें :-

(क) 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे;

(ख) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लेफ्टीनेन्ट, गर्वनर, मुख्य आयुक्त और भारत सरकार के और राज्य सरकार के भी सदस्यगण;

(ग) आगरा विकास प्राधिकरण के जांच कर्मचारी;

(घ) सरकार के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो ऐसे स्थानों पर कार्य या जांच के लिये जायं;

(ड.) भारत सरकार और राज्य सरकार के ऐसे अतिथि जो अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति होगें;

(च) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष छूट देना उपयुक्त समझें;

(छ) भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा लाइसेन्स प्राप्त पदप्रदर्शक और फोटोग्राफर;

परन्तु-

(1) यह छूट केवल उन व्यक्तियों को अनुमन्य होगी जो वास्तव में पथ प्रदर्शक या फोटोग्राफर के रूप में कार्य करते हों ।

(2) कोई भी व्यक्ति लोकप्रिय समागम के स्थानों में प्रवेश करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने अपेक्षित पथकर देने के पश्चात विहित टिकट न खरीद लिया हो।

(3) ऐसे टिकट का प्रयोग केवल एक बार किया जायेगा बिका हुआ टिकट या उसका कूपन अनन्तरणीय होगा और भुगतान किया गया पथकर वापस नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution,the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6369/IX-Aa-1-339DA-83 dated, December 22, 1999 :

No. 6369/IX-Aa-1-339DA-83
Dated Lucknow, December 22, 1999

IN exercise of the powers under section 55 read with section 39-A of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974)and in supersession of all existing rules and notifications on the subject, the Governor is pleased to make the following rules :

THE AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY (ASSESSMENT AND COLLECTION OF TOLL) RULES, 1999

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules shall be called the Agra Development Authority (Assessment and collection of Toll) Rules,1999;

(2) They shall be applicable to Agra Development Area ; and

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication on the *Gazette*.

Definitions

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -

(a) "Development Area" means the development area declared under section 3 of the Uttar Pradesh Urban planning and Developement Act, 1973;

(b) "Place of popular resort" means such ancient and historical monuments and other buildings as are specified under rule 3;

(c) "Toll Barrier/Post" means the place where the work relating to assessment and collection of Toll shall be undertaken.

Places of popular resort

3. The following ancient and historical monuments are hereby notified as place of popular resort for purpose of these rules :

(1) Taj Mahal
(2) Agra Fort
(3) Sikandra
(4) Etmadduddaula
(5) Fatehpur Sikri

Rates and collection of Toll

4. (1) Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in Column(G) of the schedule below rates :-

SCHEDULE

Category of visitors	Name of popular resort	period for which Toll shall be charged	Rate of Toll (in Rs.)
1	2	3	4
1. Foreigners	Taj Mahal and other place of popular resort.	Whole day, except night	500
"	Taj Mahal and other places of popular resort.	Night (from 7.30 p.m. to 6.00 a.m.)	1000
"	Fort	Whole day	50
"	Other than Taj/Fort	Whole day	10
2. Indians	Taj mahal and other places of popular resort.	From 6.00 a.m. to 8.00 a.m or 4.30 p.m. to 7.30 p.m.	100
"	Taj Mahal	From 8.00 a.m to 4.30 p.m.	10
"	Taj Mahal and other places of popular resort.	Night from 7.30 p.m. to 6.00 a.m.	200
"	Other than Taj	Whole day	10

(2) Before entering a place of popular resort, every visitor shall stop at the Toll Barrier/out Post and buy a ticket after paying the admissible toll.

(3) Every visitor shall show the ticket on demand by any checking staff of Agra Development Authority.

5. (1) Toll shall not be realised at the places of popular resort during day time on any one day of the week, as may be declared for the purpose by the Vice Chairman, Agra Development Authority in atleast two news-papers having wide circulation in Agra.

(2) The following classes of visitors shall be exempted from the payment of Toll :-

(a) Children upto age of 15 years ;

(b) The President of India, Vice- President of India, Governors of States, Lieutenant Governors, Chief Commissioners and Members of the Government of India as also the State Goverment;

(c) The checking staff of the Agra Develpment Authortiy;

(d) The Officers and employees of Government who shall visit such places for work or checking,

(e) The guests of Government of India and the State Government who shall be very important persons;

(f) Such persons as may be treated appropriate for being exempted by the Vice-Chairman, Agra development Authority;

(g) Guides and photographers licenced by the Archeology Department of the Government of India.

Provided that-

(1) This exemption shall be admissible to the persons actually working as guide or photographer.

(2) No person shall be entitled to enter the places of popular resort unless he has purchased the prescribed ticket after paying the requisite toll;

(3) Such a ticket shall be used once only. The sold ticket or its coupon shall be non-transferable and toll paid shall be non-refundable.

By order,
ATUL KUMAR GUPTA
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 2 सा० आवास--(1712)--1999--1,000 (मेक०)

संख्या-4397/9-आ-1-99

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 24-1-2000

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-34/पू०अ०/99-2000, दिनांक 14-9-1999 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ऐसी योजनायें जो लखनऊ नगर निगम को अब तक हस्तान्तरित नहीं की गयी हैं और आवंटियों ने रहना प्रारम्भ कर दिया है, की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये अनुरक्षण व्यवस्था हेतु भूखण्डों के क्षेत्रफल पर निम्नलिखित दर पर अनुरक्षण शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) आवासीय भूखण्डों के क्षेत्रफल का रु० 1.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।
(2) संस्थागत तथा कार्यालय प्रयोग हेतु रु० 1.50 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।
(3) व्यवसायिक भूखण्डों के लिये रु० 2.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।
(4) स्कूल भूखण्डों के लिये रु० 0.20 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।
(5) रिक्त भूखण्डों पर जिस पर आवंटियों द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है किन्तु निर्माण कार्य नहीं किया गया है, उन आवंटियों से 25 प्रतिशत धनराशि अनुरक्षण शुल्क के रूप में वसूल किया जाय।
(6) उक्त अनुरक्षण शुल्क की दरें दिनांक 01 अप्रैल,1998 से लागू होंगी।

2. कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या-1454/9आ-1-2000-110विविध/99

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2000

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्रांक-4397/9-आ-1-99-दिनांक 24-1-2000 एवं आपके पत्रांक-2729/ ए०ए०1(ई/एम)/2000, दिनांक 21 मार्च, 2000 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ऐसी योजनायें जो लखनऊ नगर निगम को अब तक हस्तान्तरित नहीं की गयी हैं और आवंटियों ने रहना प्रारम्भ कर दिया है, की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये अनुरक्षण व्यवस्था हेतु भूखण्डों के क्षेत्रफल पर निम्नलिखित दर पर अनुरक्षण शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) मार्ग प्रकाश हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत।
(2) जलापूर्ति हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत।
(3) सड़क तथा पार्क हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत।
(4) सीवरेज हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत।
(5) स्वीपिंग एवं नालों की सफाई हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत।

2. कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या-1454(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
अनु सचिव।

संख्या-2081/9-आ0-1-2000

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 06 : मई, 2000

विषय : माननीय लोकायुक्त के विरुद्ध विकास प्राधिकरण/उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा याचिका योजित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि विकास प्राधिकरणों एवं अन्य अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा शासन की अनुमति अथवा न्याय विभाग के परामर्श के बिना ही विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर कर दी गयी है, जो उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐसा ही एक प्रकरण मा० लोकायुक्त के संज्ञान में भी लाया गया था, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बिना शासन एवं न्याय विभाग के परामर्श के मा० उच्च न्यायालय में मा० लोकायुक्त के विरुद्ध याचिका दायर कर दी गयी थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल० आर० मैनूअल के प्रस्तर-13.14 (1) (3) में यह व्यवस्था है कि जब कोई जिलाधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष से कागज पत्रों के हेतु प्राप्त हो जाने पर, प्रशासकीय विभाग सभी कागज पत्रों को पूरा करके और पैरा-13.03 (3) में उपबन्धित सिफारिश के साथ पत्रावली विधि परामर्शी का भेजेगा, जो यथा आवश्यक रिट याचिका निवेशित किये जाने के पक्ष में राज्य अधिवक्ता की राय प्राप्त करके और यह समाधान हो जाने पर कि रिट याचिका निवेशित की जाय, राज्य अधिवक्ता को तद्नुसार निर्देश जारी करेगा।

उपरोक्त प्रकार के अनुदेश जारी कर दिये जाने के पश्चात् विधि परामर्शी सम्बन्धित विभाग को पत्रावली भेजेगा, जिससे कि राज्य अधिवक्ता के साथ आगे पत्र व्यवहार किया जा सके और उसे मामले के संचालन के सम्बन्ध में सभी ऐसी सुविधा उपलब्ध करायी जा सके, जिसकी समय-समय पर अपेक्षा की जाय।

शासकीय कार्य के हित में किये गये कार्यों के लिये याचिका दायर की जाती है अथवा अवमानना याचिका में कन्टेमनर बनाये जाने पर शासन के व्यय पर ही प्रतिरक्षा की व्यवस्था की जाती है। पुनः यह निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना शासन के पूर्वानुमति के तथा न्याय विभाग के परामर्श प्राप्त किये बिना विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर नहीं करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का कोई व्यक्तिगत प्रकरण है और जिसका शासकीय कार्य से मतलब नहीं है तो उसके लिये शासन अथवा न्याय विभाग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-2081(1)/9-आ०-1-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, मा० लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन (श्री राधेश्याम पाण्डेय) सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

मा० मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के लंबित संदर्भों के निस्तार हेतु निर्देश।

संख्या-1477/9-आ-2-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आवास आयुक्त
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2- उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3- अध्यक्ष/जिलाधिकारी
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक
नगर भूमि सीमारोपण विभाग
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक - 23 जून, 2000

विषय : मा० मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के आदेशान्तर्गत लम्बित संदर्भों के समयबद्ध निस्तारण, निरन्तर अनुश्रवण एवं इन संदर्भों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब अथवा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा० मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेशित संदर्भों को समयबद्ध रूप से निस्तारित न किये जाने एवं इन संदर्भों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने तथा इसमें शिथिलता बरतने के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा इन संदर्भों के समयबद्ध निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने अथवा शिथिलता बरतने तथा समय से आख्या शासन को प्रेषित न करने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के लम्बित संदर्भों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किये जाने एवं इनकी सूचना निर्धारित समय के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी के लम्बित संदर्भों, मुख्य सचिव महोदय के लम्बित संदर्भों, विधान सभा, विधान परिषद से सम्बन्धित आश्वासनों के समन्वय हेतु अपने यहाँ एक नोडल अधिकारी नामित करें जो इन विषयों से सम्बन्धित सूचनाओं को शासन में समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें।

3. माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा आदेशित संदर्भों के समयबद्ध रूप से निस्तारण न किये जाने एवं अनावश्यक विलम्ब अथवा शिथिलता बरतने वाले अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-1477(1)/9-आ-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
2- आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
3- निजी सचिव, सचिव आवास।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 6
संख्या - 27 एम० एस०/9-आ-6-2000-1015 यू सी/2000
लखनऊ : दिनांक : 03 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

आवास विभाग में नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1109/9-आ-5-45 ई/99 दिनांक 31 मार्च, 1999 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राज्यपाल श्री वीरेश कुमार, विशेष सचिव आवास के स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव, आवास को सदस्य सचिव के रूप में नामित करते हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें एवं उपविधियाँ यथावत रहेंगी।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

पृ० संख्या 27 एम० एस० (1)/9-आ-6-2000 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव (श्री संजय भूसरेड्डी) आवास विभाग।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
3- नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के समस्त सदस्यगण।
4- प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
5- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ० प्र०/अध्यक्ष विशेष क्षेत्र, वि० प्रा०।
6- महामहिम श्री राज्यपाल के सचिव।
7- मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
8- महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
9- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त उ० प्र०।
10- निजी सचिव, मा० आवास मंत्री जी, आवास विभाग।
11- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, आवास विभाग।
12- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
14- प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

अमिताभ त्रिपाठी
अनुसचिव।

संख्या-591/9-आ-3-2000-2 महा/97

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

आवास अनुभाग-3 — लखनऊ : दिनांक : 11 अगस्त, 2000

विषय : हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग-ब) के ऋषिकेश महायोजना (2011) पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र० के पत्र संख्या-424-व०नि० (2) ऋषिकेश/ म०यो०/ 99-2000, दिनांक 18 फरवरी, 2000 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऋषिकेश महायोजना 2011 उ० प्र० (नगर नियोजन एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा-10 के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र की स्वीकृति/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया ऋषिकेश महायोजना शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय, जहाँ सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमता पूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. महायोजना समाचार-पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी। कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या : 591/9-आ-3-2000-2-महा/97 तद दिनांक।

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 18-2-2000 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या : 566/9-आ-1-2000-01(आ० ब०)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(3) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2000

विषय : बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था किये बगैर सड़कों का सुधार, चौड़ीकरण व निर्माण न किया जाना।

महोदय,

सड़कों के फुटपाथ पर मिट्टी डालकर ऊँचा करके उन्हें घेरने तथा उनके किनारे बरसाती पानी की निकासी हेतु बनी नालियों को तोड़कर अथवा उसमें मिट्टी भरकर निजी उपयोग में लाने की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिसका सबसे बुरा असर सड़कों के मध्य में स्थित डामर की सतह पर पड़ रहा है।

स्थिति यह है कि बरसाती पानी की निकासी के लिये बनायी गयी नालियां बन्द हो जाने व फुटपाथों के लेवेल भू-स्वामियों द्वारा मिट्टी भरकर ऊँचा कर देने के कारण बरसाती पानी सड़क के किनारे नालियों तक पहुँच ही नहीं पाता तथा सड़कों के बीच में डामर के ऊपर से बहता है जिससे सड़कों का सब-ग्रेड दलदला हो जाता है तथा ट्रैफिक चलने पर अच्छी से अच्छी सड़क भी एक-आध सप्ताह में ही टूटना प्रारम्भ हो जाती है तथा इस प्रकार से शासन के द्वारा लाखों रुपया व्यय कर बनवाई गई सड़क का लाभ जनता को कुछ माह भी नहीं मिल पाता।

अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी सड़क का सुधार, चौड़ीकरण अथवा निर्माण बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो जाने के उपरान्त ही कराया जावे। यदि नाली का निर्माण सड़क के साथ होना है तो पहले नाली बनाई जावे सड़क का कार्य बाद में किया जावे तथा कार्य स्थल पर एक डिस्प्ले-बोर्ड लगाया जाय। जिसपर नाली तथा सड़क दोनों की लागत अलग-अलग अंकित की जावे।

सड़क के फुटपाथ को मिट्टी डालकर ऊँचा करने तथा सड़क के किनारे बनी नाली पर स्लैब डालकर अथवा मिट्टी डालकर बन्द करने को सड़क पर अतिक्रमण मानते हुए इसे संज्ञेय अपराध माना जाये तथा ऐसा करने वाले पर नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चालाया जाये।

इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे भी अपने अधीनस्थ विभागों के लिये ऐसे ही आदेश जारी करने का कष्ट करें।

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार क्षेत्र एवं गरीबी उन्मूलन उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

सुखद पर्यावास

आवास बन्धु, (आवास विभाग), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित
एवं प्रेम प्रिन्टिंग प्रेस, 257-गोलागंज, लखनऊ-18 द्वारा मुद्रित

मूल्य : 50 रुपये

मुद्रण संख्या 2000

दिसम्बर 2000

5 075